तृतीय माला, खंड 53, अंक 31 बुधवार, 30 मार्च, 1966/9 चैत्र, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LIII, No. 31 Wednesday, March 30, 1966/Chaitra 9, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION OF

3rd LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31—बुधवार, 30 मार्च, 1966/9 चैत्र, 1888 (शक)

No. 31—*Wednesday, March* 30, 1966/*Chaitra* 9, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
862	जम्मू तथा काश्मीर से संसद् के लिये प्रत्यक्ष चुनाव	Direct Elections to Parliament from J. & K. . . .	5827–29
864	उर्वरक कारखाना, बरौनी	Fertilizer Factory, Barauni .	5829–31
865	शिक्षा संस्थाओं को सहायता	Aid to Educational Institutions .	5831–33
866	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रिक्त स्थान	Vacancies in Public and Private Sector Establishments . .	5833–35
867	राज्यों में मद्य निषेध का लागू किया जाना	Enforcement of Prohibition in States	5835–38
868	उपभोक्ता भंडार	Consumer Stores . . .	5838–41
870	विज्ञान कांग्रेस, चंडीगढ़	Science Congress, Chandigarh .	5842–43
873	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference .	5843

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
15	जकार्ता में भारतीय राजदूतावास के वाणिज्यिक अनुभाग का बंद किया जाना	Closure of Commercial Section of Indian Embassy in Jakarta .	5843–46

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या Q. Nos.			
863	प्रतिजीवाणु पदार्थ एन्टीबायटिक्स तथा औषधियों में आत्म-निर्भरता	Self sufficiency in Anti-biotics and Drugs	5846
869	भूतपूर्व मिजो नेता की हत्या	Murder of former Mizo Leader .	5847
871	सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां करने हेतु आर्थिक पुंज (इकनामिक पूल)	Economic Pool for Staffing Public undertakings . . .	5847

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—47 L.S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
872	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory	5847
874	मध्य-पूर्व से कच्चा तेल	Crude from Middle East . .	5847-48
875	प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा	Science Training in Primary Classes	5848
876	राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन	Commonwealth Education Conference	5848
877	स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp in Memory of the Late V. D. Savarkar	5848-49
878	महाराष्ट्र में हल्के डीजल तेल और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Light Diesel Oil and Kerosene in Maharashtra .	5849
879	श्रीमती सरोजिनी देवी द्वारा अनशन	Fast by Shrimati Sarojini Devi .	5849
880	मिजो विद्रोह	Mizo Rebellion .	5850
881	कोकंकर कोयले के बिना लोहा	Iron Without Coking Coal .	5850
882	गोआ का भविष्य	Future of Goa . .	5850-51
883	नागरिक सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थानों को हुई क्षति	Damage to Civilian Property and Religious Places . . .	5851
884	आपातकालीन कानूनों का प्रवर्तन	Administration of Emergency Laws	5851
885	नेफा के लिये सलाहकार परिषद	Advisory Council for NEFA .	5851-52
886	पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा पहले से दिये गये बोनस की वसूली	Recovery of Bonus Already paid by Petroleum Companies .	5852
887	मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in M. P. . .	5852-53
888	काश्मीर में राष्ट्र विरोधी तत्वों का पुनर्वास	Rehabilitation of Anti-National Elements in Kashmir . .	5853
889	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक	Instructors of National Discipline Scheme	5853-54
890	बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल	Bombay Textile Workers Strike .	5854

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2985	डाक व तार सर्किलों के मुख्य अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of Heads of P. & T. Circles	5854-55
2986	बम्बई के कपड़ा मिलों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता	D.A. to Workers in Textile Mills of Bombay.	5855

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2987	मन्नती पशुशाला (लाइव स्टाक फार्म)	Mannuthy Livestock Farm	5855
2988	केरल औद्योगिक सम्बन्ध बोर्ड	Kerala Industrial Relations Board	5855–56
2989	केरल में पंचवर्षीय कार्यक्रम	Five Year Programme in Kerala .	5856
2990	डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees .	5856–57
2991	राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को सहायता	Help to Children of Political Sufferers	5857
2992	शारीरिक शिक्षा के लिए बोर्ड	Board for Physical Education .	5857–58
2993	स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भारतीय संस्कृति विषय का शामिल किया जाना	Introduction of Indian Culture in School Curricula . .	5858
2994	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सहकारी स्टोर	Cooperative Stores for Industrial Workers	5858
2995	अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	Shortage of Inland Covers	5859
2996	केरल के नगरों में पुलिस की कथित ज्यादतियां	Alleged Police Excesses in Kerala	5859
2997	वियूर जेल में पानी की कमी	Shortage of Water Supply in Viyyoor Jail	5859–60
2998	लेखा विभाग के एक क्लर्क द्वारा आत्महत्या	Suicide by a Clerk of Accounts Department	5860
2999	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	5860
3000	उपूसी (नेफा) में शिक्षा सम्बन्धी नीति	Education Policy in NEFA .	5860–61
3001	उपूसी (नेफ़ा) का मुख्यालय	Headquarters of NEFA . .	5861
3002	इंडिया आफिस लाइब्रेरी में पुस्तकें	Books in India Office Library .	5861
3003	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate .	5861–62
3004	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग	Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology . .	5862
3005	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	Senior Staff Council . .	5862
3006	भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें	Complaints of Corruption . .	5862–63
3007	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी के विरुद्ध आरोप	llegations against I.A.S. Officer .	5863

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3008	रक्षा सामग्री के बारे में समाचारों का प्रकाशन	Publication of Reports regarding Defence Purchasers . .	5863–64
3009	टेलीप्रिंटर मशीनों का निर्यात	Export of Teleprinter Machines .	5864
3010	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings .	5864
3011	भूतपूर्व राजे महाराजों के विरुद्ध मुकदमे	Prosecution of Former Rulers .	5865
3012	पेट्रोलियम से प्रोटिन	Protein from Petroleum . .	5865
3013	विस्थापित व्यक्तियों के लिये बट्टियाह शिबिर	Bettiah Camp for D.Ps. . .	5865–66
3014	नजरबन्द लोगों के मामलों पर पुनर्विचार	Review of Cases of Detenus . .	5866
3015	कृत्रिम वर्षा	Artificial rain	5866
3016	केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर व्यय	Tour Expenses of Central Ministers	5867
3017	दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की घटनाएं	Eve-Teasing cases in Delhi . .	5867
3018	विदेशी धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Missionaries	5868
3019	भ्रष्टाचार के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Report of U.S. Experts on Graft .	5868
3020	उर्वरक परियोजनाओं से सम्बद्ध भूमि पर खेती	Cultivation of Land Attached to Fertilizer Projects . .	5869
3021	चाइना रिव्यू	China Review	5869
3022	दिल्ली में दर्ज किये गये भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases registered in Delhi	5870
3023	उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत	Consumption of petroleum and Petroleum Products in U.P. .	5870
3024	टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges . .	5871
3025	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Telephone Revenue in U. P.	5871
3026	कार्मिक संघ	Trade Unions.	5871–72
3027	कोयला खानों के श्रमिकों के लिये अवकाश गृह	Holiday Home for Coal Miners .	5872

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3028	छोटी बचत योजना के अधीन जमा राशि	Deposits Under Small Savings Scheme	5872–73
3029	भारतीय विश्वविद्यालयों की फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान	Ford Foundation Grants to Indian Universities	5873
3030	स्वामी विवेकानन्द	Swami Vivekanand . . .	5873–74
3031	वैज्ञानिकों का आदान प्रदान	Exchange of Scientists . .	5874
3032	आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगार महिलाएं	Unemployed Women in Andhra Pradesh.	5874
3033	आन्ध्र प्रदेश में डाक सेवायें	Postal Services in Andhra Pradesh	5875
3034	राजस्थान में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Outstanding Telephone Revenue in Rajasthan . . .	5875
3035	राजस्थान में बेरोजगार तकनीकी लोग	Unemployed Technical persons in Rajasthan . . .	5876
3036	उड़िया साहित्य तथा संस्कृति के लिए अनुदान	Grants for Oriya Literature and Culture	5876
3037	उड़ीसा में उड़िया नाटकों का विकास	Promotion of Oriya Dramas in Orissa	5876
3038	उड़ीसा में कालेजों तथा हाई स्कूलों की सहायता	Assistance to Colleges and High Schools in Orissa . . .	5877
3039	न्यू जमहेरी खास कोयला खान	New Jemahari Khas Colliery .	5877
3040	शिक्षा पर पंचायती राज के प्रभाव के सम्बन्ध में विचारगोष्ठी	Seminar on the Role of Panchayati Raj in Education . .	5877–78
3041	पंजाब में इंजीनियरी कालेज	Engineering Colleges in Punjab .	
3042	दिल्ली में टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि	Telephone arrears in Delhi	
3043	दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi	5879
3044	पंजाब में सांस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in Punjab	5879
3045	पंजाब को प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं के लिए सहायता	Assistance to Punjab for Publishers Printers and Book sellers .	5879
3046	इंजीनियरी प्रतिभा का दुरुप्रयोग	Waste of Engineering Talent .	5879–80
3047	केरल में टायर फैक्टरी	Tyre Factory in Kerala	5880
3048	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये अग्रिम वेतनवृद्धियां	Advance Increments for P. & T. Officials . . .	5880–81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3049	श्री कुंजालीमरक्कर का स्मारक	Memorial to Shri Kunjalimarakkar	5881
3050	जबलपुर में पाया गया अवशेष	Antique found in Jabalpur . .	5881
3051	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनक्रम	Pay scales of Survey of India Employees	5881–82
3052	मैसूर डाक व तार मंडल का रेलवे डाक सेवा मुख्यालय	R.M.S. Headquarters of Mysore P. & T. Circle . . .	5882
3053	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action against Survey of India Employees . . .	5883
3054	इन्द्रपुरी बस्ती, दिल्ली में डाकघर	Post Office for Inderpuri Colony, Delhi	5883
3055	राष्ट्रीय विज्ञान परिषद्	National Science Council . .	5883
3056	लम्बी सजा वाले कैदी	Long Term Prisoners .	5884
3057	उर्वरक कारखानों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Fertilizer Factories	5884
3058	पीर पगोड़ो के अनुयायियों की गतिविधियां	Activities of Pir-Pagaro's Disciples	5884
3059	पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators . . .	5884–85
3060	महाराष्ट्र में संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit in Maharashtra	5885
3061	महाराष्ट्र में जूनियर टेक्निकल स्कूल	Junior Technical Schools in Maharashtra	5885
3062	महाराष्ट्र में टेलीफोन लगाने की अनिर्णीत अर्जियां	Telephone Connections Pending in Maharashtra . . .	5886
3063	महाराष्ट्र में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Maharashtra	5886
3064	इरान के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज	Oil Exploration in Iran's off Shore Areas . . .	5886–87
3065	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) के अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by C.S.S. (Grade I) Officers	5887–88
3066	महाराष्ट्र में युवकों के लिये होस्टल	Youth Hostels in Maharashtra	5888
3067	जोरहाट के समीप नागाओं की गिरफतारी	Arrest of Nagas near Jorhat .	5888
3068	उज्जैन में रात्रि डाकघर सेवा	Night Post Office Service in Ujjain	5888

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3069	बम्बई में कपड़ा कारखानों के मजदूरों की हड़ताल के परिणाम स्वरूप कपड़े के उत्पादन में हानि	Loss in Production of cloth due to strike by Textile Workers in Bombay . . .	5889
3070	सीमावर्ती राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Border States	5889
3071	भारतीय तेल निगम के अधिकारीयों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना	Extension to I.O.C. Officials .	5890
3072	ग्रीष्मकालीन संस्थाएं (समर इन्स्टीटयूट्स)	Summer Institutes .	5890
3073	दिल्ली और रावलपिण्डी के बीच सीधे टेलीग्राफ सर्किट	Delhi-Rawalpindi Direct Telegraphic Circuits . . .	5890–91
3074	डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी	Extra Departmental Employees of P. & T.	5891
3075	युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	Pay Fixation of War Service Candidates	5891–92
3076	उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाना	Automation in Industries .	5892
3077	अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के पदाधिकारियों द्वारा भारत के उर्वरक कार्यक्रम की जांच	Examination of India's Fertilizer Programme by A.I.D. Officials	5892
3078	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	National Loan Scholarship Scheme	5892–93
3079	केरल के कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservations of Seats in Kerala Colleges	5893
3080	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं (सर्विस बुक)	Service Books of Class IV Employees	5893–94
3081	रामकृष्णनपुरम, नई दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	P. & T. Quarters in Ramakrishna Puram, New Delhi . .	5894
3082	केरल शिक्षा नियम	Kerala Education Rules . .	5894–95
3083	केरल के अध्यापकों के वेतन तथा योग्यताएं	Pay and Qualifications of Kerala Teachers	5895
3084	सेवायुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी	Released Emergency Commissioned Officers	5895
3085	मंत्रालयों में अनुवाद कार्य करने वाले कर्मचारी	Staff Engaged in Translation work in Ministries	5896
3086	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions .	5896
3087	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के रिक्त पद	Vacancies in Class I and II Posts .	5896–97

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उड़ीसा में भूख से मृत्यु के समाचार—	Reported Starvation Deaths in Orissa	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	5897
श्री चि० सुब्रह्मणयम	Shri C. Subramaniam	5897–99
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	5899, 5918–21
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	5900
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	5900
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
छियानवेवां तथा सतानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-sixth and Ninety-seventh Reports	5900
लाभ के पदों सम्बधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Offices of Profit—	
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	5900
सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
तेइसवां प्रतिवेदन	Twenty-third Report	5900
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
विश्वभारती की संसद	Samsad of Visva-Bharati	5901
पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में	Re. Food Situation in West Bengal	5901–04
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	5904–05
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	5905–07
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	5907–09
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	5909
श्री रणंजय सिंह	Shri Rananjai Singh	5909–10
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	5910–11
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	5911
श्री रंगा	Shri Ranga	5912
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	5912–16
विधि मंत्रालय	Ministry of Law	5922–23
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
बस्तर की घटना	Bastar Incident	5917–18

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 30 मार्च, 1966/9 चैत्र, 1888 (शक)
Wednesday, March 30, 1966/Chaitra 9, 1888(Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Direct Elections to Parliament From J. & K.

+
***862. Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 84 on the 18th August, 1965 and state :

(a) Whether the Constitution Amendment Bill to provide for direct election to Parliament from Jammu and Kashmir has since been drafted; and

(b) when the Bill is likely to be brought before the Parliament ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). A proposal received from the Jammu and Kashmir Government to apply to the State articles 81, 325, 326, 327 and 329 to enable the representatives in the House of the People from Jammu and Kashmir being elected directly from territorial constituencies, as in other States, is under active consideration of the Government of India. This will require the issue of an Order by the President under article 370 of the Constitution. No amendment to the Constitution will be necessary to give effect to the proposal.

श्री भागवत झा आजाद : यह सुझाव कब प्राप्त हुये थे और क्योंकि सभा इस सिद्धान्त को मान

गई है इस लिये यदि संविधान में संशोधन आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति का आदेश जारी करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : अनुच्छेद 325, 326 और 327 के लिये औपचारिक सहमति इस वर्ष की 24 मार्च को प्राप्त हुई थी और मेरे विचार में 15 दिन से अधिक नहीं लगेंगे। यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा और निर्णय किया जायेगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्योंकि जम्मू और काश्मीर में चुनाव से पूर्व निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना बहुत आवश्यक है, इसलिये क्या देश के सभी राज्यों में परिसीमन के लिये जिम्मेदार परिसीमन आयोग यहां भी यह कार्य करेगा ; यदि हां तो कब तक ?

श्री हाथी : मेरे विचार में इस प्रश्न पर परिसीमन आयोग ही विचार कर सकता है। इस में लगभग ....

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has stated that no amending bill would be necessary and the Order would be issued under Article 370 itself, but it is said that the demand of the House is to abrogate Art. 370. If that be so, then may I know whether this order would be issued after its abrogation or before it and by what time would it be abrogated ?

Shri Hathi : It is not a question of abrogating Art. 370. As long as it exists it would be convenient to make use of it and we would be able to issue orders without amending the Constitution.

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह कार्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होगा तो क्या इस बीच राज्य सरकार को राज्य में निर्वाचन व्यवस्था बनाने को कहा गया है ताकि वहां चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कराये जा सकें ?

श्री हाथी : वास्तव में ऐसी व्यवस्था वहां है परन्तु निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अभी होना है। हां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन भी आवश्यक होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सभा में और काश्मीर विधान सभा में यह प्रश्न बार बार नहीं उठाया गया है कि इतना समय क्यों लग रहा है, और यदि हां, तो दोनों अधिनियमों का संशोधन करने में कितना समय लगेगा क्योंकि चुनाव बहुत निकट आ गये हैं ?

श्री हाथी : जैसा मैंने अभी बताया हमें औपचारिक सहमति 24 मार्च, 1966 को प्राप्त हुई और अब इस पर तेज़ी से कार्यवाही हो रही है।

श्री गोपाल दत्त मगी : क्या संसद् के लिये चुनाव जम्मू और काश्मीर राज्य के निर्वाचन विधान के अन्तर्गत होंगे अथवा भारत के निर्वाचन विधान के अन्तर्गत होंगे क्योंकि यह दोनों कानून भिन्न भिन्न हैं ?

श्री हाथी : मैं कह चुका हूं कि इस के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सिद्धान्त का पालन करने का वही ढंग होगा जो देश में अन्य राज्यों में होता है जहां संसद् सदस्य संबंधित होते हैं ?

श्री हाथी : मेरे विचार में यह मामला परिसीमन आयोग पर छोड़ दिया जायेगा।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether elections there would be held alongwith elections to the Assembly or alongwith General Elections in the rest of the country and if this would be held separately whether Government of India would also hold elections separately for Assemblies and Lok-Sabha here also ?

Shri Hathi : This mather has not been considered as yet.

Fertilizer Factory, Barauni

\+
***864. Shri K. N. Tiwary :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 181 on the 25th August, 1965 and state :

(a) when the fertilizer factory at Barauni with the Soviet collaboration is likely to be set up ;

(b) the steps taken in that direction so far ; and

(c) the capacity of the factory and the terms of the collaboration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). The Fertilizer Corporation of India have been asked to carry out a techno-economic feasibility study on the establishment of a fertilizer factory at Barauni. Their report is awaited.

श्री क० ना० तिवारी : उनकी रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री इकबाल सिंह : यह शीघ्र ही आ जायेगी। उर्वरक निगम को असम, बरौनी और हालदिया का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने को कहा गया है और इसे पूरी स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा और आशा है कि यह रिपोर्ट एक अथवा दो मास में तैयार हो जायेगी।

श्री क० ना० तिवारी : क्या भूमि अर्जन जैसी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : अभी तो हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर पहले भी कई बार दिया जा चुका है। सोवियत संघ स्वयं नैफ्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है। वह जानकारी अर्जित करके हमें देंगे। शायद चौथी योजना में ही हमें उनका प्रतिवेदन मिल जायेगा और इस योजना के अन्तिम वर्ष में यह संयंत्र बन पायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस कारखाने की अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री अलगेशन : यह बताना अभी संभव नहीं है।

Shri Vishram Prasad : I want to know the kind of fertilizer to be produced in this factory—Phosphatic, Nitrogenous or Potassium ?

श्री इकबाल सिंह : अभी यह बताना संभव नहीं है कि यह कारखाना एक विभिन्न प्रकार के उर्वरक तैयार करने वाला होगा अथवा एक ही प्रकार का उर्वरक तैयार करेगा। पूर्वी क्षेत्र में तीन अथवा चार कारखाने हैं--दुर्गापुर, हाल्दिया, बरौनी और असम। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और इसका निर्णय बाद में लिया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : पूर्वी क्षेत्र सभी प्रकार के उर्वरको में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा और क्या यह कारखाने इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर पायेंगे ?

श्री अलगेशन : पूर्वी क्षेत्र के लिये पृथक रूप से आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। हमारा आशय चौथी योजना में 24 लाख टन नाइट्रोजन की क्षमता का है और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। जब यह क्षमता प्राप्त हो जायेगी तब हम 80 प्रतिशत उत्पादन कर सकेंगे। यद्यपि हम अपनी आवश्यकतानुसार लगभग सारा उत्पादन स्वयं कर सकेंगे परन्तु फिर भी हमें थोड़ा आयात करना पड़ेगा।

श्री के० दे० मालवीय : क्या सरकार को पता है कि वर्तमान योजना के अनुसार कानपुर उर्वरक संयंत्र को बरौनी से अमोनिया सल्फेट देने का आश्वासन दिया गया है इसलिये बरौनी कारखाने के लिये दो कारखानों--एक कानपुर में और दूसरा बरौनी में-- को माल सप्लाई करना संभव न होगा इसलिये बरौनी को छोड़कर बिलकुल नये प्रबन्ध करने पड़ेंगे ?

श्री अलगेशन : बरौनी से नैफ्था न केवल कानपुर को दिया जायेगा परन्तु गोरखपुर को भी दिया जायेगा। जबकि इस समय बरौनी में 10 लाख टन नैफ्था तैयार होता है, कुछ समय पश्चात् यह बढ़कर 20 लाख टन हो जायेगा और अन्त में 30 लाख टन हो जायेगा। इसलिये जब उत्पादन में इस सीमा तक वृद्धि हो जायेगी तब हमारे पास बरौनी के उर्वरक कारखाने के लिये भी काफी नैफ्था होगा।

Shri Yashpal Singh : May I know the extent of shortage even after setting up Barauni Factory and by what time we would attain self-sufficiency and whether Government have ever considered the proposal to hand over this work to State Government so that ....

Mr. Speaker : He has already stated this.

डा० रानेन सेन : हम काफी समय से सुन रहे हैं कि बरौनी, हाल्दिया आदि में यह कारखाने लगाये जायेंगे। यदि यह निर्णय पक्का है तो अब तक इन कारखानों के लिये भूमि का अर्जन भी क्यों नहीं किया गया ?

श्री अलगेशन : यह कार्य तो बाद में होगा। निर्णय लेने और अन्य बातों की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात निश्चय ही भूमि अर्जित की जा सकती है। यदि हम अभी से भूमि अर्जित कर लेते हैं तो हम अनावश्यक ही पूंजी बांध कर रख देंगे और हमें इसपर ब्याज देना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने कानपुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने और इसे 'आई० सी० आई०' को देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

श्री अलगेशन : कुछ मास पूर्व इच्छा-पत्र जारी किया गया था और कुछ ही दिन पूर्व लाइसेंस भी जारी किया गया था। इसका अर्थ है कि कानपुर में एक 'यूरिया' कारखाना स्थापित करने का निर्णय पक्का है।

Aid to Educational Institutions

***865. Shri Madhu Limaye :**
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government that those educational institutions, the names of which are associated with any religion or any particular caste, should not be given Government aid directly or indirectly; and

(b) if so, when a decision would be taken in this regard ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : Whether any proposal is under consideration of Government not to provide assistance to such educational institutions which are named after a religion or a caste ?

श्री मु० क० चागला : यद्यपि मैं भी धर्म निर्पेक्षता का उतना ही पक्का समर्थक हूं जितने कि माननीय सदस्य स्वयं हैं परन्तु हमारे समक्ष कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिये अनुच्छेद 30 के अनुसार हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है। फिर हमारे यहां दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सभा के समक्ष है और उसे फैसला करना है कि यही नाम रखा जाये अथवा नहीं। दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक संयुक्त समिति के समक्ष है और उन्होंने निश्चय किया है उन स्कूलों को आर्थिक सहायता न दी जाये जिनके नाम सम्प्रदायों पर रखे गये हों। इसका कारण यह है कि बहुत सी जातियां अथवा सम्प्रदाय स्कूल खोलने के लिये धन देना चाहती हैं यदि उनका नाम उन जातियों आदि पर रखा जाये यद्यपि प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं बर्ता जाता। हम सोचते हैं कि यदि इन सभी स्कूलों की मंजूरी वापिस लेकर सहायता बन्द कर दी जाये तो दिल्ली में शिक्षा को क्षति पहुंचेगी। इसलिये यह कठिनाइयां व्यवहारिक हैं। कारण यह नहीं कि हम धर्मनिर्पेक्षता के समर्थक नहीं हैं। हमारा संविधान इस नीति का सूत्रपात करता है और हम अपनी पूरी शक्ति से इस नीति का पालन करेंगे।

Shri Madhu Limaye : My question was different. I wanted to know whether Art. 30 comes in the way of discontinuing State aid to Govt. educational institutions though the private institutions might be allowed to function?

Mr. Speaker : I wo'nt allow that. He may put another question.

Shri Madhu Limaye : As the hon. Minister said that Banaras Hindu University Bill is coming before parliament, may I know whether Aligarh & Banaras University Bills would come up simultaneously so that the discussion might not be divided and it might not cause any misapprehension in the minds of any one?

श्री मु० क० चागला : मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि यदि सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में से 'हिन्दू' शब्द हटाने का निश्चय करेगी तो मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय से 'मुस्लिम' शब्द हटाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

Shri Sheo Narain : I want to know that how this controversy is being raised why Government do not remove the word 'Hindu', 'Banaras' etc. and call them Public Schools as in England and then give them aid ?

Mr. Speaker : This is another suggestion.

Shri Raghunath Singh : I want to know when this Bill regarding Hindu University would be brought before this House?

श्री मु० क० चागला : राज्य सभा में तो यह पहले ही पारित हो चुका है। आशा है कि यदि वित्तीय कार्य से समय मिला तो इसे अति शीघ्र विचार के लिये लिया जायेगा।

Shri Brij Raj Singh : I want to know why Banaras Hindu University was made a test case ? Why was Aligarh University Bill not brought first ?

Mr. Speaker : He has answered that.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह एक सरकारी विधेयक है फिर इसे सभा की इच्छा पर क्यों छोड़ा जा रहा है और सरकार ने क्यों इस विधेयक विशेष को एक निर्धारित ढंग और दिशा प्रदान नहीं की है ?

श्री मु० क० चागला : इस विधेयक को सभा की इच्छा पर न छोड़ कर केवल नाम का प्रश्न ही उसकी इच्छा पर छोड़ा गया है। प्रवर समिति में भी मैं ने किसी ओर वोट नहीं दिया और निश्चय प्रवर समिति पर छोड़ दिया गया है। राज्य सभा में भी मेरा दृष्टिकोण यही था। मेरे माननीय मित्र को इसकी प्रशंसा करनी चाहिये। इस संबंध में हम कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं इससे अधिक लोकतंत्रीय तरीका और क्या हो सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभी विधेयकों के संबंध में भी यही तरीका अपनाया जाये।

श्री मु० क० चागला : यह बात और है। कुछ मामलों पर सरकार एक विशेष दृष्टिकोण अपनाती है। हाऊस आफ कामन्स में भी ऐसा ही हुआ है। मृत्यु दण्ड देने के संबंध में वहां कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था और मामला सभा की इच्छा पर छोड़ दिया गया था।

Shri Yashpal Singh : When the hon. Education Minister was Chief Justic of Bombay High Court he had ruled that equal rights should be given to Hindu & Muslim institutions in a secular State. How could this equality be maintained when you are discontinuing State aid, where as secularism means equal development to both Hindus and Muslims and if Hindus & Muslims would not be there who will live in the country in future ?

श्री मु० क० चागला : सरकार और उसकी नीति पर यह बहुत गंभीर आरोप है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रत्येक संस्था को साम्प्रदायिक भेदभाव से मुक्त रखा जायेगा——चाहे वह बनारस विश्वविद्यालय हो अथवा अलीगढ़ विश्वविद्यालय——वहां प्रत्येक जाति का छात्र प्रवेश पा सकता है और प्रत्येक जाति का अध्यापक सेवा कर सकता है यदि वह चुना जाता है इसमें बिलकुल कोई भेदभाव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि धर्म निर्पेक्षता का वह सिद्धान्त क्या है जिससे प्रोत्साहन पाकर वह भारतीय इतिहास अथवा लोगों के मन से हमारी जातियों और धर्मों की छाप मिटाना चाहते हैं ?

श्री मु० क० चागला : धर्मनिर्पेक्षता की परिभाषा हमारे संविधान में दी गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान में शब्द 'धर्मनिर्पेक्ष' तो कहीं नहीं है।

श्री मु० क० चागला : धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का आदर करना है——हमारे देश में बहुत से धर्म हैं——यह एक धारणा है कि ईश्वर प्राप्ति के कई मार्ग हैं और किसी भी मार्ग को अपना कर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यही मेरी धारणा है।

Shri Sinhasan Singh : Government has stated that it has not taken any decision about the deletion or continuance of the word "Hindu". Does the Government not feel its duty to take a decision regarding the deletion or continuance of the name in the Hindu University Bill and Muslim University Bill?

श्री मु० क० चागला : राज्य सभा से एक विशेष नाम के साथ विधेयक आ रहा है। राज्य सभा ने बहुमत से निर्णय किया है कि बनारस विश्वविद्यालय का एक विशेष नाम हो। अब विधेयक इस सभा में आयेगा। चूंकि राज्य सभा में कोई सचेतक जारी नहीं किया गया था इसलिये इस सभा में भी कोई सचेतक जारी नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस पर स्वतंत्र रूप से मतदान कराने पर इस सभा के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रिक्त स्थान

*866. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1964 से दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कुल कितने रिक्त-स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) इस अवधि में उन प्रतिष्ठानों में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से कितने स्थान भरे गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) :

क्षेत्र	सूचित रिक्त-स्थान	वे स्थान जिनकी पूर्ति की गई
1	2	3
सरकारी क्षेत्र	1,69,632	1,23,022
निजी क्षेत्र	65,338	45,773
कुल .	2,34,970	1,68,795

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether the appointment made in the Public Sector or in the Private sector through Public Service Commission or by the management?

Shri Shahnawaz Khan : I have already stated that these vacancies were filled up through various employment exchanges.

Shri Vishwa Nath Pandey : It is true that these vacancies were filled up through employment exchanges but I want to know whether there was any selection committee for the selection of candidates or the management of the Public Sector or the Private sector selected the candicates of their own choice?

Shri Shahnawaz Khan : There is no question of any choice. Employment exchanges sent suitable candidates on the demand made by them.

Shri A. P. Sharma : Will the figures in respect of other States will be laid on the Table of the House as has been done in case of Uttar Pradesh ?

Mr. Speaker : If a separate question on this subject is put, it will be replied, the hon. Member may ask his question.

Shri K. D. Malaviya : Does the Government propose to ensure that only those persons are appointed in the public sector who are devoted to the cause of Public Sector?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : These appointments do not relate to high officials. Generally class III and class IV staff are appointed through employment exchanges. We do not go into the details of political views of the candidates while registering them with the employment exchanges. This is the duty of the appointing authority to go into the details of the political views of the candidates while making appointments.

Shri K. D. Malaviya : Does the Government not think it proper to frame such rules and regulations so that only those persons are appointed in the Public Sector who are devoted to the cause of Public Sector? It does not matter that whether they may be class IV employees or class III employees or high officials.

Mr. Speaker : Suggestion for action.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the candidates do not get employment even after two or three years from the date of registering their names with the employment exchanges? Is it also a fact that they get employment only on the recommendation of some big officers or some political leaders? Is it also a fact that there are people who get employment within two or four months?

Shri Shahnawaz Khan : It is absolutely wrong. There are certain categories who have to wait for a long time. But technically qualified persons get employment within a very short period.

Shri U. M. Trivedi : Has any Member of Parliament written to you that only those persons should be appointed in the Public Sector who belong to Congress and are fellow travellers?

Shri Shahnawaz Khan : We have not received any such letter.

Shri S. M. Banerjee : The hon. Deputy Minister has stated that 2,34,970 vacancies were notified and 1,68,795 vacancies were filled up during 1964 and 1965, whether the Government is aware that there were about 4,70,000 registered unemployed in Uttar Pradesh during the above period. Whether the Government also have some scheme to give unemployment doles to these persons who are without employment for a number of years and not getting any job.

Shri Shahnawaz Khan : I have given the figures regarding the vacancies notified. The figures of registration are much more. I agree that there is a large number of unemployed persons but Government has so far no intention to give unemployment doles.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव अथवा योजना पर विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय हित के लिये गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अधिक समन्वय तथा अछे सम्बन्ध स्थापित किया जा सके ताकि दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से ऊपर की कुछ श्रेणियों में, अधिकारियों की सामयिक अथवा समय समय पर अदलाबदली की जा सके।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य जानते ही हैं कि सरकारी क्षेत्र के कई अधिकारी सेवा-निवृत्ति के बाद गैरसरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न इससे भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह किसी योजना के अन्तर्गत किया गया है।

श्री शाहनवाज खां : जी, नहीं। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है।

राज्यों में मद्य निषेध का लागू किया जाना

\+

*867. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री सेझियान :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री कनडप्पन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मुहमद कोया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार के इस स्पष्ट वक्तव्य पर विचार किया है कि यदि केन्द्रीय सरकार राज्य को मद्यसार से प्राप्त होने वाले राजस्व की पूर्ति कर दे तो वह राज्य अपने राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के लिए तैयार है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने मद्यनिषध लागू करने की व्यवस्था पर होने वाले खर्च की पूर्ति का प्रश्न उठाया है;

(ग) क्या सरकार ने मद्य निषेध लागू करने से राजस्व में होने वाले घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार 1969 तक पूर्णतः मद्य निषध लागू करने का है ?

2—47 Lok Sabha/66

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल के अतिरिक्त उन राज्य सरकारों ने, जिनमें मद्यनिषेध लागू नहीं है या अंशत: लागू है, इस आधार पर मद्यसार से प्राप्त होने वाले कर की हानि को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की है कि अपने वर्तमान आय व्यय को देखते हुए व इस हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) मद्यनिषेध अध्ययन दल की सिफ़ारिशों में से एक यह भी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने राज्यों का ध्यान संविधान के निदेशक तत्वों की ओर, जिन्हें बिना किसी शर्त के मानना पड़ता है, दिलाया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : जी हां, इसे राज्य जानते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1969 महात्मा गांधी की, जो मद्य निषेध योजना के सम्बन्ध में देश का मार्ग दर्शन करना चाहते थे, जन्म शताब्दी का वर्ष है, इस योजना को कार्यरूप देने के लिये सरकार के सामने क्या निश्चित प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : ये प्रस्ताव तेकचन्द समिति के प्रतिवेदन मे दिये गये हैं। इन प्रस्तावों को कार्यरूप दिये जाने पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye : Several Members of Parliament have submitted a representation to the Government regarding prohibition. Just now Directive Principles have been referred. I want to know whether the Directive Principles in respect of prohibition will only be taken into consideration or these Principles will also be considered for free compulsory education, better standard of living, better health, removal of starvation etc., as has been provided in section 47 of the Constitution of India.

Shri Hathi : Everything should be taken into account.

Shri Sidheshwar Prasad : It appears from the reply given by the hon. Minister just now that Government believe in prohibition. May I know whether Government is taking any steps to introduce prohibition in State Dinners and in Government's hotels and if so, how it will be introduced?

श्री हाथी : हमारे सामने सभी राज्यों में मद्यनिषेध लागू करने का प्रश्न है। प्रत्येक राज्य ने भिन्न भिन्न कार्यवाही की है। मैं नहीं कह सकता कि इस राज्य ने क्या कार्यवाही की है।

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know about State Dinners.

Shri Hathi : Different States have different rules and they issue permits for it.

श्री कन्डप्पन : केन्द्रीय सरकार के सामने उन क्षेत्रों में, जो उसके सीधे नियंत्रण में है, मद्य-निषध नीति लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली आदि सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में कार्यवाही की है।

Shri Vishwa Nath Pandey : In reply to previous question the hon. Minister has stated that the committee on Prohibition recommend in their report

for total prohibition by 1959 and the hon. Minister told us that this question was under Government's consideration. By what time Government is likely to take decision in this regard?

Shri Hathi : We have invited suggestions from all the States. After receiving their replies a conference of Chief Ministers will be called to discuss this matter.

श्रीमती अकम्मा देवी : पूर्ण मद्य निषेध वाले राज्यों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाई जाती है। ऐसे मामलों का पता चलने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बजाय पुलिस उन्हें प्रोत्साहन देती है। क्या सरकार पुलिस कर्मचारियों को अपना मनोबल ऊंचा बनाये रखने के लिये कोई प्रोत्साहन देगी ताकि मद्यनिषेध प्रभावी रूप से लागू हो सके ?

श्री हाथी : अवध शराब बनाये जाने का पता चलने पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती सावित्री निगम : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली में सरकार ने मद्यनिषेध के सम्बन्ध में में कार्यवाही की है। क्या यह सच है कि मद्यनिषेध के दिन, जो पहले ही कम थे, हाल में और कम कर दिये गये हैं ? क्या अभी तक तेकचन्द समिति की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्या शायद शुक्रवार को शराब बेचने की अनुमति देने के सम्बन्ध कह रही हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए जिस दिन यह अनुमति दी गई थी उसी के अगले दिन एक अधिसूचना द्वारा इसे फिर मद्यनिषेध का दिन घोषित कर दिया गया था।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि देश में लोगों की शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही है ? क्या इसे स्थगित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के निदेशक तत्वों का त्याग किया जा रहा है ?

श्री हाथी : वास्तव में यदि यह आदत बढ़ रही है तो इसे कानून द्वारा तथा जनता के विचार इसके विरुद्ध करके रोका जा सकता है। मैं समझता हूं कि गैर सरकारी संस्थाएं भी यह कार्य कर रही हैं।

Shri Tyagi : Perhaps the hon. Minister is not aware of the weakness of drunkard and he might not know that why they are addicted to it. Is it not possible to persue them to give up drinking habit through propaganda against drinking instead of putting any legal pressure on them?

Shri Hathi : In a reply to Dr. Singhvi's question I have stated that it can be stopped by propaganda and also by cultivating public opinion against it.

श्री रामनाथन् चेट्टियार : किन किन राज्यों ने पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया और किन किन राज्यों ने अभी तक नही किया ? उन राज्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाने तथा धीरे धीरे मद्य निषेध लागू कराने के लिय केन्द्र क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री हाथी : गुजरात, महाराष्ट्र तथा मद्रास ने पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया है। अन्य राज्यों के कुछ भागों में मद्य निषेध लागू है और कुछ में नही है, हमने टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार के व्यस्त मस्तिष्क में यह बात नहीं समा पाई हैं कि जब कि राज्य सरकारों का कहना है कि वित्तीय कठिनाई के कारण वे मद्य निषध नीति को क्रियान्वित नहीं कर सकती, इसका मतलब यह है कि मद्य निषेध लागू करना व्यावहारिक नहीं है ?

श्री हाथी : हम इस विषय में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How the foreign liquor and the ilicit liquor seized is utilised by the Government. How much interest has been shown by the Central Government and the State Governments in this scheme?

Mr. Speaker : This question can not be allowed.

श्री बसुमतारी : यह देखा गया है कि बहुत से लोगों को स्वास्थ्य के आधार पर लाइसेंस मिल रहे हैं और मालूम हुआ है कि उनमें से अधिकतर लोग ऊच्च अधिकारी हैं, इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : जब स्वास्थ्य के आधार पर परमिट देने का कानून है, तो उस आधार पर परमिट दिये जा रहे हैं ।

उपभोक्ता भंडार

+

***868. श्री कपूर सिंह :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक प्रेस समाचार ('हिन्दुस्तान टाइम्स', 31 दिसम्बर, 1965, पृष्ठ 4) की ओर दिलाया गया है कि औद्योगिक संस्थानों को उचित मूल्य उपभोक्ता भण्डार (स्टोर) खोलने के लिये बाध्य करने के हेतु भारत सरकार विधान प्रस्तुत कर सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव के मुख्य ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) ऐसे प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में जिसमें 300 या अधिक श्रमिक काम करते हैं, उचित मूल्य की दुकान स्थापित की जायगी और चलाई जायेगी बशर्ते कि कम से कम 200 श्रमिक इस दुकान से कम से कम 6 माह के लिए अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए सहमत हों ।

(2) ये दुकानें राज्य सरकारों द्वारा सप्लाई किया गया चावल, गेहूं और चीनी श्रमिकों को उन्हीं मूल्यों और पैमानों पर दगी जोकि उस क्षेत्र में साधारण उचित मूल्य की दुकानों यदि कोई हों, में प्रचलित है । ये दुकानें दो प्रसिद्ध किस्ममें बनाई जायेंगी जो की निकटतम थोक बाजार मे प्रचलित का कपड़ा, दाल तथा तेल पदार्थ थे.क मूल्यों के बराबर के मूल्यों पर जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय देंगी । इन वस्तुओं के वितरण का खर्च नियोजक द्वारा वहन किया जायेगा ।

(3) यदि नियोजक द्वारा इस प्रकार की उचित मूल्य की दुकान स्थापित करने के तीन साल के के अन्दर सम्बन्धित राज्य कानून के अन्तर्गत के अन्तर्गत उस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों का उपभोक्ता सहकारी समिति (नियोजक के योगदान सहित) नहीं बनाई गई तो नियोजक के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपनी उचित मूल्य की दुकान को चलाता रहे ।

(4) इस अधिनियम के लिए "औद्योगिक प्रतिष्ठान" पद की परिभाषा व्यापक रूप में की जायेगी ताकि उसमें फैक्टरियां और कारखाने, रेल तथा परिवहन सेवायें, पत्तन एवं

गोदियां, खानें, बागान, बैंक और बीमा कम्पनियां, दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और सड़कों, पुलों और नालों के निर्माण कार्य सहित भवन और निर्माण कार्य, सिंचाई और बिजली उत्पादन आदि आ सकें।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली इन उचित मूल्य की दुकानों में सामान आम बाजार भाव पर ही बिकेगा अथवा अलग भाव पर और यदि मूल्यों में अन्तर होगा तो क्यों और कसे ?

श्री शाहनवाज खां : आम स्थानीय बाजार में स्थापित इन उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध वस्तुएं इन भण्डारों द्वारा उसी मूल्य पर बची जायेंगी। किन्तु विचार यह है कि बिक्री मूल्य, थोक मूल्य के बराबर होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यह निर्णय नवम्बर, 1962 में चीनी आक्रमण के समय पर लिया गया था। सरकार ने इस मामले मे इतनी देर क्यों की? क्या यह भी सच है कि कुछ कर्मचारियों ने यह कहा है कि हम दुकानों की व्यवस्था तो कर सकते हैं किन्तु अनाज की नहीं और अनाज की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी; यदि हां तो इस विधान की कब तक लाये जाने की संभावना है; क्या इसी सत्र के दौरान उसे पुरःस्थापित किया जायगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि यह विचार सर्वप्रथम दिसम्बर 1963 में रखा गया था। समय समय पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाता रहा है। जुलाई, 1965 में इस मामले पर काफी उच्च स्तर पर विचार किया गया। सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की गई कि ऐसा करना औद्योगिक सम्बन्धों के हित में रहेगा और इस व्यवस्था को बाध्यकारी विधान के माध्यम के बजाय कर्मचारियों तथा नियोजकों के पारस्परिक सहयोग से लागू किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में नियोजकों को प्रोत्साहित करने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे है कि वे उपभोक्ता सहकारी समितियां खोलने के मामले में अपनी इच्छा से आगे बढ़ें! मुझे खुशी है कि इस बारे में उनकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मनाने की भी कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त : उचित मूल्य की दुकानें खोलने के बारे में सरकार के निर्णय को देखते हुये खाद्य-पदार्थ जैसी वस्तुओं के जिन्हें सरकार उनके माध्यम से बेचने का विचार करती है भाव तथा उनके लाने-लेजाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों का जहां तक सम्बन्ध है क्या सरकार सभी राज्यों में एक जैसी नीति अपनायेगी चाहे वह कमी वाले राज्य हों अथवा नहीं; और क्या राज्यों पर लागू सामान्य सामान्य नियमों के अतिरिक्त सरकार अनाजों का सम्भरण आरम्भ करेगी क्योंकि स्वत: श्रम मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने उन्हें खोला है ?

श्री शाहनवाज खां : अभिप्राय तो यह है कि जिन क्षेत्रों में संविहित राशनिंग व्यवस्था लागू है वहां प्रत्यक उपभोक्ता भंडार को, यदि वह ऐसा चाहे एक राशन की दुकान, के रूप में समझा जायेगा और राज्य सरकार राशन का संभरण करेगी तथा संभरण की गारन्टी देगी। अन्य क्षेत्रों में जहां राशनिंग व्यवस्था आंशिक रुप में लागू है वहां के बारे में भी राज्य सरकारों से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें यह आश्वासन न दिया है कि वे नियमित संभरण बनाये रखने की यथा संभव प्रयत्न करेंगे।

श्री प्रिय गुप्त : एक राज्य से दूसरे को तथा एक जिले से दूसरे जिले को अनाजों के लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। चुंकि भारत सरकार ने इस मामले में पहल की है मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कम से कम इन दुकानों को अन्य क्षत्रों से सप्लाई सुनिश्चित करेगी क्योंकि राशन को अधिकतर दुकानों में खाद्य पदार्थ नहीं हैं।

श्री शाहनवाज खां : राशन का संभरण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा। जहां तक खाद्यान्नों के देशभर में लाने ले जाने का सम्बन्ध है. यह एक व्यापक प्रश्न है जिस पर अलग निर्णय लिया जायेगा। किन्तु इस संगठन द्वारा नहीं।

श्री काशिनाथ पाण्डे : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि इस निर्णय के पश्चात् खोले गये अनेक उपभोक्ता भण्डार खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण बन्द करने पड़े हैं ऐसी स्थिति में जब कि खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई नहीं है, उपभोक्ता भण्डारों को खोलने के सम्बन्ध में यदि विधान प्रस्तुत किया जाये तो उससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि इन उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के खोले जाने पर कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं विचार-विमर्श के दौरान जो मुख्य कठिनाई बताई गई वह यह है कि मजदूर लोग काम तो एक ही औद्योगिक संस्थान में करते हैं किन्तु वे काफी दूर-दूर रहते हैं। काम करने के स्थानों से अपने निवास स्थान तक राशन लेजाने की दिक्कत ही मुख्य कठिनाई थी। हमने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वह उनके काम के स्थानों में दुकानें खोलने के बजाये उनके रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोले और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : खेद है कि सरकार चार वर्ष में केवल सभा के समक्ष नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे पाई है—मैं नहीं जानता कि यह कोई निर्णय भी है। इस बात को देखते हुये कि इग्लैंड तथा अन्य देशों में भी विभिन्न वस्तुओं तथा कर्मचारियों की आम आवश्यकता की चिज़ों की बिक्री का लाभ उठाने से नियोजकों को रोकने के लिये उन्हें ट्रक अधिनियम पारित करने पड़े है और इस प्रकार उन्हें अपने नियंत्रण तथा प्रभाव में रखा गया है, क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन दुकानों के खोले जाने पर नियोजक को किसी भी प्रकार मजदूरों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो, सरकार ने किन्हीं उपायों पर विचार किया है ?

श्री शाहनवाज खां : इस बात को सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि नियोजक लोग इस योजना का अनुचित लाभ न उठाने पायें, यद्यपि इस योजना के नियोजकों द्वारा चलाये जाने की व्यवस्था है, तथापि इन उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का वास्तविक कार्य-संचालन तथा नियंत्रण वास्तविक कार्यकर्ताओं के हाथ में ही रहेगा।

श्री प्र० रं० पटेल : इन उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को खोलने पर औद्योगिक संस्थानों को खाद्यान्न सस्ते मूल्य पर बेचने पड़ेंगे जिससे उनको हानि होगी, क्या उस हानि को सम्बन्धित संस्थानों के लाभ तथा हानि सम्बन्धी लेखों में दिखाने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : स्थापित परम्पराओं तथा परिपाटियों के अनुसार मुख्यत: कुछ बागान क्षेत्रों में, मजदूरों को सस्ता (सहाय्यप्राप्त) राशन देने की प्रथा थी। जहां सुविधाजनक है, वहां अब भी यह प्रथा जारी है किन्तु अन्यत्र जहां को खाद्यान्नों की थोक खरीद की जाती है नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाई करने मे प्रबन्ध को में कठिनाई अनुभव हो रही है।

श्री बूटा सिंह : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि इन दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुएं थोक मूल्य पर बचा जायेगा, क्या सरकार का विचार इन दुकानों को आर्थिक सहायता देने का है ?

श्री शाहनवाज खां : नियोजक देंगे।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री जो ने अभी कहा कि इस योजना पर 1962–63 से बातचीत चल रही है और इन उपभोक्त भण्डारों को वियोजकों द्वारा खोला जाये इस बात को सभी सम्बद्ध पक्षों ने सिन्द्धान्ततः मान लिया है। क्या यह सच है कि कई नियोजकों ने अब महंगाई भत्ते को इन उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के साथ सम्बद्ध करने का प्रश्न उठाया है और यह धमकी दी है कि यदि वे उपभोक्ता भण्डार चाहते हैं, तो मजदूरों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में कमी कर दी जायगी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री शाहनवाज खां : जिन संस्थानों में 300 अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते है, उनमें से देश भर में 65 प्रतिशत संस्थानों में उपभोक्ता सहकारी भंडार तथा उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं और सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या 86 प्रतिशत से भी अधिक है। जहां तक नियोजकों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति का सम्बन्ध है कि महंगाई भत्ते को उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के साथ सम्बद्ध किया जाये, नियोजकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ भिन्न-भिन्न खण्डों में हुई हमारी लगभग सभी वार्ताओं के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है जिसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीकान्तन् नायर : क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि 12 और 13 फरवरी, 1966 को हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में उसने इस मांग को एक बार फिर दुहराया है कि इस सम्बन्ध में विधान बनाना आवश्यक है, 1955 के उस तथाकथित उच्च शक्ति प्राप्त समिति का नाम क्या है जिसने कि भारत सरकार द्वारा गठित स्थायी श्रम समिति के बाद के निर्णय की उपेक्षा की थीं; और क्या इस दिशा में कोई विधान तैयार किया जा रहा है अथवा नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने कहा, इस योजना को लागू करने का अभिप्राय श्रमिकों को उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना है। इसमें नियोजकों द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था है हमने यह सोचा था कि औद्योगिक सम्बन्धों के हित में इसे स्वच्छिक क्रियान्विति के लिये छोड़ देना बेहतर रहेगा। सभी राज्यों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राय जानने के लिय उनसे परामर्श करना जरुरी था। उन्हीं के विचारों के परिणाम स्वरुप यह निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस समूचे प्रश्न के पुर्नविलोकन के लिये अब 30 अप्रैल, 1966 का अन्तिम तारीख निश्चित किया गया है और यदि आवश्यक हुआ, तो हमे विधान पुरःस्थापित करेंगे।

श्री श्रीकान्तन् नायर : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय यह कहते है कि उन्होंने राज्य सरकारों से विचार विमर्ष किया है। स्थायी त्रिपक्षीय समिति, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय मजदूर संघो से बनी है। उक्त समिति में मंत्री महोदय के सामने यह बात तय की गई थी--अलबत्ता उस अवसर पर उपमंत्री जी वहां उपस्थित नहीं थे। यह निर्णय किया गया था कि यदि तीन वर्ष के बाद तक भी 40 प्रतिशत नियोजक इस कार्यरूप न दें, तो उस स्थिति में विधान अवश्य ही पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : स्थिति की आवश्यकता के अनुरूप नियोजकों का प्रत्युत्तर सन्तोषजनक न मिलने पर निश्चित रूप से विधान बनाना आवश्यक हो जायेगा। जैसा कि मेरे सहयोगी ने सभा को पहले सूचित किया है कि 65 प्रतिशत संस्थानों में ये भण्डार तथा दुकानें अब तक खोली जा चुकी हैं। यदि शेष अवधि में यह महसूस किया गया कि उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा उचित मूल्य की दुकानों के अग्रतर विस्तार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तब विधान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा ऐसा करने की जरुरत शायद महसूस न हो।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि जगजीवन राम नगर नामक स्थान पर स्थित खान कल्याण निधि का केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधा प्रशासित किया जाता है, क्या वहां के 50 हजार मजदूरों के लिये सभी अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिय सरकार सक्रिय कार्यवाही कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : कोयला खान क्षेत्रों में चलने वाले उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा उचित मूल्य की दुकानों की पद्धति बहुत अच्छी है। माननीय सदस्य को यह जानकार खुशी होगी कि इस निधि में सन्तोशजनक रूप से काम चल रहा है।

Science Congress, Chandigarh

*780. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the specific decisions taken at the Science Congress Session held at Chandigarh in January, 1966 ; and

(b) extent to which Government agree with those decisions?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandaran) : (a) and (b). It is reported by the General Secretary, Indian Science Congress Association, that no specific decision was taken at the Science Congress Session held at Chandigarh in January, 1966, which would require action by the Government.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether Government will decide on the basis of the Science Congress to adopt measures leading to the physical and mental development of students in educational institutes with a view to making them good citizens of the nation?

श्रीमती सौन्द्रम रामचंद्रन : भारतीय विज्ञान कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसके उद्देश्य विज्ञान आदि के पाठ्यक्रमों में विकास करना है। वे प्रतिवर्ष एक अधिवेशन आयोजित करते हैं जिसमें विख्यात वैज्ञानिक द्वारा कई पत्र पढ़े जाते हैं। समाज को शिक्षित करने की दिशा में वे निति निर्धारित नहीं करते, वे अपनी रिपोर्ट हमें भेज देते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the Government propose to see that good relations develop between the teacher and the taught and also the courses of education right from primary upto university stages are improved?

श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन : वे उच्च शिक्षा विशेषत: वैज्ञानिकों का निकाय बनाने विदेशों से उपाधि-प्राप्त डाक्टरों को अधिक महत्व देने तथा प्रतिभाशाली युवकों और महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के बारे में मार्गोपाय सुझाते हैं; फिर इस नीति को अपनाने के सम्बन्ध में सुझाव देते हैं कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए ही अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये कि उसके पास विदेशों से प्राप्त उपाधि है। अत: उन्होंने इसमें सुधार करने के उपाय सुझाये हैं ; किन्तु इसका सम्बन्ध स्कुल तथा कालेज में औपचारिक शिक्षा से ही नहीं है।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या यह सच है इस विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में डा० नील रतन धर नामक एक विख्यात वैज्ञानिक ने इस आशय का एक पत्र पढ़ा था कि उर्वरकों का प्रयोग भूमि के लिये हानिकर है और इस्पात-मल (स्वैत्र) मिली हुई गट्ठे की खाद (कम्पोस्ट) बहुत लाभप्रद होती है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने जानकारी प्राप्त की है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन : कोई ऐसी विशिष्ट सिफारिश नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्होंने इस बारे में एक पत्र पढ़ा है। क्या सरकार को ईसकी जानकारी है ?

श्रीमती सौन्द्रम रामचन्द्रन : जी नहीं। हमारे पास वे कागजात हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : Whether the attention of the Government has been drawn to the fact that all the scientists participating in the Science Congress have made a general complaint that Indian Scientists are not given full facilities and encouragement in the research work. Instead of Indian scientists foreign scientists are called upon to work and the research work done

by them can be done by Indian scientists. If so, the steps being taken by the Government in that direction.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं माननीय मित्र को आश्वासन दिलाता हूं कि अनुसन्धान-कर्ताओं को प्रत्यक सुविधा दी जा रही है । वे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। यदि माननीय मित्र को कोई सन्देह है तो उन्हें हमारी 25 राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओं को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि वह स्वयं देख सकें कि वैज्ञानिकों के लिए अनुसन्धान के लिए उचित वातावरण है या नहीं ।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

\+
***873. श्री दे० शि० पाटिल :**

श्री तुलशीदास जाधव :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1966 में दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया गया ;

(ख) उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) से (ग) : मुख्य मंत्रियों का कोई औपचारिक सम्मेलन नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिये आये थे । उनकी उपस्थिति का लाभ उठाये हुए विभिन्न मामलों पर एक अनौपचारिक और सामान्य विचारविमर्ष किया गया । इन मामलों में भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के मनचाहे और आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल को रोकने के लिये सुरक्षात्मक उपाय शामिल थे । गृह-मंत्री 28 फरवरी, 1966 को लोक सभा में इस विषय पर एक वक्तव्य दे चुके हैं ।

Shri D. S. Patil : Whether any meeting of the Government was held after that conference of the Chief Ministers and whether any decisions were taken thereat?

Shri Hathi : No meeting was held after that.

Shri Sidheshwar Prasad : I would like to know the matters discussed in that meeting of the Chief Ministers. Whether the Government of India gave any advice to the Chief Ministers to maintain law and order in the Country?

Shri Hathi : I have given a statement in the House regarding the discussion.

जकार्ता में भारतीय राजदूतावास के वाणिज्यिक अनुभाग का बंद किया जाना

अ०सू०प्र० 15. श्री कपूर सिंह :

श्री बूटा सिंह :

श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जकार्ता में भारतीय राजदूतावास के वाणिज्यिक अनुभाग को बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसपर इन्दोनेशिया के वर्तमान शासन की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : नवम्बर 1965 में सरकार ने जकर्ता में भारतीय राजदूतावास के वाणिज्यिक अनुभाग को बन्द करने का निर्णय किया था क्योंकि वास्तव में कोई व्यापार विनिमय नहीं हुआ था और इसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती थी । हां, हाल की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकारने वाणिज्यिक सचिव को रखे रखने का निर्णय किया है ।

श्री कपूर सिंह : सरकार की अपनी कार्यवाहियों द्वारा, जैसे कि यह कि जकार्ता में साम्यवादियों का जो वध किया गया है उस पर हमारी सरकार कोई खुश नहीं है, जो सामान्य धारणा बन गई है उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन्दोनेशिया में किस प्रकार की सरकार हो, यह मामला आवश्यक रूप से वहां के लोगों के लिये है । मैं ने तारीख दे दी है कि वाणिज्यिक अनुभाग को बन्द करने का निर्णय हमने नवम्बर, 1965 में लिया था । भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद यह निर्णय किया गया था और उस समय इन्दोनेशिया की सरकार ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सहायता दी थी और हमारे राजदूतावास के सामने अनेक प्रदर्शन किये गये थे । हमने देखा कि काम करना बिलकुल असंभव हो गया था और व्यापार में सुधार की कोई संभावन नहीं थी । जैसा कि मैंने कहा, यह निर्णय नवम्बर, 1965 में लिया गया था । अब जैसा कि मैंने पहले बताया हमने वाणिज्यिक सचिव को बहाल करने का निर्णय किया है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि व्यापार की संभावनाओं में सुधार हो सकता है ।

श्री बूटा सिंह : इन्दोनेशिया में हुई हाल की घटनाओं से संकेत मिलता है कि उस देश में चीन का प्रभाव तेज़ी से घटता जा रहा है । इसको देखते हुए क्या सरकार उस देश से संबंध सुधारने की चेष्टा करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम सदैव ही इन्दोनेशिया और भारत के बीच संबंधों में सुधार करने के लिये उत्सुक रहे है । दुर्भाग्य से, भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय उस देश ने पाकिस्तान को जो जोरदार सहायता दी उससे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गये । हम अपनी ओर इन्दोनेशिया और भारत के बीच संबंधों को सुधारने के लिये सदैव ही उत्सुक रहे हैं और उत्सुक रहेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कि यह वाणिज्यिक अनुभाग नवम्बर, 1965 में बन्द किया गया था, तो इस प्रश्न को एक अल्प सूचना प्रश्न के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है ? ऐसे बहुत से अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं जिनपर अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं किये हैं । इस प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार करने के क्या कारण हैं जबकि निर्णय गत वर्ष नवम्बर में लिया गया था । इस विषय के यहां उठाये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है । मैं यह नहीं जानता । अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनपर अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मुझे इसकी जानकारी नहीं हो सकती थी ।

डा० रानेन सेन : अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जाता ।

अध्यक्ष महोदय : मुझें पता नहीं लग सकता था कि यह हो गया है । वह एक जानकारी थी जो कि मंत्री महोदय द्वारा दी जानी थी ।

श्री उ० मू० त्रिवदी : प्रश्न में क्या गलती है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जानकारी दी है। अन्यथा यह उनके पास ही रह जाती। लोगों को इसका कैसे पता लगता ? इसमें कोई गलती नहीं थी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्डोनेशिया ने पाकिस्तान की ओर सदव सहानुभूति प्रकट की है, इन्डोनेशिया के साथ संबंधों पर पुनःविचार क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पुनः विचार से मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य का सही अर्थ क्या है। हां, प्रत्येक देश के साथ हमारे संबंधों पर बराबर विचार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक सुझाव था।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सभी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का हमें प्रयत्न करना चाहिये और हमें समस्या पर उस दृष्टि कोण से नहीं देखना चाहिये जिस दृष्टिकोण से कि माननीय सदस्य इस समस्या को देखते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि इन्डोनेशिया में हाल ही में हुई तब्दीली के परिणाम स्वरूप चीन समर्थक साम्यवादी दल की हार के पश्चात इन्डोनेशिया की नई सरकार ने भारत के साथ अच्छे संबंधों के चिन्ह दर्शाये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं कोई अटकल लगाने की बजाये अभी प्रतीक्षा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या अभी तक कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय तक वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : हमने पिछले छः या आठ महीनों के दौरान जिस सद्भावना, मित्रता और समझौते के लिये जो इजहार किया उसके प्रति इन्डोनेशिया की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रतिक्रिया समान नहीं रही है। प्रतिक्रिया समय समय पर बदलती रही है।

Shri Kashi Ram Gupta : Recently the Finance Minister stated that some letters have been found with the Mizo hostiles which show that they had demanded help from Indonesia. May I know whether the decision to improve trade relations with that country had been taken before the record of correspondence was placed or after that; if this decision had been after the tracing of the record of correspondence, the basis for that decision?

Shri Swaran Singh : This decision was taken in November, 1965, but this office had to come back in April. In the meantime this upheaval took place in Indonesia. Since it is hoped that the trade prospects might improve, we have taken decision to bring that officer in position.

Shri Kashi Ram Gupta : Mr. Speaker, Sir my question was different. I had asked whether this decision had been taken before or after the documents were recovered from the Mizo rebels. Mizo rebels had demanded help from Indonesia, in this regard some documents had been recovered from them. My question is whether this decision was taken before or after that recovery.

Shri Swaran Singh : When the documents were recovered and from where, with this it has no relevance. This question relates to trade. It has no relevance with any other thing.

Mr. Speaker : Shri Kachhavaiya : ....

Shri Bagri : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order at present.

Shri Bagri : Sir, when you allow a question, the Minister has no right to say that this question does not arise. He must answer the question then.

Mr. Speaker : The Minister has got the right to draw my attention to that and if I agree to that the same result follows. —Shri Kachhavaiya.

Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Is it a fact that at the time of Indo-Pak conflict Indonesia openly supported Pakistan which was due to the fact that prior that we had not established good relations with Indonesia?

Mr. Speaker : Does the hon. Member mean that what they did was right and what we did was wrong.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिजीवाणु पदार्थों (एन्टीबायटिक्स) तथा औषधियों में आत्म-निर्भरता

*863. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रतिजीवाणु पदार्थों तथा औषधियों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस बारे में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) : खपत की उपनितियों (trends) भारत सरकार द्वारा हाथ में लिये गये स्वास्थ्य कार्यक्रमों कच्चे माल की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये रसायन उद्योगों में होने वाले विकासों के आधार पर उत्पादन के लक्ष्यों को कार्यान्विती के लिय बनाया जाता है । इन लक्ष्यों के आधार पर देशीय उत्पादन की क्षमताओं के लिये लायन्सेस दिये जाते हैं और क्षमतायें स्थापित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिजीवाणु पदार्थों को शामिल करते हुए विभिन्न आवश्यक औषधियां इण्डियन ड्रग्ज और फार्मास्यूटिकल्स लि० में जो एक सरकारी क्षेत्र की उपक्रम (undertaking) है, तैयार की जाती हैं । ण्डियन ड्रग्ज और फार्मास्यिटिकल्स लि० के दो यूनिटों अर्थात् एण्टीबायाटक्स परियोजना, ऋषिकेश और सिन्थटिक ड्रग्ज परियोजना, हैदराबाद के इस वर्ष में उत्पादन करने की आशा है । इसके अलावा हिन्दुस्थान एण्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी (दूसरी सरकारी क्षेत्रीय परियोजना) के उत्पादन की क्षमता का भी विस्तार किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में विकसित प्रक्रिया को अपनाते हुए यह यूनिट विटामिन "सी" का भी उत्पादन करेगा ।

यह पूर्वानुमानित है कि जब समस्त सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं पूर्ण उत्पादन करने लगेंगीं और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक देश अधिकांश आवश्यक औषधियों में लगभग आत्म-निर्भर हो जायगा ।

भूतपूर्व मिजो नेता की हत्या

***869. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1966 को ऐजल के निकट हथियारबन्द उप वियों के एक गिरोह ने मिजो नेता, श्री लैमाना, को घात लगाकर घर लिया और गोली से उड़ा दिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अपराध के प्रयोजन का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जांच अभी जारी है ।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां करने हेतु आर्थिक पूंज (इकनामिक पुल)

***871. श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विविध प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्तियां करने के हेतु एक आर्थिक पूंज बनाने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय आर्थिक पूंज के निर्माण के बारे में विभिन्न पहलुओं पर अभी तक विचार किया जा रहा है ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

***872. श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में देश में पहली बार तकनीकी ग्रेड मेंथाल का उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उत्पाद के लिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कित ी है ; और

(ग) इस उत्पाद के लिये देश की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) ट्राम्बे में मेथानोल संयन्त्र का परीक्षण उत्पादन चल रहा है । मई—जून 1966 तक व्यापारिक उत्पादन के शुरू होने की आशा है ।

(ख) प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन ।

(ग) इस समय लगभग 30,000 मीटरी टन किन्तु निकट भविष्य में इस के और बढ़ने की आशा है ।

मध्य-पूर्व से कच्चा तेल

***874. डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को कच्चा तेल मध्य पूर्व से 40 से 45 प्रतिशत तक रिआयत पर मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रिआयत लेने में भारत के मार्ग में क्या बाधा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) इस बारे में कोई सरकारी सूचना नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी अधिक रियायतें (discounts) मिलती हैं ?

(ख) पाकिस्तान को कुछ भी मिलता हो, मध्य-पूर्व से भारत में आयातित कच्चे तेल की कुछ किस्मों पर रियायत का दर सूचित दामों से 38 सैन्टस कम है।

प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा

*875. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा आरम्भ करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये राज्यों को कोई सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में किसी न किसी रूप में सामान्य विज्ञान (General Science) सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भी विज्ञान शिक्षा (Science Eduation) में सुधार करने तथा उसे सबल बनाने का विचार है।

(ख) जी, हां।

राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन

*876. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1959 में आक्सफोर्ड में हुए राष्ट्रमण्डल शिक्षा सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये गये और क्या क्या संकल्प स्वीकृत किये गये,

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ग) बाद में यदि कोई परिवर्तन किये गये, तो क्या, और

(घ) तत्पश्चात् भारत द्वारा किसी रूप में किसी राष्ट्रमण्डल देश को क्या सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०5964/66]**

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति में डाक टिकट

*877. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय के कुछ सुझाव प्राप्त हुए है कि सरकार को स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर की स्मृति में एक विशेष डाक-टिकट जारी करना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो किन से ; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की नागरिक परिषद से।

(ग) इस प्रस्ताव को डाक तथा तार विभाग की डाक-टिकट सलाहकार समिति के विचारार्थ रखा जाएगा। फिर भी सिक्युरिटी प्रस की सीमित क्षमता तथा चिपकने वाले कागज़ की कमी के कारण, जो कि आयात किया जाता है, इस टिकट को 1966 के दौरान जारी करना संभव नहीं हो सकेगा।

महाराष्ट्र में हल्के डीजल तेल और मिट्टी के तेल की कमी

***878. श्री दिगे :** **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री तु० अ० पाटिल : **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री कांबले : **श्री मुकाने :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र राज्य में हल्के डीजन तेल और मिट्टी के तेल की अत्याधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को उक्त वस्तुएं शीघ्र देने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) हाल के महीनों में महाराष्ट्र में सामान्य मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल की सप्लाई पर्याप्त रही है। महाराष्ट्र में अक्तूबर, 1965 से अक्तूबर 1964 की तदुनरूपी अवधि के मुकाबले में हल्के डीज़ल तेल की सप्लाई अधिक रही है।

(ख) 1-3-1966 से प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक कम्पनी का कोटा निश्चित कर दिया है। हर महीने में हल्के डोज़ल तेल की एक सप्लाई योजना बनाई जाती है और उपलब्ध सप्लाई एंव बम्बई को शोधनशालाओं के उत्पादन से सप्लाई किये गये समस्त क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र का कोटा निर्धारित किया जाता है।

श्रीमती सरोजिनी देवी द्वारा अनशन

***879. श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को श्री काकोदकर, गोवा कांग्रेस के प्रधान के ठौर ठिकाने के संबंध में मैसूर की श्रीमती सरोजिनी देवी तथा अन्य व्यक्तियों और मैसूर सरकार से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या उत्तर भेजा गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग के पदाधिकारी से किसी प्रकार के प्रमाणित समाचार प्राप्त करने के लिये होसपेट के सैकड़ों व्यक्तियों ने श्रीमती सरोजिनी देवी के साथ मैसूर राज्य में सार्वजनिक अनशन आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में और आगे क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख): जी हां। महाराष्ट्र सरकार को जांच के संबन्ध में सहायता देने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की गई। इसलिये एक मामले में प्राप्ति स्वीकार करने के अलावा और कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) श्रीमती सरोजिनी कोट्टूर शेट्टार ने 26 फरवरी, 1966 के प्रातःकाल से 5 मार्च, 1966 के अध्यान्ह तक अनशन रखा। किन्तु इस पर आम जनता ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया।

(घ) जांच कार्य में शीघ्रता करने के लिये उचित कदम उठाये गए हैं।

मिजो विद्रोह

*880. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य के मिज़ो पहाड़ी जिले में मिज़ो विद्रोहियों द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह बहुत कुछ दबा दिया गया है ;

(ख) क्या विद्रोही मिज़ो के दस्ते बच निकलने के लिये पूर्व में चिन पहाड़ियों, दक्षिण में अराकान तथा पश्चिम में पूर्व पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर भाग रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग): इस विषय पर 25 मार्च 1966 को गृह मंत्री महोदय एक विस्तृत वक्तव्य पहले ही दे चुके हैं। उस वक्तव्य से आगे और कुछ नहीं कहना है।

कोककर कोयले के बिना लोहा

*881. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयालगोडा, धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ने बिना कोककर कोयले के लोहा तैयार करने के संबंध में एक नया तरीका खोज निकाला है,

(ख) यदि हां, तो कोककर कोयला के जिसका संभरण सीमित हैं, प्रयोग में मितव्ययता करने की दृष्टि से इस नये अनुसंधान से लाभ उठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस दिशा में और अनुसंधान जारी रखने के लिए अनुसंधान कर्मचारियों को किस प्रकार के और अधिक प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला): (क) जी, नहीं। वास्तव में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था (Central Fuel Research Institute) जीलगोरा ने लोहा बनानेके लिए कुछ कच्चे द्रव्यों को मिला कर गैर-कोककर कोयले से धातुकर्म-कोककर को स्थानापन्न करने के लिए एक तरीका विकसित किया है।

(ख) तरीके की अभी भी खोज की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं व संस्थाओं में असाधारण कोटि का कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिये "योग्यता-पदोन्नति" (Merit promotion) तथा अग्रिम वेतन वृद्धि की मंजूरी के लिए योजना मौजूद हैं।

गोआ का भविष्य

*882. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के मुख्य मंत्री ने गोआ निवासियों के भविष्य के बारे में शीघ्र निर्णय करने के लिये प्रधान मंत्री से प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नागरिक सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थानों को हुई क्षति

***883. श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लखमू भवानी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ताशकन्द घोषणा के अधीन सैनिकों की वापसी के बारे में 3 मार्च, 1966 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि पाकिस्तान द्वारा खाली किये गये स्थानों में नागरिक सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई है ; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे में कोई बातचीत की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : श्रीमन्, सूचना एकत्रित की जा रही है।

आपातकालीन कानूनों का प्रवर्तन

***884. श्री मधु लिमये :**
श्री मौर्य :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मिट्टी के तेल के व्यापारी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपात्-कालीन कानूनों के प्रवर्तन के बारे में व्यक्त किये गये मत के परिणामों पर सरकार ने संसद् में इस विषय पर गृह-मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात सावधानीपूवक अग्रतर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या आपात्कालीन स्थिति को समाप्त करने का निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग): गृह मंत्री द्वारा इस बारे में 28 फरवरी, 1966 को जो वक्तव्य दिया गया था उसके आगे कहने के लिये कुछ भी नहीं है।

नेफा के लिये सलाहकार परिषद्

***885. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती रेणूका बड़कटकी
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि उत्तरपूर्व सीमान्त अभिकरण के लिये एक सलाहकार परिषद् बनाई जाय ;

(ख) यदि हां, तो यह सिफारिश कब की गई ; और

(ग) सिफारिश की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क), (ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

असम के राज्यपाल ने एक समिति नियुक्त की थी जिसमें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसकी शिफ़ारिशें मुख्यतः इस प्रकार हैं :—

(क) अभिकरण के स्तर पर समिति ने यह सिफारिश की हैं कि पांच जिला परिषदों में प्रत्येक से चार चार निर्वाचित सदस्यों की एक सलाहकार परिषद बनाई जाय। नेफ़ा का संसद सदस्य इस समिति का पदेन सदस्य होगा।

(ख) यह परिषद शिलांग में वष में एक या दो बार राज्यपाल से मिलेगी।

(ग) अभिकरण की पंचवर्षीय योजना तथा ज़िलों के लिये वार्षिक बजट प्रस्ताव और निधि के आवन्टन पर विस्तृत विचार विमर्ष करेगी। अभिकरण में नए विनियम लागू करने के प्रस्ताव या कर लगाने के प्रश्नों पर भी यह परिषद् विचार विमर्ष कर सकती है।

पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा पहले से दिये गये बोनस की वसूली

*886. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पेट्रोलियम कम्पनियां बोनस अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के अनुसार अपने कर्मचारियों से कुछ धनराशि वसूल करने का प्रयत्न कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तीन तेल कम्पनियों ने दावा किया है कि पिछले सालों के बोनस में कुछ तथा कथित अधिक भुगतान की राशि श्रमकों से वसूली-योग्य है।

(ख) सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना

*887. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यप्रदेश में सुपर-फास्फेट वाले उर्वरक का एक कारखाना स्थापित करने की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में निर्णय किया जा चुका है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर 1964 में विचार किया गया था किन्तु खर्चीले हो होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

गर-सरकारी क्षेत्र में तीन पार्टियों को लाइसेन्स दिये गये। इनमें से केवल एक ने सुपर-फास्फेट को तैयार करने की स्कीम को कार्यान्वित किया। शेष दो के लाइसेन्सों को रद्द करना पड़ा।

इस समय सुपर-फास्फट उर्वरक को तयार करने के लिए तीन पार्टियों के औद्योगिक लाइसेन्स सरकार के विचाराधीन हैं।

Rehabilitation of Anti-National Elements in Kashmir

***888. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Hem Barua :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Maurya :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri Nath Pai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some persons are being rehabilitated in Jammu and Kashmir in the same areas wherefrom those had left for Pakistan after the Pak. forces had occupied those areas ;

(b) whether it is a fact that more than 30,000 of these persons had been given regular training in Pakistan in the use of fire-arms and other war-tactics ;

(c) whether it is also a fact that they include some of those persons who had been including in anti-Government activities previously; and

(d) if so, the Central Government's reaction thereto?

The Home Minister (Shri Nanda) : (a) The attention of the Hon'able Member is invited to the reply given to the Unstarred Question No. 2300 on 16th March, 1966.

(b) Reports have been received that a large number of persons including many who had gone over to Pakistan Occupied Kashmir have been given training in Pakistan in the use of fire arms and for operating as guerillas.

(c) Government have not definite information.

(d) The Central Government and the State Governments are vigilant to prevent persons who indulged in subversive activities and who have migrated to Pakistan or Pakistan Occupied Kashmir from coming back to India.

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक

***889. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान योजना के, जो अब नेशनल फिटनेस कोर के साथ मिला दी गई है, 7,000 प्रशिक्षकों को राज्यों को स्थानान्तरित करने के लिए कार्यवाही की है,

(ख) क्या नेशनल फिटनेस कोर का समेकित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य सरकारों की देख रेख में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्रियान्वित किया जायेगा,

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक लागू किये जाने का अनुमान है ;

(घ) इस नई योजना को तीव्र गति देने के लिए केन्द्र ने राज्यों के लिए विशेष तौर पर यदि कोई धनराशि नियत की है, तो कितनी ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन प्रशिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उन के वित्तीय तथा सेवा हितों की रक्षा की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्यक्रम अधिकतर राज्यों में पहले ही लागू किया जा चुका है।

(घ) चौथी पंच वर्षीय आयोजना के लिए 50 : 50 के आधार पर राज्यों की सहायता के लिए 50 लाख रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में नियत किए गए हैं।

(ङ) भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए कोशिशें की जा रही हैं।

बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

***890. श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल से अब तक उत्पादन की कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सलाह दी गई ; और

(घ) क्या बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में सभी मजदूरों की हड़ताल को, जिसकी कि धमकी दी गई है, तथा उससे होने वाली और अधिक हानि को रोकने के लिये विवाद में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लगभग 370 लाख मीटर कपड़ और 80 लाख किलोग्राम सूत के उत्पादन की क्षति बताई जाती है।

(ख) जी नही।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य सरकार इससे पूर्णतः अवगत है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता।

डाक व तार सर्किलों के मुख्य अधिकारियों का सम्मेलन

2985. श्री अ० क० गोपालन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1965 में नई दिल्ली में डाक व तार सर्किलों के प्रधानों का जो सम्मेलन हुआ था क्या उसमें डाक व तार और दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिये बहुत सी सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिशें की गई थीं;

(ग) क्या बहुत से टेलीफोन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में इस बकाया राशि को वसुल करने के लिये किन्हीं प्रभावी उपायों के बारे में विचार किया गया था ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) डाक तथा तार सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न सूची में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5945/66]**

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

बम्बई के कपड़ा मिलों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता

2986. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के कपड़ा मिल मालिकों ने श्रमिकों को अब तक दिये जा रहे महंगाई भत्तों में बड़ी कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

मन्नती पशुशाला (लाइव स्टाक फार्म)

2987. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्नती पशुशाला, त्रिचूर में हाल में कोई औद्योगिक विवाद उठ खड़ा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो वह विवाद किन बातों के बारे में था; और

(ग) क्या कोई समझौता हुआ था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला सामयिक मजदूरों में काम के बंटवारे से संबंधित था।

(ग) त्रिचूर के जिला श्रम अधिकारी द्वारा 10-11-1965 को बुलाये गये सम्मेलन में सम्बन्धित पक्षों में एक समझौता हुआ। इसमें युनियन सीधी कार्यवाही न करने पर सहमत हो गई। किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

केरल औद्योगिक सम्बन्ध बोर्ड

2988. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम में हुए त्रिपक्षीय सम्मेलन ने केरल औद्योगिक संबंध बोर्ड के पुनर्गठन के लिये प्रार्थना की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगर तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) राज्य औद्योगिक संबंध बोर्ड के पुनर्गठन का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केरल में पंचवर्षीय कार्यक्रम

2989. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हजारों स्कूलों की इमारतों के सुधार के लिए केरल सरकार ने एक पंच-वर्षीय क्रमबद्ध कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1964-65 में कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(घ) क्या कई सरकारी स्कूलों की इमारतों में अविलम्ब सुधार किये जाने की आवश्यकता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विभागीय स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार का कार्यक्रम उसकी पंचवर्षीय आयोजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान 600 लोअर प्राइमरी स्कूलों, 350 अपर प्राइमरी स्कूलों और 204 हाई स्कूलों के नए भवनों अथवा अतिरिक्त आवास के लिए क्रमशः 110 लाख रुपये, 50 लाख रुपये और 46.41 लाख रुपये की अनुमानित खर्च की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था।

(ग) 29.302 लाख रुपये ।

(घ) जी हां ।

डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2990. **श्री प० कुन्हन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में केरल में डाक व तार कर्मचारियों के लिये, जिलावार, कितने पारिवारिक क्वार्टर बनाये गये ; और

(ख) इसके लिये कुल कितनी राशि नियत की गई और राज्य सरकार ने कितनी राशि खर्च की ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जिलावार बनाये गए क्वार्टरों की संख्या :—

	1964-65 के दौरान	1965-66 के दौरान
एर्नाकुलम	4	..
त्रिचूर	..	1
कालीकट	..	1
कोट्टायम	..	1
एलेप्पै	..	1

(ख) केरल डाक-तार परिमण्डल के सम्बन्ध में खर्च की गई रक़म और वह रक़म जिसकी व्यवस्था की गई, इस प्रकार है :—

	वह रक़म जिसकी व्यवस्था की गई	खर्च की गई रक़म
	रुपये	रुपये
1964-65 में	1,59,000	1,71,743
1965-66 में	1,27,000	17,098*

*वर्षभर के खर्चे का वर्ष के अन्त में पता लग पाता है। यह रक़म वह है जो कि अब तक बुक की जा चुकी है।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को सहायता

2991. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को दी जाने वाली सहायता का क्षेत्र बढ़ाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो राजनीतिक पीड़ितों की विस्तारित परिभाषा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस समय कितने छात्रों को सहायता मिल रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सूचना केरल सरकार से मांगी गई है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

शारीरिक शिक्षा के लिए बोर्ड

2992. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा-क्षेत्र में केन्द्रीय संस्था के प्रशासन बोर्ड का सरकार ने पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य कौन-कौन है; और

(ग) उसकी शक्तियां तथा कार्य क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकारने शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्था की प्रशासन समिति स्थापित की है।

(ख) समिति के बोर्ड के 17 सदस्य होंगे जिनका उपबन्ध निम्न प्रकार से किया गया है :—

(एक) सभापति भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(दो) भारत सरकार के तीन से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगें ; इस प्रकार नामनिर्देशित प्रतिनिधि में से एक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करेगा।

(तीन) अखिल भारतीय खेल कूद परिषद का एक प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा ;

(चार) 12 से अनधिक सदस्य भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे जिनमें से एक सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा।

(ग) समिति के प्रबन्धक बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य निम्न होंगें:—

(1) समिति के सभी कार्यों तथा निधियों का प्रबन्ध और शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्था का प्रशासन;

(2) समिति की सभी शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार बशर्ते के सदैव बोर्ड को समिति की निधियों में से खर्च के मामले में भारत सरकार से अधिक शक्तिया नहीं होंगी जो कि उसको सरकारी निधियों में से खर्च करने के संबंध में प्राप्त हैं।

(3) ऊपर दिये गये उपबन्धों की सामान्यता के प्रति प्रतिकूल प्रभाव न रखते हुए, बोर्ड को निम्न शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(एक) भारत सरकार की अनमति से एसी उपविधियां बनाना जैसी कि वह समिति के कार्य संचालन के लिये तथा बजट प्राक्कलनों की तैयारी तथा मंजूरी, व्यय की मंजूरी समिति की निधियों के विनियोजन तथा इस विनियोजन की बिक्री अथवा उसमें कोई परिवर्तन के लिये और किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो कि समिति के कार्यों तथा निधियों के प्रबन्ध और केन्द्रीय संस्थाओं के प्रशासन और नियन्त्रण के लिये आवश्यक हो, उचित समझे ;

(दो) ऐसी शक्तियों के साथ जिन्हें कि बोर्ड उचित समझे जब भी आवश्यक हो कोई समिति या उप-समिति नियुक्त करना।

स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भारतीय संस्कृति विषय का शामिल किया जाना

2993. **श्री जेध :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्तर से स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भारतीय संस्कृति का विषय शामल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) इस के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा I से XI तक के लिए समाज अध्ययन पर तैयार किए गए मसौदा पाठ्यचर्या में भारतीय संस्कृति के पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

परिषद ने इस पाठ्यचर्या की प्रतियां राज्य सरकारों को विचारार्थ भेज दी हैं और वे इस पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्य पुस्तकें भी प्रकाशित कर रही हैं।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये सहकारी स्टोर

2994. **श्री प० कुन्हन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास मंत्री** 23 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रीमियर टायर्स लिमिटेड, कलमस्सेरी, केरल में अब तक कोई सहकारी स्टोर खोला जा चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं।

अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

2995. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक महीने से केरल राज्य के कोट्टायम जिले में किसी भी डाकघर में अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तर्देशीय पत्रों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही ी गई है?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां, अन्तर्देशीय पत्रों की कुछ कमी रही है।

(ख) डाक-टिकट नियन्त्रक, नासिक द्वारा अपर्याप्त सप्लाई।

(ग) ज्योंही इस कमी का पता चला त्योंही नासिक के डाक-टिकट भण्डार से फौरन सप्लाई की व्यवस्था की गई। पर्याप्त सप्लाई पहले से ही की जा चुकी है और अब स्थिति सन्तोषजनक है।

केरल के नगरों में पुलिस की कथित ज्यादतियां

2996. **श्री वासुदेवन नायर**
श्री वारियर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बालरामपुरम् और तृप्पूणित्तूरा में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जांच करने का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश-पद क्या हैं ?

गृह-काय मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) कोई निर्देश-पद उल्लिखित नहीं हैं।

वियूर जेल में पानी की कमी

2997. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में वियूर जेल में पानी की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जेल में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) वियूर जेल को त्रिचूर जल-प्रदाय योजना से पानी देने का एक सुझाव विचाराधीन है।

लेखा विभाग के एक क्लर्क द्वारा आत्महत्या

2998. **श्री लखमू भवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मार्च, 1966 को लेखा विभाग के एक क्लर्क ने निराश होकर नेताजी नगर में आत्महत्या कर ली;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) क्या उसके निराश होने के कारणों का पता लगाया जा सका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयकर कार्यालय, रेस कोर्स कैम्प, नई दिल्ली के एक क्लर्क ने आत्महत्या की थी।

(ख) तथा (ग) : अभी जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2999. **श्री सिद्दय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय के नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम तथा अन्य लिमिटेड कम्पनियां हैं;

(ख) प्रत्येक उपक्रम और समवाय में पहली मार्च, 1966 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कमचारी थे;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पद सुरक्षित रखे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में 1-3-1966 को अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कमचारी हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) संचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड मद्रास नाम के दो सरकारी उपक्रम हैं। दोनों ही निजी सीमित समवायों (प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों) के रूप में चलाई जा रही हैं।

(ख) से (घ) तक : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6946/66]**

उपूसी (नफा) में शिक्षा सम्बन्धी नीति

3000. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपूसी में शिक्षा संबंधी नीति में कोई एकरूपता नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एकरूपता न होने के परिणामस्वरूप छात्रों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : नेफ़ा में शिक्षा की सामान्य नीति देश के अन्य भागों के समान हैं । परन्तु प्राथमिक अवस्था से नेफा के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न ने कुछ कठिनाइयां पैदा कर दी है । एरिंग समिति ने इस संबंध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं, तथा उन पर विचार किया जा रहा है ।

उपूसी (नेफा) का मुख्यालय

3001. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के मुख्यालय को शिलांग से हटाकर नेफा में कहीं अन्यत्र ले जाने की कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : अभी ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

Books in India Office Library

3002. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of books in the India Office Library, London at present and the date when this Library came into being ;

(b) the number of times the stock taking of the books of this Library has been conducted so far and the number of books found missing as a result thereof ; and

(c) the action taken in this regard?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). As the India Office Library is at the moment in the hands of the British Government the Government of India do not have the required information.

(c) Does not arise.

Central Hindi Directorate

3003. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1682 on the 1st December, 1965 and state :

(a) the progress since made in regard to declaring permanent the posts of Research Assistants in the Central Hindi Directorate ; and

(b) if no progress has been made, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The matter is under consideration of the Government and it

is difficult at this stage to say when the final decision can be taken. Every possible effort is being made to expedite the case.

Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology

3004. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1680 on the 1st December, 1965 and state :

(a) the progress since made in regard to declaring permanent the temporary posts in the Central Hindi Directorate and in the Commission for Scientific and Technical Terminology ; and

(b) when a decision in this regard is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakta Darshan) : (a) and (b). The matter is under consideration of the Government and it is difficult at this stage to say when the final decision can be taken. Every possible effort is being made to expedite the case.

Senior Staff Council

3005. **Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Maurya :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the date on which fresh elections to the Senior Staff Council of his Ministry took place and the number of meetings held by this Council so far ; and

(b) if no meeting has been held, the reasons therefor and when the meeting is expected to be held?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The elections to the Senior Staff Council of the Ministry of Education and its attached and subordinate offices were held on different dates and completed on 28-1-1966. Some seats are still unrepresented for want of nominations and fresh nominations have been invited for these seats. Orders reconstituting the Senior Staff Council have been issued in March 1966. No meeting of the new Council has been held so far.

(b) As the Senior Staff Council has been reconstituted only recently, no meeting of the Council has yet been held. The first meeting of the Council is expected to be held in the month of April, 1966.

Complaints of Corruption

3006. **Shri Gokaran Prasad :**
Shri Omkar Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of complaints of corruption received by him on the 16th April, 1964; and

(b) the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) It appears from the receipt register that 22 complaints bearing different dates were registered as having been received from different individuals on the 16th April, 1964.

(b) The complaints which were *prima facie* worth looking into were forwarded to the concerned authorities for appropriate action.

Allegations against I. A. S. Officer

3007. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 3077 on the 5th May, 1965 regarding corruption charges against an I.A.S. Officer of Himachal Pradesh and State :

(a) whether the officer concerned was refused to be supplied with copies of papers relating to F.I.R. No. 23, dated the 16th January, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that the relevant papers have been removed; and

(c) whether it is also a fact that efforts are being made to push up or delay the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) The documents are in safe custody.

(c) The matter is under consideration of the Central Government in consultation with the Central Vigilance Commission.

Publication of Reports regarding Defence Purchases

3008. Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Kapur Singh :
Shri P. K. Deo :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have placed restrictions on the publication of reports regarding defence supplies ; and

(b) whether these restrictions are being strictly observed?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes Sir, subject to such directions in regard to its implementation as may be given from time to time.

टेलीप्रिंटर मशीनों का निर्यात

3009. डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों को टेलीप्रिंटर मशीनों का निर्यात करने का कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ; और

(ग) कब तक इनका निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग) : हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में दूरमुद्रकों का उत्पादन केवल अप्रैल, 1961 से शुरू हुआ है और अभी तक इनके पूणरूप से देश में ही बनाये जाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी अपने दो पड़ौसी देशों, नेपाल और श्रीलंका में भारत में बने दूरमुद्रकों के प्रचारार्थ कदम उठाये गये हैं। अपने उत्पादन के उत्तमगुणों के प्रदर्शन और बिक्री के संवर्द्धन के लिये इन देशों को दो-दो दूरमुद्रक यंत्र भेज गये है। जैसे ही कारखाने में एक उपयुक्त बिक्री सेवा संघटन स्थापित हो जायगा, निर्यात संवद्धन की दिशा में सक्रिय कार्य किया जायगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3010. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत वे उपक्रम भी शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारों का अधिकार तथा नियंत्रण है; और

(ख) क्या उनमें नगर पालिका उपक्रम जैसे "बी० ई० एस० टी०" (बम्बई), पी० एम० टी० (पूना) तथा डी० टी० यू० (दिल्ली) भी शामिल हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह उस प्रसंग पर निर्भर करता है, जिसमें इस पद का प्रयोग किया जाए। 29 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1495 में निर्दिष्ट फैसला राज्य सरकार द्वारा चलाये गये और नियंत्रित उपक्रमों पर लागु नहीं होता।

(ख) "बी० ई० एस० टी०" (बम्बई), पी० एम० टी० (पूना) और डी० टी० यू० (दिल्ली) जैसे नगर पालिका उपक्रम ऊपर निर्दिष्ट फैसले के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि ये स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें विशिष्ट रूप से बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32(iv) की परिधि के बाहर रखा गया है।

Prosecution of Former Rulers

3011. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications received in his Ministry during the last five years to seek permission to institute civil suits against the former rulers of princely States and in how many cases permission was granted and the number of cases still pending ;

(b) how much time was taken on decision on them ; and

(c) the number of applications pending for the longest and shortest period separately?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). Two statements are attached. [**Placed in Library. See No. LT/5947/66**].

पेट्रोलियम से प्रोटीन

3012. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम से प्रोटीन बनाने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और क्या कोई परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई कारखाना स्थापित किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) इंस्टिट्यूट फ्रांस द्यु पैट्रोल, पेरिस के सहयोग से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में प्रोटीन के दाने बनाए गए हैं और परीक्षण अभी जारी हैं।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहट ने तेल के कुंए की मिट्टी से प्रोटीन के बायो-सिंथिसि जीव, (संश्लेषण) के लिये नमूने के तौर पर कुछ तत्व निकाले हैं।

(ग) अभी नहीं ।

Bettiah Camp for D. Ps.

3013. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are still more than ten thousand displaced persons in the camp set up at Bettiah in District Champaran (Bihar); and

(b) if so, whether any scheme is being formulated by Government to settle them on a permanent basis?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) The present population in the camp is 1,643 families.

(b) To the extent possible, families from this camp have been accommodated in vacancies available in the existing agricultural settlements in Bihar. More schemes for resettling the migrants on land are being formulated by Bihar Government with due regard to the availability of waste land or cultivable land in the State. Owing to paucity of land, some schemes for giving vocational training to selected migrants are also under consideration. Trade loans will be given to the small trader families under the pattern approved by the Government of India.

Review of cases of Detenus

3014. Shri Madhu Limaye :
Shri Harishchandra Mathur :
Shri Dasarath Deb :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 4 on the 3rd November, 1965 and state :

(a) whether the cases of persons among the 1900 persons who were apprehended during the Indo-pak conflict and who are still in detention, have been reviewed;

(b) if so, the number of such cases; and

(c) the conclusions reached as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir. The State Governments have been constantly reviewing these cases.

(b) and (c). Most of those who were detained have since been released. Exact figures as on 30th March 1966 will be collected from State Governments and placed on the Table in due course.

कृत्रम वर्षा

3015. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में कृत्रिम वर्षा के प्रयोगों पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी प्रतिशत सफलता मिली ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) ज्ञानिक और औद्योगिक अनसंधान परिषर द्वारा बनावटी बादल पदा करने के प्रयोग पर 19,068 रुपय खर्च किये गए।

(ख) 1965 में किय गए 60 प्रतिशत परीक्षणों से सरकारी परिणाम निकले हैं।

Tour Expenses of Central Ministers

3016. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in view of the Emergency, Government have drawn up a scheme to check the national waste in regard to the heavy expenses on the tours of the Central Ministers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the savings expected to be made as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a), (b) & (c). Union Ministers have all-India responsibility in regard to matters under their charge and are expected to keep themselves in close touch with the developments in the country. Tours are undertaken by them only when it is necessary in connection with the proper performance of their duties.

Eve-Teasing Cases in Delhi

3017. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of incidents involving rape and teasing of young women in Delhi and New Delhi during 1965 ;

(b) the percentage of increase in such incidents as compared to previous year; and

(c) the steps taken to check the increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) 23 cases of rape and 198 instances of eve-teasing were reported to the Delhi Police in 1965.

(b) Rape cases had increased by 21% while eve-teasing decreased by 12%.

(c) Measures in the form of intensified patrolling at bus stops and busy shopping centres and posting of policemen in plain-clothes near colleges, schools, girls' hostels, cinema houses, theatres, temples, bus stops and also in some crowed public places and picnic spots have been taken to keep the incidence of eve-teasing in the Capital under control. Measures to curb eve-teasing and effective control over the activities of roughs and anti-social elements help to keep cases of rape under check.

4—47 L.S.\66

Activities of Foreign Missionaries

3018. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Shinkre :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published at page 3, column 1, of Hindi daily "Hindustan", dated the 22nd December, 1965 regarding the conversion of hungry and naked Adivasis by Missionaries in the name of service;

(b) if so, whether Government have conducted any enquiry in this regard;

(c) the details thereof; and

(d) the action taken by Government against the Missionaries concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) No enquiry has been considered necessary on the basis of the information available.

(c) & (d). Do not arise.

भ्रष्टाचार के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

3019. श्री कोल्ला वेंकया :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी नौकरी तथा सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कारगर तरीकों का पता लगाने के लिये जिन अमरीकी विशेषज्ञों को बुलाया गया था और जिन्होंने 1964 के अन्तिम दो महीनों में देश का दौरा किया था, क्या उन का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में क्या क्या मुख्य सिफारिश की गई है ; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : लोक सभा में 18-8-65 को दिये गए अतारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जो अधिकारी जाँच और अभियोजन के कानूनी पहलुओं पर सलाह देने आया था उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। इस प्रतिवेदन में सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम के कानूनी, अनुसंधान तथा अभियोजन सम्बन्धी पहलुओं के बारे में सिफारिशें की गई हैं। इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों के संगठन तथा प्रशासनिक सुधारों के बारे में सिफ़ारिशें हैं। इनमें से कुछ सिफ़ारिशें पहले से ही विचाराधीन थीं और कुछ संथानम समिति की सिफारिशों जैसी थीं। इस प्रतिवेदन की जांच पूर्ण की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही निर्णय के लिये जायेंगे।

उर्वरक परियोजनाओं से सम्बद्ध भूमि पर खेती

3020. श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक परियोजनाओं से सम्बद्ध समस्त फालतू भूमि पर खेती की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ भूमि पर खेती की जाती है; और

(ग) उस भूमि से प्रति एकड़ कितनी उपज होती है और उस भूमि पर कितना व्यय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) उर्वरक कारखानों के उपलब्ध समस्त फालतू भूमि पर खेती की जा रही है या उन्हें खेती के लिए विकसित किया जा रहा है ।

(ख) इस समय लगभग 350 एकड़ पर खेती की जा रही है।

(ग) विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें अधिकांश इतनी काफी नहीं हुई है कि उपज का अनुमान लगाया जा सके । महत्वपूर्ण फसलों पर प्रति एकड़ व्यय निम्न प्रकार है :—

फसल	प्रति एकड़ व्यय (लगभग)
धान	160 रुपये से लेकर 500 रुपये तक
केला	1,500 रुपये
सबजियां . . .	200 रुपये
सुपारी . . .	350 रुपये
गोला	3,000 रुपये
टेपिओका . . .	500 रुपये
आलू	800 रुपये
गन्ना	700 रुपये
मूंगफली . . .	200 रुपये

"चाइना रिव्यू"

3021. श्री सुबोध हंसदा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब भी "चाइना रिव्यू" के प्रकाशन की अनुमति दे रखी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिये आग्रह किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नही उठते ।

दिल्ली में दर्ज किये गये भ्रष्टाचार के मामले

3022. श्री शिव चरण गुप्त :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में दिल्ली प्रशासन के सतर्कता निदेशक के पास भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें दर्ज हुई थीं;

(ख) कितनी शिकायतें सही पाई गई; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख):

1. दिल्ली प्रशासन के सतर्कता निदेशक को 1965 के दौरान प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या	1,009
2. गुमनाम कल्पित नाम से की गई शिकायतों की संख्या . . .	136
3. ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका सम्बध उन कार्यालयों से नहीं था जो सिधे दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में आते हैं . . .	104
4. उन शिकायतों की संख्या जो अस्पष्ट ओछी या पहली नज़र में ही कच्ची मालूम पड़ी	583
5. उन शिकायतों की संख्या जो पहली नज़र में जांच करने योग्य पाई गई .	186
6. उन शिकायतों की संख्या जिनमें जांच की गई . . .	91
7. उन शिकायतों की संख्या जिन्हें जांच के बाद रद्द कर दिया गया . .	68
8. उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई . . .	23
9. उन शिकायतों की संख्या जिनपर जांच बाकी है . . .	95

(ग) 10 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई और 13 में विभागीय कार्यवाही बाकी है।

उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की खपत

3023. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में अब तक उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी खपत हुई ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) अनुमान है कि 1965–66 में उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत लगभग 714,000 मीटरी टन होगी।

(ख) यह खेद है कि इसका ब्यौरा नहीं बताया जा सकता क्योंकि भारतीय रक्षा नियमावली, 1962 के अन्तर्गत इसका बताना प्रतिबन्धित है।

Telephone Exchanges

†3024. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of telephone exchanges in the country as on the 31st December, 1965; and

(b) the number of telephone exchanges proposed to be set up in the country during 1966-67?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Deptt. of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) 2546.

(b) Additional 300 approximately.

उत्तर प्रदेश में टेलिफोन राजस्व की बकाया राशि

3025. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय टेलीफोन राजस्व की कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30 जून, 1965 तक जारी किये गए बिलों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1966 को 14.79 लाख रुपये की रक़म बकाया थी ।

(ख) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की दिशा में कार्रवाई की जा चुकी है । इन मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से दोषी उपभोक्ताओं के पीछे लगना तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई करना जैसे विशेष कदम भी उठाये जा रहे है ।

कार्मिक संघ

3026. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाहर के व्यक्तियों को जिनका राजनीति से सम्बन्ध होता है, कार्मिक संघों में पद ग्रहण करने देने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) हाल के अनुभवों से यह बात कहां तक प्रमाणित हुई है कि कार्मिक संघों में बाहर के व्यक्तियों की विद्यमानता श्रमिकों में, जो गम्भीर राष्ट्रीय संकट के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं, एकता की भावना उसे नहीं रोक सकती;

(ग) क्या प्रबन्ध में कार्मिक संघों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई प्रभावशाली योजना सरकार ने बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या श्रमिकों को संगठन व्यवस्था सम्बन्धी दक्षता सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्मिक संघों से पहले करने का अनुरोध किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) कार्मिक संघों में बाहर के व्यक्तियों के प्रभाव को सीमित करने के प्रश्न पर, योजना आयोग द्वारा चतुर्थ योजना में श्रम नीति तथा कार्यक्रम के भिन्न भिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में स्थापित की गयी श्रम नामिका द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

(ख) श्रमिकों ने एक वर्ग के रूप में राष्ट्रीय संकट में जिसका 1965 में देश ने सामना किया, एकता की भावना दिखाई।

(ग) सरकार की नीति औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने की है। संयुक्त मैनेजमेंट परिषद की योजना बड़े कार्यक्रमों में से एक है जिसका ध्येय कार्मिक संघों के प्रबन्ध में अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना है।

(घ) कार्मिक संघों को संगठन व्यवस्था सम्बन्धी दक्षता सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता का ज्ञान है। केन्द्रीय कामगर शिक्षा बोर्ड श्रमिकों की, उनके उद्योग तथा नागरिक उत्तरदायित्वों और सामान्यतः संयुक्त विचार विनियम के लिए अपेक्षित सक्रिय योगदान देने की दक्षता के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता कर रहा है।

कोयला खानों के श्रमिकों के लिये अवकाश-गृह

3027. श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के श्रमिकों के लिये राजगीर में अवकाश-गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस समय मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में कोई अवकाश-गृह हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन क्षेत्रों में खनिकों को ऐसी सुविधाएं देने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) अवकाश-गृहों में खनिकों को अन्य क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राजगीर का अवकाश-गृह इस समय किराये के मकान में चल रहा है। एक स्थायी भवन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, पुरी या भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अवकाश-गृह स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) झरिया कोयला-क्षेत्र के कोयला खानों के श्रमिकों को राजगीर के अवकाश-गृह में हर महीने ले जाया जाता है। वे उष्ण-स्त्रोत पर स्नान करते हैं और राजगीर में तथा उसके आसपास के ऐतिहासिक महत्व के स्थान देखते हैं। श्रमिकों को अवकाश-गृह ले जाने और वापिस लाने के लिए मुफ्त परिवहन का प्रबन्ध है।

छोटी बचत योजना के अधीन जमा राशि

3028. श्री दलजीत सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी बचत योजना के अधीन 31 दिसम्बर, 1965 तक पंजाब के विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा थी ; और

(ख) उस अवधि में अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य के डाकघरों में डाकघर बचत बैंक तथा बचत-पत्रों के रूप में जमा की गई कुल रक़म 46,73,25,662 रुपये थी।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विभिन्न डाक-परिमण्डलों से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5948/66**]

भारतीय विश्वविद्यालयों को फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान

3029. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने 1965-66 में भारतीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान दिये हैं ;

(ख) किन किन विश्वविद्यालयों को ये अनुदान मिले हैं ; और

(ग) प्रत्यक विश्वविद्यालय को कितना अनुदान मिला ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) :

1. यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकलचरल साइंस, बंगलौर	61,250.00	डालर
2. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय . .	79,500.00	डालर
3. बम्बई विश्वविद्यालय . .	162,708.43	डालर
4. केरल विश्वविद्यालय . . .	18,500.00	डालर
5. दिल्ली विश्वविद्यालय . .	513,399.15	डालर
6. एम० एस० यूनिर्वसिटी आफ बड़ोदा .	250,000.00	डालर
7. मैसूर विश्वविद्यालय . . .	5,000.00	डालर
8. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय . .	130,000.00	डालर
9. राजस्थान विश्वविद्यालय . .	13,500.00	डालर

स्वामी विवेकानन्द

3030. श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शिकागो, संयुक्त राज्य अमरीका में विश्वधर्म सम्मेलन के समक्ष स्वामी विवेकानन्द के ऐतिहासिक कार्य की स्मृति को चिरस्थायी बनाने की संयुक्त योजना तैयार करने के सम्बन्ध में अमरीका सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने शिकागो के आर्ट इन्स्टीट्यूट में जिसके अधिकार में इस समय वह हाल है जहां उन्होंने सर्वप्रथम भारत के संदेश की व्याख्या की थी, स्वामी जी की संगमरमर की एक मूर्ति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार उस इन्स्टीट्यूट को ऐसा कोई फलक भेंट करने का विचार कर रही है जिस पर उनके प्रथम भाषण के उद्धरण अंकित हों ; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों के गुण दोषों की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हां, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के कुछ भक्तजनों की सहायता से शिकागो की विवेकानन्द वेदान्त समिति द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

3031. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने जर्मन और ब्रिटेन के साथ वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के लिये कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो यात्रा व्यय का वहन किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं तथा यह कितनी अवधि के लिये किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जर्मन अकादमी विनिमय सेवा, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटिश परिषद, इंग्लैंड के साथ वैज्ञानिकों के विनिमय के लिए प्रबन्ध किया है।

(ख) और (ग) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5949/66**]

आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगार महिलाएं

3032. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितनी महिला उम्मीदवारों (स्नातक तथा गैर-स्नातक) के नाम दर्ज थे ; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक उनमें से कितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) :

महिला उम्मीदवारों की श्रेणियां	रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31-12-1965 को दर्ज नाम	सन 1965 के दौरान नियुक्त सहायता पाने वालों की संख्या
स्नातक (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त उम्मीदवार भी शामिल हैं)	310	150
मैट्रिक पास (जिनमें हायर सेकण्डरी और इण्टरमीडिएट भी शामिल हैं)	2,313	1,313
मट्रिक से कम पढ़े लिखे	11,020	2,228
कुल	13,643	3,691

आन्ध्र प्रदेश में डाक सेवायें

3033. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के कितने देहातों में डाक सेवाओं की व्यवस्था थी ; और

(ख) 1966-67 में कितने देहातों में डाक सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख) : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश के सभी गांवों में डाक वितरण की व्यवस्था मौजूद है। जनवरी, 1966 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में डाक वितरण कितनी कितनी बार होता था इससे सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गई है--

दैनिक	32,716
सप्ताह में तीन बार	1,049
सप्ताह में दो बार	785
सप्ताह में एक बार	545

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी, 1966 के अन्त में 34 प्रधान डाकघरों, 1,277 विभागीय उप-डाकघरों, 58 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों, 2 विभागीय शाखा डाकघरों तथा 11,015 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में डाक सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

(ख) सभी मौजूदा गांवों को पहले से ही डाक सुविधाएं प्राप्त हैं ।

राजस्थान में टेलिफोन राजस्व की बकाया राशि

3034. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय टेलीफोन से होने वाली कितनी आय वसूल करनी शेष है ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 30 जून, 1965 तक जारी किये गए बिलों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1966 को 3 लाख रुपये की रकम बकाया थी ।

(ख) दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की दिशा में कार्रवाई की जा चुकी है । इन मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से दोषी उपभोक्ताओं के पीछे लगना तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई करना जैसे विशेष कदम भी उठाये जा रहे हैं ।

राजस्थान में बेरोजगार तकनीकी लोग

3035. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक राजस्थान के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी लोगों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) दिसम्बर, 1965 के अन्त तक उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 2,522 ।

(ख) सन 1965 के दौरान तकनीकी योग्यता रखने वाले 1,116 उम्मीदवारों को, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे, नियुक्ति सहायता दी गई ।

उड़िया साहित्य तथा संस्कृति के लिए अनुदान

3036. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में उड़िया साहित्य तथा संस्कृति के विकास तथा संरक्षण के लिए उड़ीसा को कोई अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) (i) गंजम जिला ड्राइंग मास्टर्स एसोसियेशन, बरहामपुर को बाल कला प्रदर्शनी आयोजित करने तथा बाल ड्राइंग तथा पेंटींग प्रतियोगिता संचालित करने के लिए 500 रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया है ।

(ii) उड़िया साहित्य के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को 25,875 रुपये देने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा में उड़िया नाटकों का विकास

3037. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा को उड़िया नाटकों के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में कालेजों तथा हाई स्कूलों को सहायता

3038. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 में अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार करने के लिए उड़ीसा के सम्बद्ध कालजों तथा हाई स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध कालेजों को 1965-66 में इस प्रकार अनुदान दिए हैं :—

1. स्टयुवर्ट साइंस कालेज, कटक . . . 4437.00 रुपये
2. सुन्दरगढ़ कालेज, सुन्दरगढ़ . . . 7367.85 रुपये

स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन के लिए 1965-66 के दौरान कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

न्यू जमहेरी खास कोयला खान

3039. श्री सरजू पाण्डेय :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) ने विभिन्न कानूनी देय राशियों के बारे में 15 दिसम्बर, 1964 के समझौते के खंड 6 के अन्तर्गत न्यू जमहेरी खास कोयला खान के बारे में एक निर्णय दिया है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने उस निर्णय को क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) के श्रमिकों को कानूनी देय राशियों के बारे में 8 दिसम्बर, 1964 (न कि 15 दिसम्बर, 1964) के समझौते के खण्ड 6 के अन्तर्गत अपना निर्णय दिया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मैनेजमेंट के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

शिक्षा पर पंचायती राज के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी

3040. श्री राम सेवक यादव :

श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 में नई दिल्ली में शिक्षा पर पंचायती राज के प्रभाव के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : सेमिनार का आयोजन, अखिल भारतीय पंचायत परिषद नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने किया था। परिषद ने मंत्रालय को सूचित किया है कि सेमिनार की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में इंजीनियरी कालेज

3041. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में पंजाब में कितने इंजीनियरी कालेज खोले जाने की संभावना है ;

(ख) ये कालेज कहां-कहां खोले जायेंगे ; और

(ग) उनके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Telephone Arrears in Delhi

3042. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone arrears have not been realised in Delhi for a long time;

(b) if so, the amount thereof and the steps taken to realise the same;

(c) the steps taken to meet the demand in respect of telephone connections in Delhi; and

(d) the demand at present and the extent to which it has been met?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). A sum of Rs. 222·41 lakhs was outstanding on 1-11-65 for bills issued upto 30-4-65, out of which the amount relating to bills issued upto 31-3-60 was Rs. 14·65 lakhs. Special steps, such as, pursuing the defaulting subscribers, recourse to legal action, where necessary, are being taken to secure early settlement of the outstanding amount. The disconnection of telephones of defaulting subscribers are also being taken.

(c) Continuous efforts are being made to open new exchanges and expand the existing exchanges to the maximum possible extent consistent with the resources available at the disposal of the Department.

(d) As per enclosed statement. **[Placed in Library. See No. LT/5950/66]**

दिल्ली में अपराध

3043. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री प्र० चं० बरुआ**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री बसुमतारी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में राजधानी में सेंध लगाने, हत्या करने, हत्या करने के प्रयत्न तथा छुराबाजी की अलग-अलग कितनी घटनाएं हुई है ; और

(ख) कितने मामलों में सरकारी कर्मचारी दोषी थे अथवा वे इन मामलों के शिकार हुए थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5951/66]**

पंजाब में सांस्कृतिक केन्द्र

3044. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65 और 1965-66 में राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण के लिए पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी और वर्ष 1966-67 के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) "ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन एयर थियेटर" की योजना के अन्तर्गत पांच ओपन एयर थियेटरों के निर्माण के लिये 1965-66 में 5,750 रु० ।

हां, 1966-67 के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

पंजाब को प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं के लिए सहायता

3045. श्री दलजीत सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में समाज शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में पंजाब के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक-विक्रेताओं को कितनी सहायता दी गई थी और वर्ष 1966-67 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : इस प्रयोजन के लिए 1966-67 में ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है और न कोई रकम निर्धारित की गई है । किन्तु नव-साक्षरों के लिए लिखित पुस्तकों पर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत, 1965-66 के दौरान पंजाब में प्रकाशित कुछ पुस्तकें पुरस्कृत की गई हैं और खरीदी गई हैं ।

इंजीनियरी प्रतिभा का दुरूपयोग

3046. श्री महेश्वर नायक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का पता लगाया जा चुका है कि भारत में उन कार्यों में जो कम योग्यता प्राप्त तकनिशियन कर सकते थे, इंजीनियरों का कहां तक प्रयोग किया गया है तथा इस राष्ट्रीय त्रुटि को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : जब कि इस परिमाण की कोई विस्तृत जांच नहीं की गई है, कि जिन कार्यों में कम योग्यता प्राप्त तकनीशियन काम सम्भाल सकते हैं, उनमें

इंजीनियरों का कहां तक प्रयोग किया गया है, 22 संस्थानों में ग्रेज्वेट इंजीनियरों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण से तथा कुछ क्षेत्रों की प्रयोग-पद्धतियों से यह आभास होता है, कि कुछ मात्रा में ग्रेज्वेट इंजीनियरों का सम्पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्ति की सेवाओं का सम्पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता की ओर सारे मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है।

केरल में टायर फैक्टरी

3047. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री मणियंगाडन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलमस्सेरी, केरल राज्य में प्रीमियर टायर फैक्टरी बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) फैक्टरी को पुनः सामान्य रूप से चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कामगरों को जबरी छुट्टी दे दी गई है और तालाबन्दी नहीं हुई।

(ख) और (ग) : यह पता चला है कि जबरी छुट्टी बिजली के कट जाने के कारण हुई। यह भी बताया गया है कि कामगरों और मैनेजमेंट के बीच, मजदूरी का पुनरीक्षण, महंगाई भत्ता, आदि मामलों के बारे में, एक विवाद है और केरल सरकार के श्रमायुक्त समझौते की कार्यवाही में लगे हुए हैं।

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये अग्रिम वेतनवृद्धियां

3048. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब मंडल के उन डाक व तार कर्मचारियों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गई हैं जिन्होंने हाल के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान स्वयंसेवक के रूप में अथवा अन्यथा सीमावर्ती नगरों में काम किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही लाभ केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के उन कर्मचारियों को नहीं दिया गया जिन्होंने आक्रमण के दौरान जम्मू और श्रीनगर में काम किया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है ; और

(घ) उस भेदभाव को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं, केवल सीमान्त परिमण्डलों के कुछ ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने संघर्ष के दौरान असाधारण साहस और ऊंचे दर्जे की कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया था।

(ख) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के ऐसे किसी भी कर्मचारी ने, जिसने जम्मू और श्रीनगर में सेवा की हो, ऐसा कोई विशेष प्रशंसनीय कार्य नहीं किया जिससे कि उन्हें अग्रिम वेतन-वृद्धि पाने का पात्र समझा जाए।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कुंजालीमरक्कर का स्मारक

3049. श्री महम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान नौचालक श्री कुंजालीमरक्कर की स्मृति में उनके जन्म स्थान मलाबार के इरींगल (कोट्टाकल) नामक स्थान में एक स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिए उनके पैतृक-घर को अर्जित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य में मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : केरल की सरकार उस मकान को अधिग्रहण करना तथा स्मारक रूप में सुरक्षित रखना चाहती थी, जहां श्री कुंजाली-मरक्कर का जन्म हुआ था, परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वर्तमान मकान मालिक अपनी कौटुम्बिक सम्पत्ति छोड़ने को सहमत नहीं था।

जबलपुर में पाया गया अवशेष

3050. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के थेबर गांव में 4000 वर्ष पुराना एक अवशेष मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) दक्षिण कालिज के डा० सनहालिया की निगरानी में की गई एक छोटी सी खुदाई में ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी से ले कर ईसा पश्चात् चतुर्थ शताब्दी तक की कुछ सामग्री मिली है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

3051. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने वेतन-क्रमों में वृद्धि, कार्मिक संघ की मान्यता तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित बनाने की मांग करने के लिए एक अखिल भारतीय आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय का कोई ज्ञापन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : भारत के सर्वेक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन ने निम्नलिखित तीन मामलों पर जल्दी निर्णय लेने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए "सीधी कार्रवाई" करने की धमकी दी है :—

(1) वेतन-मानों में बढ़ोतरी;

(2) यूनियन को मान्यता देना ; और

(3) आकस्मिक रूप से रखे जाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना ।

(ग) और (घ) : भारत के सर्वेक्षण के वेतन-मानों में संशोधन करने के प्रश्न पर कुछ समय पहले ही, विशेष अवसरों पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि सभी वेतन-मानों का संशोधन करना सम्भव नहीं है, क्योंकि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इनका 1960 में ही संशोधन किया गया था । फिर भी अलग-अलग मामलों पर सरकार द्वारा लगातार विचार किया जाता है ।

सरकारी कर्मचारियों की ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए गृह मंत्रालय नियमों पर विचार कर रहा है । इन नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने पर, भारत के सर्वेक्षण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देने के प्रश्न पर को हाथ में लिया जाएगा ।

आकस्मिक रूप से रखे जाने वाले कर्मचारियों को सामयिक और अस्थिर किस्म की अस्थायी मांगों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है । इन व्यक्तियों की पूरे वर्ष जरूरत नहीं होती है ; किन्तु इनमें से यथासम्भव अधिक से अधिक को स्थायी किस्म की मांगों को पूरा करने के लिए नियमित सिब्बन्दी में भेज दिया जाता है ।

मैसूर डाक व तार मंडल का रेलवे डाक सेवा मुख्यालय

3052. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री दाजी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा की एक और डिवीजन बनाने के उद्देश्य से, जिसका मुख्यालय हुबली में होगा, मैसूर डाक व तार मंडल के रेलवे डाक सेवा मुख्यालय को दो भागों में बांटने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा क्या इस विभाजन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : रेल डाक व्यवस्था 'क्यू' मण्डल को दो भागों में बांटने और एक ऐसा नया रेल डाक व्यवस्था मण्डल बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव की, जिसका मुख्यालय हुबली में हो, हाल में जांच की गई, लेकिन विभागीय मानदण्डों के अनुसार इस मण्डल को दो भागों में बांटना उचित नहीं समझा गया ।

मण्डल को दो भागों में बांटने के प्रस्ताव के विरोध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

3053. श्री स० मो० बनर्जी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, तथा 1964-65 के दौरान भारतीय सर्वेक्षण, दक्षिणी सर्किल, बंगलौर के कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ;

(ख) वर्ष 1959-60, 1961-62, 1962-63, 1963-64, तथा 1964-65 के दौरान उक्त कर्मचारियों को क्या-क्या दण्ड दिये गये और दण्डित कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) भ्रष्टाचार/गबन अथवा सरकारी धन का दुरुपयोग के आरोप में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या यह सच है कि दक्षिणी सर्किल के वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के दौरान अनुशासनात्मक मामले बढ़ गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5952/66]**

इन्द्रपुरी बस्ती, दिल्ली में डाकघर

3054. श्री रामपुरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूसा इंस्टीट्यूट, दिल्ली के समीप इन्द्रपुरी बस्ती में, जिसे बने हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, कोई डाकघर नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक डाकघर खोलने का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । इन्द्रपुरी कालोनी में 1 अगस्त, 1962 से एक शाखा डाकघर कार्य कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय विज्ञान परिषद्

3055. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी वैज्ञानिक प्रयासों को समेकित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संस्था (एसोशिएशन) ने एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय विज्ञान परिषद् की स्थापना की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन) : (क) भारतीय वैज्ञानिक कर्मचारी संघ के महासचिव ने यह सूचना दी है कि 28 फरवरी और 1 मार्च, 1966 के दौरान उनकी वार्षिक बैठक में संघ की परिषद ने राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की स्थापना के संबंध में एक संकल्प पारित किया और यह कि संकल्प अभी सरकार को नहीं भेजा गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लम्बी सजा वाले कैदी

3056. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न जेलों में इस समय सजायें भुगतने वाले लम्बी सजा वाले ऐसे कितने कैदी हैं जो वृद्धावस्था अथवा रोगों के कारण लगभग असमर्थ हो गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार बूढ़े तथा अशक्त कैदियों को उनकी सजा की अवधि पूरी होने से पहिले ही छोड़ देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उर्वरक कारखानों मे विदेशी सहयोग

3057. **श्री दशरथ देव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत मे कितने उर्वरक कारखाने विदेशियों के सहयोग से काम कर रहे हैं ;

(ख) भारतीय उर्वरक कारखानों में विदेशियों के कितने प्रतिशत शेयर हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में किस देश के सबसे अधिक हिस्से हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Activities of Pir-Pagaro's Disciples

3058. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the activities of the disciples of "Pir-Pagaro" in border areas;

(b) if so, the nature of their political activities during the Pakistan aggression of September, 1965; and

(c) the steps taken by Government to check their anti-Indian activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The followers of the fanatic Pir of Pagaro, indulged in anti-Indian activities during Indo-Pak conflict of September, 1965.

(c) Necessary preventive steps have been taken.

पाकिस्तानी घुसपैठिये

3059. **श्री र० बरुआ :**

श्री लीलाधर कटकी :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो महीनों में आसाम से कितने पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकाला गया है अथवा पाकिस्तान वापिस भेजा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : 2,644 ।

महाराष्ट्र में संस्कृत का विकास

3060. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में महाराष्ट्र राज्य में संस्कृत के विकास के लिये (एक) महाराष्ट्र सरकार तथा (दो) महाराष्ट्र के स्वयंसेवी संगठनों को पृथक-पृथक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि में किन-किन संगठनों को ये अनुदान दिये गये; और

(ग) 1966-67 में इस प्रयोजन के लिये (एक) स्वयंसेवी संगठनों तथा (दो) राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) (i) 42,000 रुपये ;

(ii) 2,18,400 रुपये ।

(ख) 1. दकन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना ।

2. आल इंडिया ओरिण्टल कान्फ्रेंस, द्वारा भण्डारकर ओरिण्टल रिसर्च इंस्टीट्यट, पूना ।

3. भण्डारकर ओरिण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना ।

4. सम्पादक, बालसंस्कृतम्, बम्बई ।

5. विदर्भ संशोधन मण्डल, नागपुर ।

6. भारतीय विद्या भवन, बम्बई ।

7. सम्पादक, भारत वाणी, पूना ।

8. वैदिक संशोधन मण्डल, पूना ।

(ग) 1966-67 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्वैच्छिक संगठन अथवा राज्य सरकार को अनुदान देने के लिए अग्रिम रकम निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है। पहले की भांति स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं और राज्य सरकारों से स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अनुदान दिए जाएंगे । किन्तु ऐतिहासिक सिद्धान्तों के आधार पर एक संस्कृत शब्दकोश तैयार करने के लिए, दकन कालेज पोस्ट ग्रजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना को 1956-57 से दस वर्ष तक की अवधि के लिए 1,50,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से सरकार अनुदान देने के लिए वचन बद्ध है।

महाराष्ट्र में जूनियर टेक्निकल स्कूल

3061. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 के दौरान महाराष्ट्र में कुछ जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन लगाने की अनिर्णीत अर्जियां

3062. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को महाराष्ट्र के विभिन्न केन्द्रों में टेलीफोन के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ; और

(ख) उन पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 62,400।

(ख) उपलब्ध साधनों के अनुसार नये टेलीफोन केन्द्र खोलने, मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने और भूगर्भ केबल बिछाने की दिशा में लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन केन्द्र

3063. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 31 जनवरी, 1966 को कितने टेलीफोन केन्द्र थे ;

(ख) क्या 1966-67 में उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 236।

(ख) जी हां।

(ग) निम्न स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्र खोलने की संभावना है :—

1. भदगाव
2. भीवापुर
3. भोकर्दन
4. भुइंज
5. चितलेंगर
6. डपोली
7. ईदिलबाद
8. घोटी
9. इगतपुरी
10. जामनेर
11. जिन्तूर
12. कालबा देवी—बम्बई
13. कोल्हार
14. मोमीनाबाद
15. मुरुद (कोलाबा)
16. नीलांगा
17. नेरपारसोपंत
18. उमेडगा
19. परेन्दा
20. परोला
21. पोलदपुर
22. पैठन
23. पूर्ना
24. फोण्डाघाट
25. रामटक
26. संगोला
27. सेलू
28. शिवगांव
29. तुल्जापुर
30. वीता
31. वादुज
32. वाठार

इरान के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज

3064. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईरान के तटवर्ती क्षेत्रों में **की गई** तेल की खोज अस्पष्ट एवं अनिश्चित रही है ;

(ख) यदि हां, तो खोज के क्या ठीक-ठीक परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्वेषी व्यधन-कार्य अभी चल रहा है और संरचनाओं की सम्भाव्यताओं के बारे में इतना पहले कोई राय नहीं दी जा सकती ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1965 तक 6.84 करोड़ रुपये ; जिसका तिहाई हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) के अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन

3065. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) के अधिकारियों द्वारा पारित संकल्पों के बारे में विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत प्रशासन सेवा तथा अन्य सेवाओं के सभी अधिकारियों की, (जिनमें पदोन्नत व्यक्ति भी शामिल हैं) नियुक्ति की वह तिथि (डीम्ड डेट) मानी जाती है जब से वे प्रशिक्षण प्रारम्भ करते हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उनकी अवर सचिव/उप-सचिव के पद पर पदोन्नत होने पर वह सुविधा क्यों नहीं दी जाती ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सेवा सचिवालय के अधिकारियों की नियुक्ति की वही तिथि (डीम्ड डेट) मानने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था, जब से वे प्रशिक्षण प्रारम्भ करते हैं, परन्तु अब उसे लागू नहीं किया जा रहा; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के संबंध में उसे लागू न करने के क्या कारण हैं जबकि वह अन्य सभी संगठित सेवाओं के अधिकारियों के बारे में लागू किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ) : सम्भवतः प्रश्न का इंगित 23 जून, 1965 को हुई केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी) असोसियेशन की साधारण सभा की बैठक में पारित संकल्प की ओर है, जिसकी एक प्रति अतारांकित प्रश्न सं० 238 के उत्तर में 18 अगस्त 1965 को सभा-पटल पर रखी गई थी।

प्रश्न के भाग (क) में कथित "नियुक्ति की तिथि (डीम्ड डेट)" का अभिप्राय सम्भवतः "आवंटन के वर्ष" से है, जो भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा नाम दो अखिल भारतीय सेवाओं पर ही लागू होता है। इन सेवाओं के सम्बन्ध में "आवन्टन के वर्ष" का उद्देश्य विभिन्न राज्य काडरों में अधिकारियों की सम्बंधित वरिष्ठता का निश्चय करना है। केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में "आवन्टन-वर्ष" की पद्धति लागू नहीं होती।

जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का सम्बन्ध है, "आवन्टन का वर्ष" या "नियुक्ति की तिथि (डीम्ड डेट)" लागू नहीं होते। परन्तु 1951 से इस सेवा के संघटन से पूर्व विभिन्न स्रोतों से लिये गये बहुत से ऐसे अधिकारी थे, जो कि या तो नितान्त रूप से अस्थायी थे, या भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में निम्न पदों पर मूलतः स्थायी थे। जब केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उनकी नियुक्ति की गई, तो उनकी तत्सम्बंधी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये उनकी भूतपूर्व सेवा का लाभ देना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य से ऐसे नियुक्त किये गये प्रत्येक

अधिकारी के लिये नियुक्ति की तिथि (डीम्ड डेट) निर्धारित करने के हेतु इस नियम का निश्चय किया गया, जिसके अधीन 1,100 रुपये या इससे अधिक वेतन के पदों में, 800 रुपये या इससे अधिक वेतन के पदों में तथा 25 वर्ष की आयु के पश्चात् की गई कुल सेवा का समेकित लाभ दिया गया था। सेवाओं का प्रारम्भिक गठन पूरा होने के पश्चात् इन पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः सेवा के निम्न पदों से पदोन्नति द्वारा की गई। यह पदोन्नतियां केवलमात्र कुशलता के आधार पर की जाती हैं, तथा अधिकारियों की तत्सम्बन्धी वरिष्ठता चयन-समिति द्वारा उनको दिये गये कुशलता-क्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है।

महाराष्ट्र में युवकों के लिये होस्टल

3066. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 1965-66 में उस राज्य में युवकों के लिये होस्टल बनाने के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) उक्त अवधि में ऐसे होस्टल किन-किन स्थानों पर बनाए गये हैं; और

(ग) इस कार्य के लिये वर्ष 1966-67 में उस राज्य को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अब तक कुछ नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

जोरहाट के समीप नागाओं की गिरफ्तारी

3067. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1966 के दूसरे सप्ताह में जोरहाट के निकट जीप में अस्त्र-शस्त्र ले जा रहे नागा विद्रोहियों के एक दल को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने अस्त्र-शस्त्र पकड़े गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 7 मार्च 1966 को जोरहाट के समीप एक जीप पकड़ी गई जिसमें 6 नागा थे और 51 बिना चले कारतूस, खाली कारतूसों के 11 खोल और 5 चार्जर थे।

Night Post Office Service in Ujjain

3068. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Night Post Office service in Ujjain and the public there is experiencing great difficulties for want of such a facility;

(b) whether the citizens of Ujjain have submitted representations to Government in this regard; and

(c) if so, the decision taken thereon?

Minister of State in the Deptt. of Parliamentary Affairs and Dept. of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) There is no Night P.O. at Ujjain. No special difficulty has been reported because of the lack of this facility.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Loss in Production of Cloth due to Strike by Textile Workers in Bombay

3069. **Shri Madhu Limaye : Shri Kishen Pattnayak : Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Maurya :**

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the daily loss in production of cloth as a result of the strike launched by the textile workers in Bombay;

(b) the total loss suffered in production so far;

(c) the loss in excise duty due to this strike; and

(d) the steps being taken by Government to avoid such losses in future and to make good the loss already sustained ?

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Estimated average daily loss of production was 3·7 lakh metres of cloth and 8 lakh kilo grams of yarn.

(b) Estimated total loss of production was 37 million metres of cloth and 8 million kilo grams of yarn.

(c) Central Excise duty is a tax which is usually collected on excisable goods at the time of their clearance for consumption. So long as the goods have not been cleared without payment of duty there cannot be said to have been any real loss of revenue as such. It is also not certain that the deficit in production may not be made up in sebsequent months so that total excise receipts may not be affected.

(d) The Government of Maharashtra is the 'appropriate Government' in regard to the industrial relations in the textile industry in Bombay and they are already seized of the matter.

सीमावर्ती राज्यों को वित्तीय सहायता

3070. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हुए हाल के अघोषित युद्ध के परिणामस्वरूप जिन सीमावर्ती राज्यों को नुकसान हुआ है उन को क्षतिग्रस्त मकानों को फिर से बनाने और विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये और उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : क्षतिग्रस्त मकानों को फिर से बनाने के लिए, विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा उनके पुनर्वास के लिए और उद्योगों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में अब तक 425.30 लाख रूपये की राशि दी गई है। 1966-67 के दौरान आवश्यकता के अनुरूप और वित्तीय सहायता दी जायेगी।

भारतीय तेल निगम के अधिकारीयों के सेवाकाल का बढ़ाया जाना

3071. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) क्या उनके स्थान पदोन्नति द्वारा अथवा भर्ती द्वारा नहीं भरे जा सकते थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग): भारतीय तेल निगम लि० के शोधनशाला प्रभाग के केवल एक सीनियर अफसर और मार्किटिंग प्रभाग के चार सीनियर अफसरों के सेवाकाल में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इन अफसरों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव है और भारतीय तेल निगम जैसी बढ़ती हुई संस्था के लिये इन की सेवाओं में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया ताकि इन अफसरों के विशिष्ट क्षेत्रों के अनुभव से पूरा लाभ उठाया जा सके।

ग्रीष्मकालीन संस्थाएं (समर इन्स्टीट्यूट्स)

3072 श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में माध्यमिक विद्यालयों के लिये ग्रीष्म-कालीन संस्थाएं (समर इंस्टीट्यूट्स) स्थापित करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाएं कितनी होंगी ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी हां। 1963 में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए शुरू किया गया ग्रीष्मकालीन संस्थाओं का कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान भी चालू रहेगा। इस अवधि में लगभग 700 ग्रीष्मकालीन संस्थाएं खोलने का विचार है।

(ग) प्राक्कलन अस्थायी तौर पर लगभग 2.266 करोड़ रुपये का है।

दिल्ली और रावलपिण्डी के बीच सीधे टेलीग्राफ सर्किट

3073. श्री बसुमतारी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मंत्री स्तर पर बातचीत की सुविधा के लिए डाक तथा तार बोर्ड ने दिल्ली और रावलपिंडी के बीच दो सीधे टेलीग्राफ सर्किट के लिए पाकिस्तान अधिकारियों को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान के तार तथा टेलीफोन प्रशासन ने भी यह प्रस्ताव मान लिया था, लेकिन सम्भवतः लाहोर के बाद लाइन में गड़बड़ी होने के कारण, 2 मार्च, 1966 को अपराह्न एक बजे केवल एक ही

परिपथ चालू हो सका जिसने लगभग 2 घंटे तक काम करके कुछ तारों का निपटान किया। उसके पश्चात् रावलपिण्डी को भेजे गए तथा वहां से प्राप्त तारों का निपटान नई दिल्ली-लाहौर के सामान्य परिपथों पर लाहौर होकर किया गया।

डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी

3074. श्री जेधे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के बहुत अधिक विभागातिरिक्त कर्मचारियों की अपनी आय का कोई अन्य साधन नहीं होता और वे विभागातिरिक कर्मचारियों के रूप में काम कर के पाने वाले वेतन पर "पूर्णतः निर्भर" करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में (जिलावार) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि इन पदों पर केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जिनके पास आजीविका के स्वतन्त्र साधन हों। फिर भी ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां कि इस शर्त को पूरा करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना संभव नहीं हो सका है। पंजाब परिमण्डल में ज़िलेवार ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या, जो कि पूरी तरह अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रूप में प्राप्त उपलब्धियों पर ही आश्रित हैं, इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

3075. श्री जेधे : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्थाई आधार पर असैनिक पदों पर नियुक्त किये गये युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों का मूल वेतन जो कि 26 अगस्त, 1949 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6-14-49 सी० एस० की कंडिका 2 के अनुसार पहले निर्धारित किया जा चुका था उसे बाद में 19 मार्च, 1951 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16-3-50 सी० एस० के अनुसार पुनर्निधारित किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 16 अगस्त, 1947 के पहले के युद्ध सेवा वाले कर्मचारियों से निर्धारित वेतनक्रम अपनाने के लिये केन्द्रीय सिविल सेवा (वतन का पुनरीक्षण) नियमों के अन्तर्गत निर्धारित फार्म की कंडिका 2 (तीन) में विकल्प मांगा गया था ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इन कर्मचारियों का वेतन इतनी लम्बी अवधि के बाद पुनर्निर्धारित करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को वित्तीय घाटा हुआ ; और

(ङ) क्या इस सम्बध में हाल में सरकार को अभ्यावेदन मिला है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) वेतन का पुनः निर्धारण केवल उन्हीं मामलों में किया जाना था जिनमें कि मूल वेतन निर्धारण तत्सम्बंधी आदेशों के अनुसार नहीं हुआ था।

(घ) अभीष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु विभिन्न मंत्रालयों से इकट्ठी करनी होगी।

(ङ) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों से हाल में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है, परन्तु एक संसद् सदस्य से एक पत्र मिला था। वस्तुस्थिति संसद् सदस्य को बता दी गयी है। किसी विशिष्ट मामले अथवा सामान्य आदेशों पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं पाया गया।

उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाना

3076. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में हुए मजदूर संघ सम्मेलन ने उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाने के विरोध में अखिल भारतीय दिन मनाने का निश्चय किया है ;

(ख) उन्होंने स्वचालित मशीनें लगाने के विरोध में कौन-कौन सी विशिष्ट मांगें प्रस्तुत की हैं, और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांगें कीमती स्वचालित मशीनों के आयात में रोक लगाने तथा बेरोज़गारी और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण इसे सरकार द्वारा प्रोत्साहन न दिये जाने से संबंधित है।

(ग) ये मांगें संबंधित मंत्रालयों को विचारार्थ भेज दी गई हैं।

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के पदाधिकारियों द्वारा भारत के उर्वरक कार्यक्रम की जांच

3077. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक कार्यक्रम पर विचार करने के लिये अमरीका के अधिकारियों के आदेश पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के उच्च अधिकारियों के एक दल ने हाल में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला तथा विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बने उर्वरक कार्यक्रम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा पुनः सहायता दिये जाने की क्या संभावनाएं हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : कुछ सप्ताह पहले अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास के कुछ अधिकारी रसायन विभाग के अधिकारियों से मिले। हमें मालूम नहीं है कि इन अधिकारियों को हमारे उर्वरक कार्यक्रमों की जांच के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। बैठक बिल्कुल अनौपचारिक थी और ऐसे मामलों पर विचार-विमर्श नहीं किया गया जैसे उर्वरक प्रोग्राम के लिये अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का पुनरारंभ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

3078. **श्री मणियंगाडन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केरल राज्य में राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये कितने छात्रों को उपयुक्त घोषित किया गया ;

(ख) कितने छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दी गई और शेष छात्रों को यह राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह योजना 1966–67 में भी जारी रहेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्) : (क) राज्य सरकार से जो सूचना मिली है उसके अनुसार राज्य के 1026 छात्रवृत्तियों के कोटे में से 1026 उम्मीदवार चुने गये थे। अन्य राज्यों द्वारा अप्रयुक्त कोटे में से 105 छात्रवृत्तियां हाल ही में इस राज्य को दी गई जिनमें से उसकी प्रतीक्षक सूची से 105 उम्मीदवार चुनने को कहा गया है।

(ख) मार्च 22, 1966 तक राज्य सरकार द्वारा 553 उम्मीदवारों का खर्च दे दिया गया है। बाकी के विद्यार्थियों ने उधार रुपये को वापस देने का शर्तनामा नहीं भरा है। राज्य सरकार इन विद्यार्थियों को शर्तनामा भरने के लिये बराबर याद दिला रही है जिससे उन्हें छात्रवृत्तियों की रकम दी जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के कालेजों में स्थानों का आरक्षण

3079. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पिछड़े जातियों के लिये कालेजों में स्थान आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त कुमार पिल्ले आयोग का प्रतिवदन प्रकाशित कर दिया है; :

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां 29–3–1966 को संसद् पुस्तकालय में रख दी गई ह।

(ग) जी नहीं। प्रतिवेदन विचाराधीन है।

Service Books of Class IV Employees

3080. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Service Book of Class IV employees having no knowledge of English are maintained in English;

(b) whether it is also a fact that Class IV employees have submitted representations demanding that their Service Books be maintained in Hindi so that they could verify the entries made in their Service Books;

(c) whether it is also a fact that these representations have been rejected; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) Yes, Sir.

(b) The Junior Staff Council of the Department of Agriculture represented to that Deptt., that entries in the Service Books of Class IV staff should be made in Hindi to facilitate them to read their service records themselves.

(c) & (d). The Form of Service Book has been translated in Hindi and is being vetted by the Office of Comptroller and Auditor General of India. The question of keeping the service record of Class IV staff in Hindi is being considered.

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

3081. **श्री राजदेव सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम् के सेक्टर 6 में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर इस कारण अलाट नहीं किये गये हैं कि नगर निगम पानी की व्यवस्था नहीं कर सका है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि सेक्टर 5 और सेक्टर 7 में पानी की व्यवस्था कर दी गई है और सेक्टर 6 इन दोनों के बीच में पड़ता है,

(ग) यदि हां, तो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं करने के क्या कारण है; और

(घ) इन क्वार्टरों को अलाट न करने से किराये की कितनी हानि हुई ।

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अधिकांश क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं, लेकिन कब्जा पानी उपलब्ध होने पर ही दिया जाएगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) नगर निगम ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 2,000 क्वार्टरों के लिए पानी दिया था । इस पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में निर्माण तथा आवास मंत्रालय से बातचीत की गई और सेक्टर 6 में डाक-तार विभाग के कुछ क्वार्टरों को पानी देने की प्रार्थना की गई, लेकिन सप्लाई की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका ।

(घ) लगभग 38,000 रुपये प्रतिमाह ।

Kerala Education Rules

3082. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the time to be taken by Government of Kerala in issuing a declaration under Rule 6 of Chapter XXVI of Kerala Education Rules ;

(b) the direction given by the High Court, in its judgement passed on the writ appeals Nos. 129 and 137/64 regarding the issue of a declaration under Rule 6 of Chapter XXVI of Kerala Education Rules; and

(c) the action taken by Government in the matter in view of the said judgement ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The High Court directed the State Government to consider whether a declaration as contemplated in Rule 6, Chapter XXVI is necessary, and if so, to do it. Directions given by the High Court are under consideration of the State Government.

Pay and Qualifications of Kerala Teachers

3083. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the qualifications required under Rule 6 Chapter XXVI of Kerala Education Rules for the teachers to be treated on the same footing and to be promoted to the first grade of pay in the same ratio ;

(b) the qualifications recognized by the Government of Kerala as equivalent to gradute qualification as per the fifth and sixth paragraphs of Order No. ED 9-16543/52/E.H.L. dated the 28th November, 1952; and

(c) whether these qualifications are in accordance with the provision of the said Kerala Education Rules, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Ecducation (Shri M. C. Chagla) : (a) Language teachers of High Schools who have graduate qualification or other qualification declared by Government to be equal to it shall be treated on the same footing as other graduate teachers and shall be included in the list of graduate teachers for fixing the number of first grade posts for each aided school or for all schools under a single educational agency;

(b) and (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी

3084. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये अनुमतेय आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, ताकि वे विभिन्न सेवाओं के लिये केन्द्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या छूट दी गई है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई छूट नहीं दी गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नासकर) : (क) से (ग) : उन अखिल भारतीय सेवाओं तथा श्रेणी i तथा श्रेणी ii (गैर तकनीकी) केन्द्रीय सेवाओं/पदों में स्थायी रिक्त स्थानों का कुछ प्रतिशत, जो सीधी भरती द्वारा भरे जाते हैं, ऐसे आपातकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा लघु अवधि के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये आरक्षित किया गया है, जो प्रथम नवम्बर, 1962 से भरती किये गये हों, तथा सेवा से सेवामुक्त हो जायें। आरक्षित स्थानों में भरती के लिय ऐसे सेवामुक्त अधिकारियों के हेतु इस सीमा तक छूट दी गई है, कि कमीशन मिलने से पूर्व के प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से पूर्व यदि वे सम्बन्धित सेवा/पद के लिये अधिक आयु के न हों, तो वे उनकी भरती के लिये पात्र समझे जायेंगे।

Staff Engaged in Translation Work in Ministries

3085. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Hindi staff prior to the 26th January, 1965 in the various Ministries of the Government of India engaged on Hindi work like translation of Parliamentary Questions and other work; and

(b) the number of such staff at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha in due course.

हिंदी संस्थाओं को अनुदान

3086. श्री किशन पटनायक :

श्री मौर्य :

श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा समान आधार पर हिन्दी संस्थाओं को अनुदान नहीं दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भविष्य में सभी हिन्दी संस्थाओं को समान आधार पर अनुदान दिये जाएंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान एक ही आधार पर दिया जाता है, और यह है स्वीकृत योजनाओं के कुल व्यय का 75 प्रतिशत ।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठते, श्रीमन् ।

थम एवं द्वितीय श्रेणी के रिक्त पद

3087. श्री घुलेश्वर मीना : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों मे प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों के कितने रिक्त पदों को वर्ष 1964 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के आधार पर भरने का विचार था ;

(ख) वर्ष 1964 में भारत प्रशासन सेवा की परीक्षा के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों में से कितने लोगों की नियुक्ति की गई ;

(ग) कितने पद रिक्त पड़े हैं और किन-किन विभागों में ; और

(घ) उन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 1964 की अखिल भारतीय सेवा आदि परीक्षा के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में द्वितीय श्रेणी की सेवाओं की 30 रिक्तियां तथा प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 187 रिक्तियां भरती करने का विचार था ।

(ख) प्रथम श्रेणी के पदों में 183 तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में 24।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों का आवन्टन कुशलता सूचि में उनके पद तथा उनके विभिन्न अधिमान के अनुसार किया जाता है यदि नियुक्ति स्वीकार न करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी अयोग्यता आदि जैसे विभिन्न कारणों से कुछ उम्मीदवार नियुक्त न किये जा सके, तो परिणामतः कुशलता सूची या अधिमान के आधार पर आवन्टन में समायोजन आवश्यक हो जाता है। कुछ समय बीतने के पश्चात् ऐसे समायोजन करना प्रशासनिक रूप से सम्भव नहीं होता। अतः एक विशिष्ट तिथि के पश्चात् कोई नियुक्तियां नहीं की जाती, और रिक्तियां अगली परीक्षा में ले जायी जाती हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा में भूख से मृत्यु का समाचार

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"उड़ीसा में भूख से मृत्यु के समाचार"

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know whether the names of those who gave notices of the adjournment motion have also been included in this calling Attention notice or not ?

Mr. Speaker : No.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के वाद-विवाद के कुछ पेपर देखे हैं जिन से पता चलता है कि उड़ीसा के कालाहन्डी जिले के दीदराह ग्राम में भूख से कुछ मृत्यु हुई हैं। उड़ीसा सरकार से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि विधान सभा में यह मामला उठाये जाने पर उड़ीसा सरकार के राजस्व के उप-मंत्री और विधान सभा के दो दूसरे सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था तथा वहां की स्थिति की जांच की है। सहायता कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा लोगों को रोजगार भी दिया गया है। फिर भी दौरा करने वालों का विचार है कि वहां पर बच्चों तथा महिलाओं की स्थिति अधिक संतोषजनक नही है। ग्राम वासियों ने उनको बताया कि पिछले दो सप्ताह में मृत्यु हुई हैं। मरने वालों में अधिकतर बच्चे थे। ऐसा कहा गया है कि ये मृत्यु अधिकांश कुपोषण तथा लम्बी अवधि के लिये रोगी रहने के कारण हुई हैं। उड़ीसा सरकार ने सहायता कार्य को तेज कर दिया है। लोगों को नकद भी दिया जा रहा है तथा मुफ्त चावल भी बाटे जा रहे हैं।

उड़ीसा उन राज्यों में से एक है जहां 1965–66 में सूखा पड़ा है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल ही कम हुई है और एक प्राक्कलन के अनुसार राज्य के लगभग 16 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है तथा 36 प्रतिशत क्षेत्र में आंशिक रूप से नष्ट हो गई है। योजना आयोग के सलाहकार के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने इस राज्य का दौरा किया था। उसके अनुसार बोलनगीर, कोरापट, कालाहांडी तथा सुन्दर गढ़ जिलों पर सूखे का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सम्बलपुर, कटक

(श्री चि० सुब्रह्मण्यम)

तथा ढेंकानाल जिलों के कुछ भागों में भी सूखा पड़ा है । दल ने अपने प्रतिवेदन में यह बताया है कि उड़ीसा राज्य में मुख्य समस्या खाद्य पदार्थों की उपलब्धि की नहीं अपितु कम आय वाले वर्ग के लोगों को रोजगार दिलाने की है । राज्य सरकार ने कई सहायतार्थ कार्य आरम्भ किये हैं और इस से लोगों को रोजगार मिला है । जहांतक अनाज की सप्लाई का सम्बन्ध है उड़ीसा के लोग मुख्यता चावल ही खाते हैं । राज्य सरकार ने वसूली के लिये एकाधिकार प्रणाली लागू कर दी है और लोगों को उचित दामों पर चावल देने के लिये कई दुकानें खोल दी हैं । राज्य सरकार ने जितने गेहू के लिये कहा है उन को दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वृद्ध, कमजोर तथा बच्चों को, जोकि मेहनत करके धन नहीं कमा सकते, मुफ्त चावल बांटने के लिये प्रत्येक खण्ड मुख्यालय को 10 क्विंटल चावल दिये हैं । जैसे ही विदेशों से दूध के पाउडर की अपेक्षित मात्रा प्राप्त हो जायेगी हम इस पाउडर से बने दूध को निर्धन वर्ग में वितरण करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार इस विषम स्थिति की जिम्मेदारी नियत करने के लिये ऐसी कार्यवाही करने का है जोकि इस सभा को स्वीकृत हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रकार की स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना और उसके लिये कुछ कार्यवाही करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । हमने जितनी भी सहायता भी मांगी जाती है हम उतनी सहायता देने का यत्न करते हैं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या विशेष सहायता दे रही है ? केन्द्रीय तथा राज्य सरकार जो कुछ सहायता भी लोगों को देना चाहे वह रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं की मारफत दी जानी चाहिये न कि सामान्य सरकारी एजेन्सियों की मारफत ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बात का फैसला करना राज्य सरकार का काम है क्योंकि ग्राम तथा दूसरे विभिन्न स्तरों पर उनकी अपनी एजेन्सियां हैं । यदि वह किसी दूसरी एजन्सी की सहायता लेना चाहे तो वह ऐसा कर सकते हैं परन्तु इस बात का निर्णय उन्होंने ही करना है ।

हम सर्वप्रथम उनको वित्तीय सहायता दे रहे हैं जिस से कि वह सहायता कार्य चालू रख सकें । जितनी भी गेहूं राज्य सरकार ने मांगी थी दूसरे राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने दी है । जनवरी में 3000 टन, फरवरी में 7,500 टन तथा मार्च में उन्होंने 14,500 टन गेहूं की मांग की है जोकि हम दे रहे है । इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों को दूध का पाउडर और विटामिन की गोलियां भेजी जा रही है । यह सब चीजे विभिन्न देशों से उपहार के रूप में मिल रही हैं । हम उड़ीसा से भी दूध के पाउडर तथा इन गोलियों के वितरण का प्रबन्ध कर रहे हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि इस वर्ष स्थिति बहुत गम्भीर है और इस प्रकार की विपदा को रोकने की सब की जिम्मेदारी है । परन्तु इन सब मामलों में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है । अधिकांश कार्यवाही राज्य सरकारों को ही करनी होती है ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : It has appeared in the 'Matribhumi' that eleven persons died of starvation during the last ten days and in Nava Para sub-division people were seen lying on the roads. They are compelled to eat animal flesh. There is statement in "Dainik Samaj", by Sarvodaya leader Smt. Rama Devi, it has been stated that people are eating leaves of trees and are leaving their homes. They are so weak that they cannot work and earn their livelihood.

On a previous occasion the hon. Minister stated that rice is surplus in Orissa. I challenged his statement. The concerned minister in the Orissa

Assembly has said that the Centre seems to have wrong impression that this surplus in Orissa is exportable surplus. It is not exportable surplus; it is marketable surplus.

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह बात नहीं है कि उड़ीसा सरकार यहा विधान सभा इस ओर ध्यान नहीं दे रही है । ये सब मामले विधान सभा में उठाये गये हैं । मंत्री महोदय ने प्रभावित क्षत्र का दौरा भी किया था और बाद में एक प्रतिवेदन दिया था, जिसको मैंने पढ़ा है । इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई कार्यवाही नही की जा रही है । दूसरी ओर प्रत्येक कार्यवाही की जा रही है जिससे कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर न घट सके । विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों के बारे में उचित ध्यान दिया जा रहा है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : वहां पर बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस स्थिति के उपर हमें काम रोके प्रस्ताव या किसी दूसरे तरिकों से चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) **:** The hon. Minister in his statement has said something about malnutrition. I would like to know the difference between malnutrition and starvation. I do not want to know the literal meaning of the words. Had he used the word 'starvation' what legal and economic difference it would have made ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : "मैलन्यूट्रिशन" का अर्थ है कम खाना मिलना और 'स्टार्वेशन' का अर्थ है बिल्कुल ही खाना न मिलना । यह सच है कि हमारे देश में लगभग 30 प्रतिशत लोग कपोषण से पीड़ित हैं । यह बड़े दुख की बात है परन्तु सच यही है । हमें इस स्थिति में सुधार करना है । सुखा पड़ने के कारण स्थिति अधिक गम्भीर हो गई है । लोगों की स्थिति को देखते हुए हम दूसरे देशों से सहायता ले रहे हैं ताकि इस स्थिति का मुकाबला किया जा सके ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टैकनोलोजी संस्थान बंबई के वार्षिक लेखे

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : मैं शिक्षा मंत्री श्री चागला की ओर से टैक्नोलोजी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय टैक्नालोजी संस्थान, बम्बई के 1964-65 के वार्षिक लेखे **की एक प्रति** तथा उन पर लेख परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-5939/66।]**

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं 1-अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या **जी०एस० आर० 307** की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 5 मार्च 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (परिशिक्षा) नियम 1954 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-5940/66।]**

लोयर बदन कोयला खान में हुई दुर्घटना की जांच का प्रतिवेदन ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं लोअर बढना कोयला खान, धनबाद मे 11 जनवरी 1966 को हुई घातक दुर्घटना के बारे में जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-5941/66।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि लोक सभा द्वारा 24 मार्च 1966, के पास किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 24 मार्च, 1966, को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक 1966 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

चौथा प्रतिवेदन

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

छियानवेवां तथा सत्तानिवेवां प्रतिवेदन

श्री अरुण चन्द्र गुहा (बारासत) : मैं परिवहन मंत्रालय–बम्बई पत्तन के बारे में प्राक्कलन समिति का 96 वां और 97 वां प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) प्रस्तुत करता हूँ ।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

चौथा प्रतिवेदन

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाटा) : मैं इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन नई दिल्ली, के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 23 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

विश्वभारती की संसद

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : मैं श्री चागला की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ :

"कि लोक सभा के सदस्य विश्व भारती विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की संविधि 10 के खण्ड (5) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, 1951 की धारा 19 की उप-धारा (1) (बारह) के अनुसरण में ऐसी रीती से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश भारती की सदस्य (कोर्ट) आगामी अवधि के लिये उसके सदस्यो के रूप में कार्य करने के लिये अपने मेसे दो सदस्य चुनें"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य विश्व-भारती विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की संविधि 10 के खंड (5) के साथ पठित विश्व-भारती अधिनियम, 1951 को धारा 19 की उप-धारा (1) (बारह) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, विश्व-भारती के संसद् (कोर्ट) की आगामी अवधि के लिये उसके सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted*

पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में
RE : FOOD SITUATION IN WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अब पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : On the one hand you say that there is no shortage of food in the West Bengal and on the other hand you say that the leftist are misguiding the people. If that is so, it means the West Bengal Government is inefficient because it cannot check few leftists who misguide the people while the food is available there.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : महोदय, मेरा विचार है कि मैं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहां पर उत्पादन कम हुआ है और मांग और सप्लाई में अन्तर है। इसलिये केन्द्रीय रक्षित भण्डारों से हमने गेहूं दे करके इस अन्तर को पूरा करने का प्रयत्न किया है। नवम्बर में कलकत्ता में राशन में कमी कर दी गई थी क्योंकि गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा था। एक क्षेत्र के अलावा शेष सभी क्षेत्रों में राशन को पुनः बढ़ा कर 2000 ग्राम प्रति सप्ताह कर दिया गया है। दिल्ली, कानपुर, मद्रास तथा कानूनी राशन वाले दूसरे सभी क्षेत्रों में 2000 ग्राम राशन प्रति सप्ताह दिया जाता है। परिवर्तित राशन वाले क्षेत्रों में जहां कि कानूनी राशन की व्यवस्था नहीं है राशन की मात्रा 1500 ग्राम से बढ़ाकर 1800 ग्राम प्रति सप्ताह कर दी गई है। यही मुख्य बात है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विवरण के पृष्ठ 5 में मंत्री महोदय ने बताया है कि :

"मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को अधिक अनाज देने के लिये जो कार्यवाही की है उससे स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।"

[स० मो० बनर्जी]

और इसके बाद उन्होंने कहा है कि :

"भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है और इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम पश्चिम बंगाल सरकार की यथा सम्भव सहायता करेंगे।"

महोदय इसका अर्थ यह है कि माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति गम्भीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं, कि मुख्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद 6 अप्रैल को हड़ताल का नारा लगाया गया है क्योंकि संयुक्त वामपंथी मोर्चे वाले लोग महसूस करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जितने कोटे की मांग की है उतना कोटा उन को केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और वे लोग यह भी महसूस करते हैं कि इतने कोटे की लोगों का पेट भरने के लिये वास्तविक जरूरत है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने अनाज की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने कितना अनाज सप्लाई किया है और इसमें कितना फर्क है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्होंने 25,000 टन गेहुं की मांग की है और हमने यह अनाज देना स्वीकार कर लिया है। गणना करने पर मालूम हुआ कि उनको 30,000 टन अनाज की आवश्यकता होगी हमने उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये इतना अनाज देना स्वीकार कर लिया है। संयुक्त वामपंथी मोर्चे के नेताओं ने उन सब लोगों को छोड़ने को कहा है जिनको कतल आग लगाने तथा लूट करने की वारदातों के लिये गिरफ्तार किया गया था। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सामान्य खाद्य स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की हर सम्भव सहायता की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम) : केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री ने कई बार कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस वर्ष केवल एक लाख टन चावल दिया जायेगा विवरण के पृष्ट 3 पर मंत्री महोदय ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 4.70 लाख टन चावल वसूल किया है और आशा है कि वह अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

11 लाख टन चावल की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मार्च के अन्त तक केवल 4.30 लाख टन चावल ही वसूल किया गया है इसलिये राज्य सरकार का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने की कोई सम्भावना नहीं है इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस पूर्व धारणा पर कि राज्य सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा जो एक लाख टन चावल देने को वचन दिया है क्या यह मात्रा अपर्याप्त नहीं होगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पश्चिम बंगाल सरकार को अब भी पूर्ण विश्वास है कि वह अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लेगी। माननीय सदस्य के दल के दूसरे माननीय सदस्यों तथा विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने बड़े जमाखोरों से भण्डार दिलवाने के लिये सरकार के साथ सहयोग करने का वचन दिया है। मुझे विश्वास है कि इन सब प्रयत्नों से सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी। यदि यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तो हम स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : गत वर्ष कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में राशन 2000 ग्राम से अधिक था। तब इसमें कटौती की गई और राशन को 2000 ग्राम कर दिया गया। संयुक्त वामपंथी मोर्चे की मुख्य मांग यह है कि इस मात्रा को थोडा और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये। वे केवल गेहूं के लिये मांग कर रहे है न कि चावल के लिये। पिछले कुछ समय से मंत्री महोदये न केवल अनौपचारिक तौर पर बल्कि सभा में भी कह रहे हैं कि वह पश्चिम बंगाल को किसी भी मात्रा में गेहूं दे सकते हैं। इस लिये मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखते हुए मुझे आशा है कि सरकार पश्चिम बंगाल में लगभग 100 ग्राम और राशन बढ़ा देगी। यह लोगों की मांग है इस लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सारे मामले पर पुनः विचार करेंगे और पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाला हड़ताल को रोके।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने सारे देश में 2000 ग्राम राशन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। जब कि दिल्ली, मद्रास कोयम्बतूर तथा दूसरे कानूनी राशन वाले क्षेत्रों में 2000 ग्राम राशन दिया जाता है तो कलकत्ता में इसमें भेद कैसे किया जा सकता है। जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है उनको राशन की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस 100 ग्राम को अतिरिक्त मात्रा पर जोर न दें। समस्त देश की खाद्य स्थिति तथा कानूनी राशन वाले क्षेत्रों की सप्लाई की स्थिति को देखते हुए 100 ग्राम की अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई करना भी कठिन है। सदस्य पी ०एल० 480 करार पर आपत्ति कर रहे हैं जब कि यह सब सप्लाई उस करार के अन्तर्गत मिलने वाले गहूं से ही की जा रही है। गेहूं की सप्लाई के लिये भी हम इस पर निर्भर है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : जब सरकार पर हड़ताल आदि द्वारा दबाव डाला जाता है केवल तब ही सरकार कुछ रियायतें देने के लिये तैयार होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को, अनाज के समाहार तथा वितरण के कार्य में सहायता देने के लिये विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय समितियां नियुक्त करने के लिये क्यों नहीं कहती है? ऐसा किये बिना सरकार की कागजी कार्यवाही का कोई परिणाम न निकलेगा। मैं भारत सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को बतायेगी कि उसका क्या कर्तव्य है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है। राज्य स्तर पर एक समिति पहले ही नियुक्त की जा चुकी है। यदि जिला, खंड तथा ग्राम स्तर पर और समितियां नियुक्त करना आवश्यक समझा जाता है तो राज्य स्तर की समिति इस संबंध में निर्णय कर सकती है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समिति द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों को क्रियान्वित करेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The grants of foodgrains to West Bengal by the Central Government are progressively increasing since the month of January. Sabotage and violence also started in the month of February there. What action Government is taking to remove the impression from the minds of the people that the supplies are increased when pressure is put upon the Government ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि माननीय सदस्य यह समझते है कि सरकार दबाव और हिंसा के आगे झुक जाती है तो माननीय सदस्य शायद यह आशा करते हैं कि राज्य सरकार जो भी मांग करे उसके लिये मुझे इन्कार कर देना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सैरामपुर) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

Mr. Speaker : Your name is not there.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 376।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह एक सामान्य नियम नहीं है कि हर बार.....

Shri S. M. Banerjee : Sir, my point of order is this that we had given calling attention notices, but they were rejected by you on the ground that Minister was making a statement. But for convenience sake you called only those members who had given calling attention notices. Just as you called those members *suo-motu*, you can also give chance to Shri Dinen Bhattacharya.

Mr. Speaker : When he agreed to make a statement, I reported the calling attention notices that were with me. Under Rule 376 a point of order can be raised only when it relates to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House. **(अन्तर्बाधाएं * * *)**

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अग्रेसर विचार तथा मतदान करेगी। श्री सुरेन्द्रपाल सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हमने जो अनुभव हासिल किया है उसके आधार पर तथा हमारी आसूचना द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर हमें दोनों शत्रु देशों की सेनाओं की कमजोरियों तथा अच्छी बातों का सही अनुमान लगाना चाहिये और खतरे का मुकाबला करने के लिये अपनी सेनाओं को पूरी तरह से तैयार करने के लिये युद्धनीति को बनाना चाहिये।

हमें इस सभा में कई बार आश्वासन दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा नई सड़के बनाने का कार्य अच्छो तरह चल रहा है। परन्तु हम इन आश्वासनों से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि समाचार पत्रों में जो जानकारी आती है वह आप इन आश्वासनों से उलट ही होती है। जो जानकारी हमारे सामने यहां रखो जाती है उससे पता नहीं चल पाता कि इस संगठन के साम्ने कोई निश्चित लक्ष्य रखे गये हों।

परिवहन मंत्रालय के 1965-66 के प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि पिछले छः वर्षों में इस संगठन द्वारा, वास्तविक लक्ष्यों का केवल एक तिहाई ही प्राप्त किया गया है। प्रगति की यह गति बहुत धीमी है।

परिवहन मंत्रालय के 1964-65 के प्रतिवेदन के अनुसार 30 सितम्बर, 1964 तक 1,133 मील लम्बी सड़के बनाई गई और 30 नवम्बर, 1965 तक 1,553 मील लम्बी सड़कें बनाई गईं। यदि, 1,553 में से 1,133 घटा कर दिये जायें तो 420 बचते हैं। इससे पता चलता है कि 1964-65 में केवल 420 मील लम्बी सड़क बनाई गई।

हमारे सीमा क्षेत्रों के बहुत से महत्वपूर्ण भागों में सड़क नहीं हैं और इससे सशस्त्र सेनाओं के कार्य में रुकावट पड़ती है।

1963 में सरकार को चेतावनी दी गई थी कि मिज़ो पहाड़ियों में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। यह आवश्यक था कि वहां पर यथाशीघ्र सड़कें बनाई जाती। दुर्भाग्य से वहां सड़कें नहीं बनाई गई और हमारी सशस्त्र सेनाओं को 10-15 दिन तक पैदल चलना पड़ा।

---

* * * कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया

Not Recorded.

इसके अतिरिक्त, वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उसके आर्थिक विकास के लिये भी सड़कों का होना आवश्यक है। यदि वहां से लोगों की आर्थिक दशा अच्छी होगी तो हमारी सशस्त्र सेनाओं को भी उन लोगों से अच्छा सहयोग मिल सकेगा।

दूसरी बात मैं हमारी वायुसेना के विमान चालकों को दिये जाने वाले उड़न अधिदान के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे विमान चालकों ने हाल में भारत पाकिस्तान संघर्ष में बहुत ही अच्छा कार्य कर के दिखाया है। अतः समूची वायु सेना के लिये हमें कुछ करना चाहिये और इसका एक तरीका यह है कि विमानचालकों को दिये जाने वाले उड़न अधिदान में पर्याप्त वृद्धि की जाये। पाकिस्तान और इन्डोनेशिया जैसे देशों में भी हमारे यहां की अपेक्षा विमान चालकों को अधिक उड़न अधिदान दिया जाता है। उड़न अधिदान को बढ़ाने का एक और फायदा यह होगा हमारी वायु सेना के लिये हमें अधिक योग्य व्यक्ति मिल सकेंगे।

हमारे सैनिकों के परिवारों के लिये मकानों की उचित व्यवस्था नहीं है। उपलब्ध मकान अधिकृत मकानों की संख्या से बहुत ही कम हैं। इस कमी को दूर करने के लिये अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिये।

इस संबंध में प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा 1957-58 में सर्वेक्षण किया गया था। उस सर्वेक्षण से यह विदित हुआ कि यदि इसी गति से कार्य किया गया तो अपेक्षित रिहाइस का उपबन्ध करने में 100 वर्ष भी अधिक समय लगेगा। सरकार से मेरा निवेदन है इस संबंध में शीघ्र कोई कार्य करें।

बीकानेर के महाराजा ने जो सुझाव दिया कि हमें अपने सभी सिमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना चाहिये, मैं उसका समर्थन करता हूं। इससे तीन लाभ होंगे। एक तो यह कि एसा करने से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। दूसरे इससे सीमावर्ती क्षेत्रों पर शत्रु की जासूसी की कार्यवाहियों का अन्त हो जायेगा। तीसरे यदि इन लोगों को शस्त्र भी दे दिया जायें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में शत्रु द्वारा घुसपैठ की कार्यवाहियों को भी रोका जा सकता है।

हमारी नौ सेना के साथ सौतेली मां का सा सलूक किया जा रहा है। समय समय पर आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि नौसेना को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। परन्तु अब तक जो प्रगति हुई है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे अधिकांश जहाजों की हालत ऐसी है कि उन्हें रद्दी घोषित कर दिया जाना चाहिये। 1962 के बाद कोई नया जहाज़ नहीं खरीदा गया है।

श्री कृष्ण मेनन के समय से अब तक पनडुब्बियां प्राप्त करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रतिवेदन में 'पनडुब्बी' का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिरक्षा मंत्री बतायें कि क्या पनडुब्बियां प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले।

हमारे बहुतसे विमान पुरानी चाल के हैं। मैं जानना चहता हूं कि उनको बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। यह बहुत आवश्यक है कि विमान वाहकों में पनडुब्बियां तथा छोटे जहाज़ हों।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Speaker, Sir, this grateful nation shall ever be indebted to those gallant soldiers of our Armed Forces who lost their lives in defending the honour and sovereignty of this country. We pay our tributes to them who sacrificed their lives in the recent Indo-Pak conflict.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

The year 1965 was a very difficult year for us. In this year Pakistan attacked us in Ran of Kutch by violating the Agreement of 1960. U.N.O. and its Security Council failed to check Pakistan. At that time also we made an argee-ment. Soon after that on August 5 Pakistan committed aggression upon India by sending her infiltrators in Kashmir. On September 1 Pakistan crossed the international line. On 6th September, 1965 we decided to face Pakistan's attack to defend our country.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The courage and chivalry shown by Indian forces in that encounter will be written in golden letters in the history not only of India but also of the world. Our Jawans had proved that superior weapons of the enemy are no match to their bravery and gallantry. After defeating Pakistan we concluded the Tash-kent Agreement. Only two months have passed since this Agreement was signed and feverish war preparations are going on in Pakistan. They have displayed Chinese tanks and MIGs in a parade in Rawalpindi. Even after facing defeat Pakistan is showing its teeth to India. In this background I want to say a few things.

Our defence preparations must continue and for this we should depend more on ourselves. Russia is our real freind and we have seen what our friend Britain is. When the question of India's sovereignty and integrity arose, Britain was the first country to put restrictions on our goods. Britain can never forget that her imperialism was destroyed by India. Britain will always help Pakistan against India.

For the manufacture of Net aircrafts within the country we have to import 15 per cent of the components from outside. But those 15 per cent parts constitute half the cost of the aircraft. I know these parts are imported from Britain and Britain's attitude we have already seen.

U.S.A. is bent upon giving arms to Pakistan directly or indrectly. These arms can find their way to Pakistan through Iran or Turkey. Therefore we have to be self-reliant.

Every time we are given a dose that U.S.A. is fighting in Vietnam to contain Communism in Asia. Well, we shall discuss this policy of America in the debate on foreign affairs. So far as the giving of aid to India is concerned America imposes certain conditions which are not proper. They say that they will give fertiliser but that their peace core will distribute that or that they consider the question of supplying supersonic, but that they will inspect all our defence installations. America must know that we are vigilant and cannot be deceived. We can welcome air from America only if it comes without strings attached to it.

Contracts of the order of Rs. 20 crores have been given to the Private Sector. These contractors, should, as far as possible be given to the Public Sector. This is more proper in the interest of the security of the country.

In view of the aggressive postures of China and Pakistan we should have a missile programme. It were better if demands for excess grants had been made in regard to this item.

China is our biggest enemy today and she is having atom bombs. How do you propose to fight that enemy ? You have said that we will not make atom bomb. We have already seen what type of enemy China is. Atom bomb cannot be manufactured by magic. If China makes use of atom bomb, America will place before us the terms of nuclear umbrella and they will bring here occupation army also. Then we will realise the need of atom bomb. Therefore this question of manufacturing atom bomb should be reconsidered.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The bravery shown by our jawans and officers enhances our prestige but it should not become a subject of self-praise and self-satisfaction.

Government should give full thought to the security of the border areas. The Security of the country depends not only on the strength of our army or on weapons of war; there should be a coordination of our foreign, domectic and economic policies.

That our diplomacy has been a utter failure is clearly evident from the fact that our government has been quite unsuccessful in convincing the world that Kashmir is and will remain an integral part of India. Even Russia, which claims to be our friend, did not favour us in the Security Council and declare Pakistan as aggressor. So far as success in diplomacy is concerned, Pakistans has been far and away better than us. Pakistan and America claim to be friends but Pakistan has colluded with China, through China and America are each other's bitter enemies. Similarly, China and Indonesia are bitter enemies but Pakistan and Indonesia are friends.

After signing of the Tashkent Agreentment, a Peace Mission comprising people from America and some European countries, went to Karachi. They were told by Pakistani authorities that Pakistan had given good thrashing to India and that they would have conquered Delhi if the conflict had continued for another ten days.

If this kind of propaganda is going on in Pakistan, we have little hope that Pakistan will ever act according to the Tashkent agreement.

We should, therefore, assess our shortcomings in the field of diplomacy and we should try to remedy them soon for they have a direct bearing on our security.

Our domestic policy also is not quite sound. The correspondence recovered from the hostile Mizo's reveal that they are getting help from Indonesia. Nothing good can be done by our army until our domestic policy continues to be like this.

After the Tashkent agrrement, when we vacated Hajipir, our jawans were at a loss to decide whether the responsibility to check infiltration in future would be that of the army or of the Jammu and Kashmir government or of anybody else. The Defence Minister has not been able to clearly indicate whether the task of checking infiltration has been entrusted to the Security forces or to the State Government which has all along been a total failure in this behalf. Government should pay full attention to this immediate problem.

One of the Ministers of China very much praised the warm reception that was accorded to him in Pakistan. Besides, the parade of Chinese tanks

[Shri Kashi Ram Gupta]

and planes in Pakistan was in a way a good thing for us because it had disclosed the realities and put them in true perspective. It showed that Pakistan had acquired those weapons from China and had increased her military strength. We should, therefore, also make efforts to increase our military strength.

There is discrimination in the amount of compensation given to the families of the jawans and of the officers who died on the battlefield. A general's family gets rupees 16,000 but a jawan's family is entitled to rupees 250 only even though financially a general is very much better off than a sepoy. This sort of provision smacks of capitalism. I want that if there is any discrimination to be made at all, the jawan's family should get the highest amount and not that of an officer.

Things should be set right in so far as pension to the lower ranks is concerned.

The corruption that is prevailing in the civil side has also creeped into our army. Formerly, court-martial cases used to be decided quickly. I know of a court-martial case which has been pending decision since long even though there are a number of embezzlement charges against the accused.

An A.C.C. centre was opened at Alwar at the cost of crores of rupees. As the money was not spent properly, enquiries were conducted into the affairs but the matter appears to have been hushed up. The centre has also since been closed down.

Government should first eschew corruption from the army but that will not be possible until the civil side is also freed from it.

Irrespective of differences in ideology, the different parties should have one point of view regarding China and Pakistan. The Leftist Communists should not ask for a compromise with China nor should the Swatantra Party men call for a compromise with Pakistan. Shri Azad has just said that Russia is our friend but why did Russia not favour us on the Kashmir question in the Security Council. We should evolve a proper line of diplomacy to put forward our case.

The question of making atom bomb cannot be justified merely because China is making it. We need to consider the matter rather deeply and not superficially so that all aspects may be taken into account before reaching any decision. We should of course, get necessary information regarding missiles etc.

It is said that our factories have earned profit. What is the basis of fixing rates of sale and production ? It makes no diffierence if profits are shown at 5% or 7% without giving any basis.

In connection with psychological research, mention is occasionally made of Martial and non-martial races. Government should decide whether there is any sense in recognising the martial and non-martial races and should accept this proposal only if there is any weight in it.

Our air force should be made strong speedily, specially when Pakistan has already received MIG aircraft.

Things should be so managed that both the U.S.A. and the U.S.S.R. stand up for us.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : मैं देश के उन सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के सम्मान तथा अखण्डता की रक्षा के लिये अपनी जान की बाज़ी लगा दी। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जवान ने भारतीय जनता के दिलों में स्थान बना लिया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जवान ने जनता के दिलों में जो छाप छोड़ी है वह खराब न हो अथवा मिट न जाये। इसके साथ साथ देश के लोगों तथा सेना के बीच जो मित्र भाव के सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं वह बिगड़ने न पायें।

हमारा देश संसार का सब से बड़ा लोकतंत्र है। सेना को एक विशिष्ट तथा उत्कृष्ट कार्य सौंपा गया है। परन्तु दुर्भाग्य से सरकार के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे सेना असैनिक क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रही है। यह बड़ी खतरनाक बात है। आज जवान को उन लोगों पर गोली चलाने के लिये कहा जाता है जिन्होंने कभी जवानों का हार्दिक स्वागत किया था। यदि उस प्रकार की स्थिति जारी रहेगी तो देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं। पश्चिमी बंगाल, तामिलनाद, केरल तथा मिज़ो पहाड़ियों में जो गड़बड़ी है वह असैनिक अधिकारियों की नासमझी के कारण उत्पन्न हुई है। सरकार को अपनी मनोवृत्ति बदलनी चाहिये अन्यथा सारे देश में आन्दोलन तथा गड़बड़ी फैलेगी जिसको दबाने के लिये सरकार इन तथाकथित उपद्रवों को दबाने के लिये सेना की सहायता लगी। यदि विदेशी आक्रमण के समय सेना इन उपद्रवों को दबाने में लगी रहेगी तो इसका क्या परिणाम निकलेगा? अतः सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये और ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिस से दूरद्रष्टता तथा उदारता पर आधारित लोकतंत्र बना रहे।

कल एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या अवदी इंजिनियरिंग डिपो प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बन्द किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं। श्री थामस ने बताया था कि यह डिपो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था जब यहां से दूर-पूर्व में सेना को सहायता दी जाती थी। अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। परन्तु कारण मेरी समझ में नहीं आया है। जो कारण श्री थामस ने दिया है वह संतोषजनक नहीं है। इस मामले पर स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिये। दक्षिणी सीमा पर यह सब से बड़ा डिपो था। यह डिपो सामरिक महत्व के स्थान पर था और जैसा कि अभी हाल में संकट आया था ऐसे समय मोर्चे पर विना रुकावट के सामान पहुंचाने के लिये यह डिपो बड़ा उपयोगी था। यदि सरकार इस को बन्द कर रही है तो देश के उस क्षेत्र में गड़बड़ी को बुलावा दे रही है। इस के बन्द होने से 450 परिवारों को हानि पहुंचेगी।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 3 दिसम्बर, 1963 को एक विमान शाला के निर्माण के लिये ठेका दिया गया था। थोड़ा निर्माण होने के कुछ ही समय बाद 13 डिसम्बर, 1963 को यह विमान शाला गिर पड़ी और ठेकेदारने 34,790 रुपये मुआवजा मांगा। सेना के इंन्जिनियरिंग विभाग ने ठेकेदार की यह बात नहीं स्वीकार की कि विमानशाला बर्फ पड़ने के कारण गिर पड़ी थी। ठेकेदार को कहा गया कि वह अपने खर्चे से विमान शाला का पुनः निर्माण करे। 11 दिसम्बर, 1964 को 58,857 रुपये का सीमेंट निर्माण कार्य में खर्च होने के बाद वह विमान शाला फिर गिर पड़ी। इस के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे सरकार तथा मंत्रालय की भारी अयोग्यता स्पष्ट होती है।

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana) : The recent conflict with Pakistan has shown to the world the bravery of our defence forces. It is not easy to fight with the Indian forces.

[Shri Rananjai Singh]

I am surprised to hear some honourable Members say that we should not spend much on the defence. We should not forget that we are still in the midst of danger. Our neighbours are still creating trouble for us, both on our border and within our country. At the time of the Kutch conflict, foreign papers were publishing such news as would dampen the enthusiasm of our jawans. But at the time of open conflict with Pakistan the same papers began to praise the valour of our army. Since Shri Chavan's taking over, the Defence Ministry has doubtless progressed a lot. The Chinese bid to deceive was exposed and the world came to know that it is no easy task to fight with the Indian forces.

We should not slacken our defence efforts. We want a lasting peace. But Peace cannot be maintained by merely signing in a peace foundation for not making atomic weapons.

We cannot establish true peace by raising slogans that we will not make atomic weapons. We should increase our armed strength in order to achieve lasting peace.

We should not give up our old military policy. Whenever we have acted according to our ancient military policy, we have been victorious.

We should have a strong army equipped with modern weapons. So far as possible we should be self sufficient in the matter of weapons, but, if need be, we should not hesitate in importing weapons.

There have been a number of complaints in connection with the National Defence Fund. The honourable Minister should pay special attention to this matter because these complaints have been adversely affecting the people of the country and shaking their confidence. The honourable Minister should personally deal with this matter and he should have an inuqiry made into those complaints. Those found guilty should be punished.

We should make the defence department strong and efficient. We should emulate the Vedic policy in regard to defence matters as mentioned by Swami Dayanand in the "Satyarthaprakash".

I want the honourable Minister to realise that merely raising the slogans "Jai Jawan" "Jai Kisan", will not help us. The families of the jawans should be given full facilities. The Soldiers' Boards at the district level should be made stronger still.

I support the Demands for Grants.

श्री लीलाधर कटकी (हुनवगांव) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं उन सदस्यों का भी अनुमोदन करता हूं जिन्होंने भारतीय सेना के उन जवानों को श्रद्धांजली अर्पित की है; जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा लापता और घायल होने के फलस्वरूप घायल हुए सेना के सेवाओं के कर्मचारियों के परिवारों को देय-पेंशन तथा अन्य लाभों के बारे में नियमों में जो उपबन्ध किये हैं उनका भी स्वागत करता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के 1966-67 के बजट में जो 29.88 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है उसका स्वागत करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि इसे और अधिक बढ़ा दिया जाता। यह इस लिये आवश्यक था क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान का रवैया आक्रमक है। पाकिस्तान भारत को ही अपना एकमात्र शत्रु समझता है।

चीन के आक्रमण के बाद 1962 में इस देश ने यह व्रत लिया था कि हम तब तक शान्ति से नहीं बैठेंगे जब तक अपने देश के क्षेत्र से शत्रु को बाहर नहीं निकाल देंगे। देश के उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यद्यपि कुछ सड़कों का निर्माण आरम्भ किया गया है, इस क्षेत्र में पूर्णतया विकसित संचार प्रणाली होनी चाहिये। संचार व्यवस्था में कमी होने के कारण ही हमें मिजो पहाड़ियों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वैसे यह क्षेत्र चारों ओर से खुला हुआ है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं प्रतिरक्षा मंत्री से एक बार फिर संचार पर अधिक ध्यान दें। हमारे आर्थिक ढांचे को भी दो दिशाओं में बढाना चाहिये। एक तो प्रतिरक्षा के लिये और दूसरे कृषि के लिय। चौथी योजना के आरंभ करने से पूर्व हमें इन दो बातों की ओर विशष ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Mr. Deputy Speaker, we should earmark 60 per cent of our budget for defence. Our country should have an army of 50 lakh people. The Government should manufacture modern weapons and we should not renounce the manufacture of atom bomb. Our effort should be to manufacture weapons of all types. Then only we will be able to defend our country.

We have to defend our country from two types of enemies *i.e.* internal as well as external enemies. The government should beware of anti-national elements. They may try to create rebellion in the country. The sabotage activities are happening in the country.

About external enemies we already have experience and our soldiers had to shed their blood.

I would advocate that martial races should be recruited in the army. I want to draw the attention of the hon. Defence Minister to the Reserved Forces. The personnel of this force when dischared, do not get any service. The Employment Exchange too does not pay much attention to these people. Their difficulties should be attended to.

The officers who get direct Commission should be made to live with jawans for at least five years. Then only they will be able to appreciate the difficulty of the jawans.

The post of the Chief of the Army Staff should always go to an officer of the fighting unit and to the one belonging to technical unit.

The money received for Defence Fund should be used properly. Most of the money contributed to it was from the rural people. The business community should also contribute to it. In services also the army people should be given preference.

We should never trust Pakistan. Our duty should be to defeat the enemy. We should never take pity on the enemy. Our history also teaches us that we suffered when we trusted the enemy. The country will be as strong as its army is.

श्री रंगा (चित्तूर) : हम सब इस बात में सहमत हैं कि हमें, अपने जवानों को, पाकिस्तान के साथ पिछले संघर्ष में प्रदर्शित किये गये साहस, त्याग तथा देशभक्ति के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये। पंजाब, जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान के लोग, जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया था और हमारी सेना का इस संकट के समय साथ दिया, बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अन्य नागरिकों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है।

हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये अलग सेना बनानी चाहये और इसका नाम हिमाचल सेना रखना चाहिये। हमें इसे विशेष प्रतिष्ठा देनी चाहिये। इसे सेना का अलग भाग समझना चाहिये और उन्हें आवश्यक नेतृत्व, प्रशिक्षण तथा सुविधायें देनी चाहियें।

यह भी हमारे लिये अब आवश्यक हो गया है कि हम अपनी सेना के एक भाग को पंजाब, काश्मीर तथा राजस्थान और आसाम की सीमाओं के साथ साथ रखें। और उन सैनिकों को अधिक अच्छी सुविधायें दी जानी चाहिये।

एक संसदीय समिति अथवा एक विशेष वेतन आयोग जूनियर नान-कमिशन्ड अफसरों के स्तर तक जवानों को विभिन्न श्रेणियों के वेतनक्रमों, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिये बनाना चाहिये। ऐसा आयोग शीघ्र नियुक्त होने से उन्हें विश्वास हो जायेगा कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

यह नीति ठीक नहीं है कि भर्ती के लिये हम कुछ ही क्षेत्रों पर निर्भर रहें। हमें चाहिये कि अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दें।

सरकार को चाहिये कि सेना में वृद्धि तब करे जब इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय में भी प्रत्यक विभाग में आवश्यक कर्मचारी रखने चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मांगों को बनाते समय अधिकतम मितव्ययता रखी जायें और धन का अपव्यय न हो। इस प्रकार बचाये हुए धन को जोकि 100 करोड़ रुपये के लगभग होगा, वर्तमान सेना को अधिक सुविधायें देने तथा अतिरिक्त आयुध कारखाने लगाये जा सके।

अन्त में मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्री हमें समय समय पर यह बतावें कि जनरल हैन्डरसन ब्रुक्स की सिफारिशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बारे में हमें कोई प्रतिवेदन नहीं मिला हैं। इसके बारे में वार्षिक प्रतिवेदन में ही एक परिच्छेद होना चाहिये।

हमें अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिये विशेषकर पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ राजस्थान से लेकर हिमाचल तक। आशा है कि मेरे मित्र इस पर ध्यान देंगे।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और रचनात्मक सुझाव दिये, मैं उनका आभारी हूं। मैं इस देश के शूरवीर सैनिकों को, जो पिछले वर्ष पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करते समय परीक्षा में पूरे उतरे हैं, श्रद्धांजलि के लिये सदस्यों का आभारी हूं। जो वीरता उन्होंने दिखाई है उसके लिये उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी चाहिये।

हमने पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान निश्चय ही अपने सैनिक नतृत्व साज, सामान, तथा प्रशिक्षण के तरीकों का परीक्षण किया। प्रशिक्षण के ये तरीके पूरे उतरे हैं। इसके साथ ही हमको अपनी त्रुटियां का भी पता लगा दे और जो कमियां हैं उन्हें भी आने वाल समय में पूरी कर लेंगे। हमारा तजरबा भी पकता जा रहा है और इस से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

साथ ही हमें इस संघर्ष से एक महत्वपूर्ण बात पता चली है कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। उन देशों के राजनीतिक दृष्टिकोण का भी पता चला है। इस संघर्ष से हमें एक और शिक्षा यह मिली कि हथियारों के बारे में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हमारी उत्पादन की नीति भी ठीक ही सिद्ध हुई है। आत्मनिर्भरता के साथ हमें हथियारों के आधुनिकीकरण पर भी विचार करना चाहिये। आधुनिकीकरण तथा प्रमाणीकरण पर निर्भर है। इस देश में उद्योगों के और अधिक आधुनिकीकरण पर भी निर्भर करता है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमने विमानों के बारे में खिचड़ी सी कर रखी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। परन्तु इसका इलाज भी क्या है? हमारे देश में "ऐसोनाटिक" उद्योग अभी आरम्भिक आवस्था में है। हमें इसका विकास करना है।

क्या मैं यह बता दूं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के विमान क्यों हैं? इसका कारण यह है कि विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिरक्षा की समस्यायें विभिन्न प्रकार की हैं। उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य लेना होता है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के विमान रखने पड़े हैं। सीधी बात है कि राजस्थान में उपयोग करने वाले विमान को लद्दाख में उपयोग नहीं कर सकते।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि जो युद्धपोत हम बना रहे हैं तथा जो मिग 21 बना रहे हैं वह उस समय बेकार हो जावेंगे जब वे बनकर पूर्ण होंगे। मिग 21 का प्रयोग 1970–79 तक होता रहेगा। यही बात युद्धपोत के बारे में भी है। सेना के लिये अपेक्षित "सोफिस्टीकेटिड" हथियार मिलने कठिन हैं। यह बात नहीं है कि हमारी जेब रुपया हो तो हम उसे किसी दुकान से उठा लावें। चाहे हमारे पास विदेशी मुद्रा भी हो परन्तु जब तक दूसरा देश हमें देने को तैयार नहीं है हम नहीं खरीद सकते। वे राजनैतिक बातों का भी ध्यान रखते हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए वायुसेना की मार करने की क्षमता बढ़ाई है और सेना के अन्य अंगों में भी मार करने की क्षमता बढ़ाई है। यदि सेना को फिर कोई लड़ने का अवसर मिला तो वह सराहनीय कार्य करेगी।

प्रतिरक्षा के बजट का विवरण हमें प्रतिवेदन में देना चाहिये। 1966–67 का कुल सैनिक बजट 918 करोड़ रुपया है। थल सेना के लिये 600 करोड़ रुपया, जल सेना के लिये 30 करोड़ रुपया तथा वायुसेना के लिये 144 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है।

अनुसंधान तथा विकास पर 19 करोड़ रुपया व्यय करना है। परन्तु इस बात का ध्यान रखना है कि केवल बड़े बड़े भवन बनाने तथा धन रखने से काम नहीं चलता उसके लिये प्रशिस्त व्यक्ति भी तो होने चाहिये ताकि उस धन का ठीक उपयोग कर सके। साथ ही इसके लिये व्यय राशि बढ़ती जा रही है।

उन्नत देशों की सेनाओं को देखने से पता चलता है कि वहां पर सप्लाई पर अधिक खर्च किया जाता है। सप्लाई पर अधिक खर्च करने से ही वे सेनायें आधुनिक बनती हैं। हम भी अब सप्लाई तथा हथियारों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। अतः हमारी सेनायें भी आधुनिक बन रही हैं।

कुछ सदस्यों ने यह बात भी कही थी कि एकीकृत कमान होना चाहिये। लोग ऐसा इस लिये सोचने लग गये हैं क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन में एकीकृत कमान होने के बारे में सुना होगा। परन्तु इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि दूसरे उन्नत देशों की नकल कर सकें। दूसरे देशों में तीनों सेनाओं को समान विकास होता है। इसलिये उन तीनों सेनाओं में से एक व्यक्ति को चीफ आफ दी डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है।

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

दूसरी बात यह है कि प्रत्यक देश की राजनीतिक स्थिति भिन्न हो सकती है। हमारे देश में तीनों सेवाओं का विकास भी समान नहीं हो रहा है। हमारे देश में स्थल सेवा सब से पुरानी सेवा है। वायु सेना तो हाल में बनाई गई थी। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस सेना ने थोड़े ही समय में बहुत प्रगति की है। नौसेना चाहे पुरानी सेवा है परन्तु इसकी प्रगति धीमी रही है। अतः मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम अभी कुछ वर्षों तक एकीकृत कमान नहीं बना सकते हैं। जब राजनीतिक स्थिति में सुधार हो जायेगा तथा सेनाओंको समान विकास होने लग जायेगा तब हम इस बारे में विचार कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में हमें एक और पहलू पर भी विचार करना होगा। क्या हमें एकीकृत कमान न होने से कोई बाधा महसूस हो रही हैं। हमने जो चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी बनाई हुई है उस में सेना का वरिष्ठतम सदस्य ही प्रधानगी करता है। यह समिति ही प्रतिरक्षा मंत्री तथा मंत्रिमंडल की आपातकाल समिति को सलाह देती है। इस लिये मेरे विचार से इस समिति तथा इस की सहायक समितियों के काम को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कमान की अभी कोई आवश्यकता नहीं है तथा इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की गुंजायश नहीं हैं।

एक बात गुप्तचर प्रणाली के बारे में उठाई गई थी। जैसे में पहले कई बार कह चुका हूं गुप्तचर कार्य तथा गुप्त सूचना प्रणाली में निश्चय ही सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कह सकता कि इस में जो सुधार हुआ है उससे मैं शत प्रतिशत सन्तुष्ट हूं परन्तु हम कुछ अच्छे तरीके निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे हम अपनी गप्त सूचना प्रणाली में सुधार कर सकगे।

श्री कृष्णपाल सिंह जी ने कहा था कि हाल के पाकिस्तान के युद्ध में बहुत सैनिक मारे गये थे। मेरे विचार से यह तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गये सैनिकों के साथ की गई है। परन्तु पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में मारे गये सैनिकों की प्रतिशतता की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गये सनिकों की प्रतिशतता से नहीं की जानी चाहिये। इस का कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध तो चार पांच साल होता रहा था तथा विभिन्न परिस्थितियों में और विश्व के विभिन्न भागों में हुआ था जब कि पाकिस्तान के साथ युद्ध 20 से 22 दिन तक बहुत जोर से हुआ है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं ने अनुपात पूछा था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बारे में अध्ययन किया है। जहां तक अधिकारियों की मृत्यु दर का सम्बन्ध है निश्चय ही इस में वृद्धि रही है। परन्तु इस का यह प्रमाण है कि हमारे अधिकारी युद्ध में आगे लड़े थे, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। कमीशनप्राप्त यवकों ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें उनपर गर्व है।

अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने असैनिक प्राधिकारियों के सहायतार्थ सेना का प्रयोग किये जाने के बारे में प्रश्न किया था। मैं इस से पूर्णतया असहमत हूं। आमतौर पर सेना का प्रयोग शत्रु के विरुद्ध किया जाता है। परन्तु यह भी ठीक है कि सेना को असैनिक अधिकारियों की, जिसमें न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि असैनिक राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं सहायता करनी होती है। चाहे यह कर्त्तव्य बहुत दुखद है परन्तु कर्त्तव्य होने के कारण करना पड़ता है।

दो तीन सुझाव विदेशी सहायता के बारे में भी दिये गये थे। जहां से भी आर्थिक अथवा सैनिक सहायता हमे मिल सकती है हम लेते हैं। हमें इस बारे में कोई संकोच नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने नौसेना के बारे मे प्रश्न उठाया था। इस में कोई सन्देह नहीं कि हम नौसेना का उतना विकास नहीं कर सके हैं जितना माननीय सदस्य चाहते थे परन्तु इस का विशेष कारण है। नौसेना के विकास मे समय लगता है। यह कार्य धीरे धीरे हो सकता है। फिर भी मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमने इस दिशा में काफी प्रयास किया है। हमने अधिक जहाज लेने, पनडुब्बियां प्राप्त करने तथा जहाज बनाने के लिये बहुत प्रयत्न किये हैं। परन्तु नौसेना के विकास की यह प्रारम्भिक अवस्था ही है। इस के बाद भी हम कार्यवाही करते रहेंगे। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी नौसेना के पास पुराने जहाज है परन्तु हमने दूसरे देशों से मांग की जो पूरी न हो सकी। इस के लिये निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और हम करते रहेंगे।

अब मैं प्रतिरक्षा की बनियादी नीति के बारे में जो प्रश्न उठाये गये हैं केवल उनका ही उत्तर दूंगा।

मैं ने डा० राम मनोहर लोहिया के भाषण को बड़े गौर से सुना है। मुझे खुशी है कि वह इस समय उपस्थित हैं। मैं उन्हें स्पष्ट बात बताना चाहता हूं। उन्होंने जो यह कहा था कि हमारी सेना आज भी वैसी ही है जैसे वह अठारह वर्ष पहले थी, बिल्कुल गलत है। हमारे सेना मुख्यालय ने, सरकार की सहायता से, सशस्त्र सेनाओं में आवश्यक राष्ट्रीय अथवा देशभक्ति की भावनायें पैदा करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इन बातों के अतिरिक्त और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये थे। एक प्रश्न यह उठाया गया था कि हमें किस प्रकार के हथियार बनाने चाहिये। निश्चय ही यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करेगा कि निकट भविष्य में हमें किस प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि चीन से आण्विक खतरा नहीं है। खतरा अवश्य है। परन्तु इस का सम्बन्ध विश्व की शान्ति से है। हमारे देश को चीन से खतरा परंपरागत हथियारों से है। हमारे पास जो कुछ भी साधन हैं हम उनसे पूरा लाभ उठाना चाहिये। जब हमें तुरन्त खतरा तो परंपरागत हथियारों से आक्रमण होने का है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि दूसरों क्षेत्रों में धन खर्च किया जाये। मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आण्विक हथियारों के बारे में सरकार की नीति बहुत बुद्धिमता की नीति है। हमें इस नीति को ही अपनाना चाहिये।

अब मैं ताशकंद समझौते के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ताशकंद समझौते से पूर्व भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये थे। ये ऐसी स्थिति में पहुंच गये थे कि उन म सुधार होने की कोई गुन्जायश नहीं थी। ताशकंद समझौते से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का अवसर मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस अवसर का लाभ न उठाया गया और इसे ठुकराया गया तो दोनों देशों के लिये यह बात हानिकारक होगी। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। मेरा विचार है कि आधुनिक संसार में प्रत्येक देश शान्ति चाहता है। तब निश्चय ही जब हमारे पास ऐसा अवसर आया है तो हमने ताशकंद समझौते को स्वीकार किया। परन्तु हम यह नहीं भूल सकत कि उस समझौते के बाद क्या हो रहा है। चीन इस समझौते को बिलकुल पसन्द नहीं करता है। इसका कारण यह है कि यह समझौता उनकी नीति के बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि चीन अब भी पाकिस्तान को उसका रहा है। पाकिस्तान के नेताओं के भाषण सुनने से पता चलता है कि वे पाकिस्तान में कुछ तत्व इस समझौते को न पसन्द करने लग गये हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि चीन को इस मामले में सफलता नहीं मिलेगी। भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों को अभी आर्थिक तौर पर विकास करना है। यह तभी हो सकता है जब दोनों देश शान्ति से रहे।

7—47 L. S./66

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम ताशकन्द समझौते का दृढ़ता से पालन करना चाहते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि हम आराम से नहीं बैठ सकते। हम शक्ति के डर से झुकने वाले नहीं है।

हमें साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि चीन का खतरा अब पहले से भी गम्भीर है। पहले उन्होंने हमें चुनौती दी और बाद में उसे वापस ले लिया। इसका प्रयास अब रावलपिंडी में किया जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि चीन के बने हथियारों को रावलपिंडी में दिखाया गया। इस से भी अधिक दुख की बात यह है कि इन हथियारों के साथ साथ अमरीका के बने हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया। अमरीका के ये हथियार तो चीन के लिये बनाये गये थे।

परन्तु इन सब बातों के बावजूद हमें वास्तविकता देखनी चाहिये। हमें इन घटनाओं को चौकस रह कर देखना चाहिये। हमें आतंक नहीं फैलने देना चाहिये। हम एक महान तथा गौरवशाली देश की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। हमें गौरव है कि हमारे जवानों ने पिछले युद्ध में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखीं गई तथा स्वीकृत हुई। *The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4	रक्षा मंत्रालय . .	12,78,000
5	रक्षा सेवाएं—सक्रिय—स्थल सेना . . .	1,07,02,78,000
6	रक्षा सेवाएं—सक्रिय—नौसेना . .	5,16,35,000
7	रक्षा सेवाएं—सक्रिय—वायु सेना . .	24,57,22,000
8	रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	3,98,33,000
114	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय . . .	20,66,67,000

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सुचनाओं के बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

बस्तर की घटना--जारी

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जब 28 मार्च को बस्तर की घटनाओं के बारे में बहुत नोटिस आये तो आप ने मुझे एक वक्तव्य देने के लिये कहा था। आपने मुझे ऐसी बातों को वक्तव्य में सम्मिलित न करने के लिये कहा था जो कि न्यायिक जांच के लिये स्थापित किये गये आयोग के समक्ष मामले के क्षेत्र में आती है। इस तरह जांच करने से पता लग जायेगा कि ऐसी घटनायें किन परिस्थितियों में हुई थी।

मेरा विचार है कि यह सूचना आदिम जातियों के लोगों की सामान्य दशा जानने के बारे में पूछी गई थी। एक माननीय सदस्य ने तो कहा है कि आदिवासियों के कल्याण की जिम्मेवारी गृह-कार्य मंत्रालय की है। यह ठीक है कि गृह-कार्य मंत्री किसी समय आदिम जातियों के कल्याण के सभी कार्यक्रमों के लिये--नीति और तालमेल के लिये--उत्तरदायी थे परन्तु लगभग दो वर्ष पूर्व यह विषय इस मंत्रालय से लेकर समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया था। उस के मंत्री अब श्री अशोक मेहता है। आप की अनुमति से वह इस विषय पर वक्तव्य देंगे ।

अब मैं एक दो बातों की जानकारी सभा को दूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये न्यायाधीश की निष्पक्षता पर आक्षेप किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे वक्तव्य अवांछनीय और खेदजनक है। दूसरे यह बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश पर उस राज्य के ही मामले में जिस में वह उच्च न्यायालय है, निष्पक्ष जांच करने के लिये विश्वास नहीं किया जा सकता ।

मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि जब 28 मार्च को मध्य प्रदेश विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया तो विरोधी दल के एक मुख्य सदस्य ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि उनके दल को इस जांच के लिये नियुक्त किये गये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में पूर्ण विश्वास है। मैं श्री सुन्दरलाल पटवा के भाषण का कुछ भाग का उत्तरित करता हूं :—

> "श्री सुन्दरलाल पटवा :--अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो अभी कहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर हमारा विश्वास नहीं है हम बिल्कुल जोर के साथ कहना चाहते हैं कि यह बात गलत है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि वह जांच न्यायायिक रीति से करेंगे।"

वास्तविकता तो यह है कि राज्य विधान मण्डल में विरोधी दल के किसी सदस्य ने उस न्यायाधीश पर अविश्वास व्यक्त नहीं किया है। मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जब बस्तर के कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं जगदलपुर को अनुसूचित क्षेत्र नहीं माना गया है ।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले यह भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को श्री भंजदेव की मृत्यु के बारे में सूचना 26 मार्च को दोपहर के पश्चात प्राप्त

[श्री नन्दा]

हुई थी। उन्हों ने सूचना मिलते ही न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया और जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से संपर्क स्थापित किया और इस मामले की जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिये कहा। तब उसी दिन उन्होंने 5 बजे शाम को विधान सभा में एक वक्तव्य दिया जिस में उन्होंने अपने इस निर्णय की घोषणा की कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस मामले की जांच करवाना चाहते है। इस संदर्भ में विरोधी दल के सदस्य द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाना अच्छा नहीं था। विशेष कर जबकि उन्होंने जांच आयोग स्थापित करने की पहले ही घोषणा कर दी थी। जो कुछ हुआ है हमे इस के लिये बहुत दुख है परन्तु हमें नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है।

सभा पटलपर रखे गये पत्र--जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE--*Contd.*

बस्तर जिले में किये गये समाजकल्याण कार्य के बारे में वक्तव्य

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : पिछली बार बस्तर जिले में किये गये समाज कल्याण कार्य में सभा के कुछ सदस्यों ने रुचि ली थी। इस लिये एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे मैं आप की अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–59/4366।]** बस्तर जिले में जो कुछ किया गया है इस में उस का व्यापक विवरण होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ आदिम जाति लोगों के कल्याण के लिये किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : केवल बस्तर में अथवा सारे भारत में।

श्री अशोक मेहता : केवल बस्तर जिले में।

श्री रंगा : जगदलपुर में नृशंस कांड होने से पूर्व श्री भंजदेव ने केन्द्रीय सरकार से लिखित रुप म अपील की थी। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। बस्तर के महाराजा के साथ साथ काफी आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सरकार के अनुसार महाराजा के जिस्म पर गोली के 3 अथवा 5 निशान पाये गये थे जबकि हमारी जानकारी यह है कि उनके जिस्म पर गोलियों के 8 अथवा 9 निशान थे। इसलिये इसे कत्ल का मामले कहा जा सकता है क्योंकि उनके अनुयायियों के पास केवल तीर-कमान ही थे।

बस्तर एक कमी वाला क्षेत्र है और वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। वे अन्न मांग रहे ह परन्तु मुख्य मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रहे है। महाराजा तथा अन्य आदिवासी लोगों के मारे जाने के पश्चात् जिस तरह से एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पूर्व-नियोजित काण्ड था। इस काण्ड पर चर्चा करने का सभा को एक अवसर दिया जाना चाहिये। हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिय कि उस क्षत्र में और कोई आतंक नहीं मचाया जायेगा। हमें यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिये कि वहां पर लोगों के जीवन तथा उनके अधिकारों की रक्षा की जायेगी। यह जांच केवल दिखावा माल नहीं होनी चाहिये अपितु यह एक वास्तविक, व्यापक तथा न्यायिक जांच होनी चाहिये और यह जांच आयोग मुख्य मंत्री तथा मंत्रालय के आचरण पर भी अपने विचार व्यक्त करे। मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि लोगों को संतोष तभी होगा जब केन्द्रीय सरकार बस्तर के प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : According to telegram from the late Maharaja's brother he was mercilessly done to death at a time when he was trying to pacify the tribals gathered outside his palace. It is also reported that the police there has been destroying all evidencce leading to a clue to this heinous affairs. It is reported that the police have removed 12 dead bodies from the palace.

This affair cannot be discussed in this house if the conduct of any police officer or magistrate or judge concerned with this affair is discussed or commented upon here. Because it would be sub-judice. I agree with it. But in the present case we are concerned with the anarchy prevailing in the country due to policies of the present administration. This is a political question and we should be allowed to discuss it here in that context.

श्री ही० ना० मुकर्जी : गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि आदिम जातियों के कल्याण का काम समाज सुरक्षा मंत्रालय को सौंपा जा चुका है। और वही अब इस काम की देखभाल करता है। बस्तर में जहां यह दुर्घटना हुई है अधिकतर आदिवासी ही रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बस्तर केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। वहां पर स्थिति इस समय बहुत ही गम्भीर है और मंत्री महोदय यह कह कर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। इस मामले पर यहां पर चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : परसों यहां पर एक बहस हुई थी और मैंने माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया था। शिक्षा मंत्री ने बीच में खड़े हो कर कहा था "कि मै मानता हूं" (आई इवन कनसीड)। परन्तु बाद में उन्होंने मुझे यकिन दिलाने की कोशिश की कि आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार "कनसीड" का अर्थ केवल तर्क की खातिर मान लेना है तथा किसी तथ्य स्वीकार करना नहीं।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मेरे पास यहां पर सभा की कार्यवाही संबंधी कागजात मौजूद है। मैं अंग्रेजी का विद्वान होने का दावा नहीं करता। क्योंकि यह एक विदेशी भाषा है। मैंने "कनसीड" का शब्द का जिस संदर्भ में प्रयोग किया था उसका अर्थ केवल तर्क स्वरूप ही उस बात को स्वीकार करना था। मैंने उस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था। मैं तो तर्क ही दे रहा था कि बीच में आपने कुछ शब्द कहे और उसके पश्चात् मुझे अपना वाक्य पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता जो गलत है क्योंकि गृह-मंत्री महोदय ने बता ही दिया है कि मध्य-प्रदेश का यह विशेष क्षेत्र केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता।

Shri Madhu Limaye : Sir, on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : जब मैने शिक्षा मंत्री को यह कहता सुना "कि मैं माने लेता हूं" ("आई इवन कनसीड"), तो मैंने यह समझा था कि उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार कर ली है। इसलिये मैंने डा० लोहिया को सभा से अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के लिये कहा था परन्तु उन्होंने अनुमति नहीं मांगी थी ....

Dr. Ram Manohar Lohia : I had asked for the leave of the House.

अध्यक्ष महोदय : चलिये मैं उनकी बात ही माने लेता हूं। जरा मुझे अपनी बात कहने दीजिये। यदि इस बात को मान भी लिया जाये कि सरकार असफल रही है तो भी नियम 59 के अन्तर्गत इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्यों द्वारा पेश किये गये तर्कों से भी मेरे इस विचार की पुष्टि हो गई है कि इस विषय पर यहां पर जो बातें कही जायेंगी वे सब-जुडिस होंगी।

Shri Madhu Limaye : Sir, on a point of order.

Mr. Speaker : Kindly sit down. I am not prepared to hear anything now.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह कहना उचित नहीं है कि इस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी न्यायिक जांच की जा रही है। सारे मध्य प्रदेश में यह मांग की जा रही है कि मुख्य मंत्री को हटाया जाये। बस्तर में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके लिये मुख्य मंत्री ही जिम्मेदार हैं। अतः यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि उनके आचरण पर यहां पर टीका टिप्पणी की जाय और उन्हें मुख्य मंत्री के पद से हटाया जाये।

Shri R. S. Pandey (Guna) **:** As the hon. Home Minister said that immediately on receiving intimation of the Maharaja's death, the Chief Minister of Madhya Pradesh asked the Chief Justice of the High Court to depute a judge of the High Court to enquire into this matter. Some Members have expressed doubts about the impartiality of the judge of the Madhya Pradesh High Court in this particular matter which is wholly unjustified. Even the opposition leaders in the State Vidhan Sabha have hailed the appointment of a judge of the High Court for conducting enquiry in this case.

As the whole matter is sub-judice, this Adjournment Motion should not be admitted.

Shri Madhu Limaye : You shall have to listen to my point of order.

Mr. Speaker : Let him be patient. He shall have an opportunity.

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) **:** बस्तर प्रश्न का बड़ा पुराना इतिहास है। डा० काटजू के जमाने से ही मध्य प्रदेश सरकार तथा बस्तर के महाराजा के बीच विवाद चल रहा था। इस प्रश्न का राजनीतिक पहलू भी है। जहां तक इस मामले के न्यायिक पहलू का संबंध है उसकी जांच एक न्यायाधीश कर सकता है। आज कल ऐसा रिवाज सा हो गया है कि मुख्य मंत्रीगण पहले तो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और फिर तुरन्त ही उसकी जांच का आदेश दे देते हैं जिसमें एक साल लग जाता है और लोग सब कुछ भूल जात हैं। ऐसा करना उचित नहीं हैं। मेरा यह निवदन है कि हमें इस मामले के राजनीतिक पहलू पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

Shri Madhu Limaye : It matters little whether this particular matter comes under the Ministry of Home Affairs or the Ministry of Planning. Yesterday I was reading out a sentence from the report of the enquiry commission to establish my contention that the responsibility of the Centre is attracted in this particular case. The second point is this that this Adjournment Motion does not pertain to Jagdalpur alone but to the whole Bastar area, which is inhabited by Scheduled tribes. The Centre has a clear cut responsibility as this is a scheduled area and the Governor is required to send a report to the President. So far as the plea of this matter being sub-judice is conerned, rule 59 says :

> "No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutoty authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved."

But further on this rule permits the Speaker to use his discretion to allow discussion on such matters if such discussion is not likely to prejudice the

findings of the Court of enquiry etc. The Home Minister has not read out the terms of reference of the present court of inquiry so that it may be decided as to whether the discussion would affect it prejudicially or not. So my submission is that rule 59 is not attracted in this case and the terms of reference should be laid before the House to facilitate our coming to a conclusion.

श्री नन्दा : निर्देश-पदों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जा चुका है।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति का प्रश्न है, भूतपूर्व शासकों के साथ सभी प्रकार के संबंधों के बारे में एकमात्र केन्द्रीय गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार है। मेरी राय में श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव को निजी थैली के रूप में 20,000 रुपये मिलते थे। इसलिये केन्द्रीय गृह मंत्री इस उत्तर दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकते। इस बारे में किसी को भी सन्देह नही है कि एक नृशंस हत्या का मामला है। यदि महाराजा को आठ गोलियां मारी गई थी तो अवश्य ही स्वचालित हथियारों को इस्तेमाल किया गया है। इसलिये इन सब पर संसद् में बहस की अनुमति दी जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The Home Minister should read out the terms of reference to the House.

Mr. Speaker : Order, order. These were laid on the Table day before yesterday.

Shri Ram Sewak Yadav : Murder has been committed there and the Madhya Pradesh Government is responsible for this.

Shri Madhu Limaye : Is it covered under rule 59 or not ?

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि अगले दिन मैं ने अनुमति दे दी थी परन्तु अन्य भाषण सुनने के पश्चात् में समझता हूं कि नियम 59 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा नही हो सकती। मैं मानता हूं कि मामला लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है परन्तु अलग से दूसरी पूर्वसूचना देने पर ही इसपर चर्चा हो सकती है।

Shri Madhu Limaye : This is a question of taking up the no confidence motion rather than that of having a discussion after giving a separate notice.

श्री रंगा : पूर्व सूचना तो हम ने पहले ही दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : उसपर में विचार करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान् इसपर हम कैसे चर्चा कर सकते है....... **(अन्तर्बाधायें)**।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति।

श्री मनुभाई शाह : (अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : We would not listen to him. He should sit down. **(अन्तर्बाधायें)**

---

(2) अप्रैल 1966-मार्च, 1967 की अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अप्रैल, 1966-मार्च, 1967 की अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5942/66।]**

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

विधी मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
75	विधि मंत्रालय . . .	59,55,000
76	निर्वाचन	2,82,53,000
77	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	39,46,000

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्........(अन्तर्बाधाएं)

Shri Madhu Limaye : This discussion cannot go on. The House may be adjourned.

(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा बुलाये गये सदस्य के भाषण को छोड़कर और कोई बात सभा की कार्यवाही में दर्ज नही की जायेगी।

यदि कोई सदस्य विधि मंत्रालय की मांगों पर नहीं बोलना चाहता तो मैं इन मांगों को मतदान के लिये रखूंगा।

(अन्तर्बाधाएं)**

Mr. Speaker : Now I ask Shri Madhu Limaye to leave the House.

(अन्तर्बाधायें)**

Mr. Speaker : If Shri Ram Sewak Yadav cannot sit down he may leave the House. Shri Trivedi. (अन्तर्बाधायें)**

Shri Ram Sewak Yadav : We will not leave the House.**

Mr. Speaker : I ask Shri Kishen Pattnayak to leave the House.

Shri Kishen Pattnayak : We would not leve the House. **(Interruptions).****

Mr. Speaker : I name Shri Kishen Pattnayak and Shri Ram Sewak Yadav.

(Interruptions)**

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Mr. Speaker : I had named Shri Ram Sewak Yadav, Shri Kishan Pattnayak and Shri Madhu Limaye and asked them to leave the House. They have defied the Chair. They are obstructing the proceedings of the Chair....... **(Interruptions).**

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन सदस्यों को दो सप्ताह के लिये निलम्बित कर दिया जाये **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि सर्वश्री किशन पटनायक, रामसेवक यादव और मधु लिमये जिनका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा गया है, को दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस सभी सदस्योंको दो सप्ताहोंके लिये सभा की सेवासे वंचित कर दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुये यह सदस्य सभा छोड़ कर चले जायें **(अन्तर्बाधाएं)**

Dr. Ram Manohar Lohia : A murder has been there for the first time in India. Do not forget that. This is political murder.

Mr. Speaker : He may resume his seat.

Mr. Speaker : Are these three members not leaving the House now. Now, I would have to execute the resolution passed by the House. I would ask the Marshal to make these three hon. Members leave the House with the help of the watch & ward staff.

Dr. Ram Manohar Lohia : Is this the rule of Lok Sabha. Do not make it like this. I am suggesting you a way out of this. Please do not send the police.

Mr. Speaker : Wait, Mr. Marshal.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान्, सभा स्थगित कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा शुक्रवार 1 अप्रैल 11 बजे म० पू० तक के लिय स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार 1, अप्रैल, 1966/11 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, April 1, 1966/ *Chaitra* 11, 1888 (*Saka*).

भा० स० मु० नासिक–वि० ना० से०–47 लोक सभा/66-5-8-67-600